लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 2 जून, 1971/12 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 8, Wednesday, June 2, 1971/Jyaistha 12, 1893 (Saka)

विषय	Subject	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		पृष्ठ/Pages
211 हस्तशिल्प उद्योग की वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicrafts	1-3
212 महात्मा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में नियुक्त कपूर आयोग की जांच के परिणामों पर महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणी	Maharashtra Government's Comments on Findings of Kapur commission on Gandhi Murder	3-5
213 गैर बंगला भाषी लोगों की पूर्वी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ	Infiltration of Non Bangla speaking people from East Pakistan in India	5-6
215 जापान को लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	6-8
217 गांवों में पत्र-पेटियों (पोस्ट बाक्सों) की कमी	Dearth of Post Boxes in Villages	9-10
219 पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता	Assistance by IFC for Modernisation of Jute Industry	10-11
220 पश्चिम उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Power Plant in Western U.P.	12-13
222 देशी भाषाओं के समाचार पत्रों को उन्हीं की भाषा में समाचार देना	Supply of News to Vernacular press in respective Languages	13-14
223 रुई की गांठों का आयात	Import of Bales of Cotton	14-17

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
224 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालय के मामले वापिस लेना	Withdrawal of Court cases against Central Government Employees who participated in 19th September, 1968 strike.	17-19
231 रबड़ के मूल्यों में गिरावट का रुख	Downward Trend of Rubber Price	19-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
214 शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध	Restriction on Sheikh Abdullah's movement	20-21
216 युगोस्लाविया के साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार करने में बाधाएं	Impediments in Rupee Trade with Yugoslavia	21
218 प्रेस परिषद् का पुनर्गठन करने की मांग	Demand for Reconstitution of press Council	21-22
221 क्यूबा से व्यापार सम्बन्ध	Trade links with Cuba	22
225 सोना तथा आभूषणों की तस्करी के लिये पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों की गिरफ्तारी	Arrest of East Pakistani Refugees for smuggling of Gold and Ornaments	22
226 केरल से समुद्रीय वस्तुओं के निर्यात में कमी	Decline in export of Marine Goods from Kerala	22-23
227 भारत से रेल के माल डिब्बे, उपकरण और डीजल इंजन खरीदने का इण्डोनेशिया का प्रस्ताव	Purchase of Railway Wagons Equipment and Diesel Engines from India by Indonesia	23
228 थुम्बा उपग्रह केन्द्र से छोड़े गये राकेट	Rocket launched from Thumba Rocket Launching Station	23-24
229 तमिलनाडु में दूसरे परमाणु संयत्र की स्थापना करने की मांग	Demand for a Second Atomic Plant in Tamil Nadu	24
230 मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन	Socio-Economic and Educational Backwardness of Muslims	24
232 पटसन निगम की स्थापना	Setting up of a Jute Corporation	24-25
233 राष्ट्रीय नीतियों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों से परामर्श	Consultations with Chief Ministers on National Policies	25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
234 नारियल जटा के निर्यात में कमी	Decline in Coir Exports	25-26
235 त्रिची तमिलनाडु में रामायण की पैरोडी का मंच पर दिखाया जाना	Staging of a parody of Ramayana in Trichy, Tamil Nadu	26
236 उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम	T. V. Programme through Satellites	26-27
237 मानव निर्मित फाइबर यार्न का आयात	Import of Man made Fibre Yarn	27
238 कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. infiltrators in Kashmir	27
239 यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के सम्बन्ध में टैरिफ की रियायत देने का निर्णय	E.E. C's Decision to extened Tariff Concessions for Indian Handicraft	28-29
240 फिल्म सेंसरशिप के सम्बन्ध में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on Khosla Committee Report on Film Censorship	29
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
997 पांच टेलीविजन केन्द्रों का निर्माण	Setting up of Five T.V. Centres	29-30
998 भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय चौकियों पर आक्रमण और पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Attack on Indian Posts on Indo-Pak. Border and Violation of Indian Air Space by Pakistan	31-32
999 पाकिस्तानी सेना द्वारा थल सीमा सम्बन्धी नियमों का अतिक्रमण	Violation of Ground Rules by Pakistan Army	32
1000 लंका के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार	Improvement of India's relations with Ceylon	32-33
1001 पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय नागरिकों तथा जवानों पर आक्रमण	Attack by Pakistani Forces on Indian Civilian and Jawans	33
1002 मानव निर्मित रेशे का निर्यात तथा देश में उसकी खपत	Man made Fibre Exported and consumed at home	33-34
1003 रेलवे यात्री डिब्बों तथा अन्य सामान का निर्यात	Export of Railway Coaches and other Goods	34-35
1004 पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण	Surrender by West Pakistan Army Officers to Indian Authorities	36
1005 विदेशों में संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures Abroad	36-37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1006 भारत नेपाल व्यापार करार	Indo Nepal Trade Agreement	37-38
1007 केरल में काजू की फैक्टरियों का बन्द होना	Closure of Cashew Factories in Kerala	38-39
1008 कपड़े की नियंत्रित किस्मों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Controlled Variety of cloth	39
1009 भारतीय सूती कपड़े पर तटकर लगाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से वार्ता	Talks with British Government re. imposition of duty on Indian Cotton Textiles	39-40
1010 अभ्रक के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of Mica	40
1011 पौड़ी (उत्तरप्रदेश) में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station at Pauri (U.P.)	40
1012 ब्रिटेन से पारस्परिक आधार पर आयात	Imports from U.K. on Reciprocal Basis	41
1013 ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का दौरा	Indian Trade Delegation to U.K. and European Countries	41-42
1014 कुछ मदों के आयात पर रोक	Ban on Import of certain Items	42
1015 पूर्वी बंगाल में पाक सेना के अत्याचारों का प्रचार	Publicity to Pak Army Atrocities in East Bengal	42
1016 गत आम चुनावों में मंत्रियों के दौरों पर व्यय	Expenditure on Tours of Ministers during the last General Election	42-43
1017 मई दिवस की सवेतन छुट्टी घोषित करना	May Day as a Paid Holiday	43
1018 बेरोजगार इंजीनियरों के सम्बन्ध में भारतीय जन शक्ति संस्थान का अध्ययन प्रतिवेदन	Study Report on Unemployed Engineers prepared by Indian institute of Manpower Research	43-44
1020 क्विलोन और कोट्टायम में विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले गिरोहों को समाप्त करना	Foreign Exchange Racket Unearthed in Quilon and Kottayam	44-45
1021 आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर तथा आदिलाबाद के पिछड़े जिलों के बारे में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का प्रतिवेदन	NCAER Report on Backward Districts of Anantapur and Adilabad in Andhra Pradesh	45-46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1022 केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित गैर-वंशानुगत सफाई कर्मचारी	Non-Hereditary Sweepers Employed by Central Government	46
1023 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये जा रहे वैज्ञानिक कार्य का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव	Impact of Scientific work being done in National Laboratories on National Development	46-47
1024 प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय	Per capita National Income	47-48
1025 पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने हेतु उत्तर प्रदेश को सहायता	Assistance to U.P. for Development of Backward Hill Areas	48
1026 उत्तरा खण्ड के आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Economic Development of Uttarakhand	49
1027 रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जाली विनिमय परमिट गिरोह का पता लगाना	Fake Exchange Permit Rackets Unearthed by Reserve Bank of India	50
1028 समाचार प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व का स्वरूप	Ownership Pattern of Companies publishing Newspapers	50
1029 उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सहायता	Aid for Development of Backward Area of U.P.	51
1030 चीन द्वारा दूसरा अन्तरिक्ष उपग्रह छोड़ा जाना	Launching of Second Space Satellite by China	51
1031 केरल सरकार की नारियल जटा उद्योग का विकास करने सम्बन्धी योजना	Kerala Government's Scheme for Development of Coir Industry	51-53
1032 समाचार पत्रों में एकाधिकार को समाप्त करने के लिये कानून बनाना	Legislative measures to eliminate Monopoly in the Press	53-55
1033 टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा बलराम वर्मा टैक्सटाइल मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना	Taking over Balarama Varma Textile Mill by Textile Corporation	56
1034 पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का बन्द होना	Closure of jute mills in West Bengal	56
1035 चुने हुए उद्योगों में सह उद्यम	Joint Ventures in Selected Industries	56-58
1036 राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by STC	58
1037 बढ़िया किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि	Rise in production of Fine Cloth	59

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

1038	सूती कपड़ा तथा जूट मिलों का पुनः चलाया जाना	Rehabilitation of Textile and Jute Mills	59
1039	भारतीय रेल डिब्बों का ताइवान को निर्यात	Supply of Indian Railway Coaches to Taiwan	59-60
1040	आयात लाइसेंस प्रणाली के स्थान पर टैरिफ व्यवस्था	Tariff Mechanism to replace import Licensing	60
1041	जूट के सामान के उपयोग का निर्धारण	Assessment of consumption of Jute Goods	60
1042	हथकरघा, हस्तशिल्प तथा नारियल जटा के लिये एक बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Single Board for Handloom Handicrafts and Coir	60-61
1043	सिली सिलाई कमीज उद्योग	Ready Made Shirts Industry	61
1044	बंगाल तथा बिहार में देशद्रोहियों तथा जासूसों की घुसपैठ रोकने के उपाय	Safeguard against Infiltration of Fifth Columnists and spies in West Bengal and Bihar	61-62
1045	सुरतगढ़ राजस्थान में रेडियो स्टेशन की स्थापना	Radio Station in Suratgarh Rajasthan	62
1046	व्यापार विकास प्राधिकरण	Trade Development Authority	62-64
1047	उपभोक्ता और प्रसाधन की सामग्रियों के आयात में उदारता बरतने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to Liberalise Imports of Consumer Goods and Cosmetics	64
1048	बड़े बड़े शहरों में टेलीफोन की असंतोषजनक सेवा	Unsatisfactory Telephone Service in Major Cities	64
1049	बिजली के सामान और मशीनों का निर्यात	Export of Electronic Goods and Machines	64-65
1050	प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार	Improvement in Performance of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates Appearingin Competitive Examinations	65-66
1051	बिहार राज्य में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना	Setting up of T.V. Station in Bihar	66-67
1052	दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सामान की बिक्री का संवर्द्धन करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal for Promoting Sale of Indian Goods in South East Asia	67

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1053	तम्बाकू निगम	Tobacco Corporation	67
1054	एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स ब्यावर, राजस्थान के बन्द होने की जांच करने सम्बन्धी समिति	Committee to enquire into closure of Edward Textile Mills, Beawar (Rajasthan)	67-68
1055	विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Trade	68
1056	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती नियमों का बनाया जाना	Framing of Recruitment Rules by UPSC	68
1057	गया (बिहार) में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Gaya (Bihar)	68
1058	भारत पाक यद्ध के दौरान भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested under Defence of India Act during Indo-Pak War	69
1059	विदेशों में स्थित खान तथा धातु व्यापार निगम की शाखाओं का कार्य निष्पादन	Performance of MMTC Branches located Abroad	69
1060	पोस्ट मास्टर जनरल (पंजाब) तथा डाक तार कर्मचारियों के बीच हुई बैठक से डाक तार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का उठकर चले जाना	Walk out by P & T Employees' Representatives from Meeting with P.M.G. Punjab	70
1061	भारत के निर्यात व्यापार में गिरावट	Decline in India's Export Trade	70
1062	कपड़ा उद्योग को हुई हानि	Losses Faced by Textile Industry	71
1063	अधिक दूरी की टेलीफोन काल के दर में कमी	Reduction in changes for long distance Calls	71
1066	पश्चिम एशियाई देशों को आई. सी. सी. द्वारा सीमेंट का निर्यात	Export of Cement by ICC to West Asian Countries	71
1067	भारत जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य व्यापार सम्बन्ध	Indo GDR TRADE Relations	72
1068	अतिरिक्त तदर्थ तकनीकी ऋण के लिये जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य की सरकार का अनुरोध	GDR Government's Request for Additional *ad hoc* Technical Credit	72
1069	रांची में काम कर रहे डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने के बारे में पुर्नविचार	Reconsideration of Grant of Project Allowance to P & T Employees stationed at Ranchi	72-73

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1070	शहतूत के कोकूनों के मूल्य में कमी	Fall in prices of Mulbery Cocons	73
1071	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Advisory Committee for AIR Calcutta	73-74
1072	तेलंगाना क्षेत्र का विकास	Development of Telengana Region	74-76
1073	केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन	Amendment of Central Silk Board Act and Rules made thereunder	76-77
1074	राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा की गई प्रगति	National Integration Councial	77-78
1075	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स लिमिटेड कानपुर को अपने अधिकार में लेना	Take over of Laxmi Ratan Cotton Mills Ltd., Kanpur.	78
1076	आन्ध्र प्रदेश में सेवाओं का क्षेत्रीकरण और मुल्की नियमों का लागू करना	Regionalisation of Services and Implementation of Mulki Rules in Andhra Pradesh	78-79
1077	दूर संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिये इंटर नेशनल डेवलपमेंट एसोशियेट द्वारा ऋण	IDA Credit to Modernise Telecommunication Net Work	79-80
1078	उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्धों का विकास	Development of Trade Links with North Vietnam	81
1079	वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assiastance of States for Financing Annual Plans	81
1080	राजस्थान में मंदिरों से प्रतिमाओं की चोरी	Thefts of Idols from Temples in Rajasthan	81-82
1081	प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष परीक्षा आयोजित किये जाने के सिफारिश	Special IAS Examination recommended by ARC	82
1082	तम्बाकू और समुद्री उत्पादों के लिये सरकारी क्षेत्र में निगम स्थापित करना	Public Sector Corporation for Tobacco and Marine Products	82
1083	अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण का कार्यक्रम	Programme of Training for Officers	82-83
1084	तम्बाकू उद्योग के सभी पहलूओं का अध्ययन करने के लिये आयोग	Commission to study all aspects of Tobacco Industry	83
1085	मोटर गाड़ियों के कल पुर्जों का निर्यात	Export of Auto Spares	83-84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1086 विदेशों के लिये विमान द्वारा पार्सल सेवा का विस्तार	Extension of Air Parcel Service to Foreign Countries	84-86
1087 आयातित कच्चे काजू के वितरण के लिये मानदण्ड	Criteria for Distribution of Imported Raw Cashew Nuts	86-87
1088 भारत के काजू निगम बोर्ड में केन्द्रीय मजदूर संघ केरल का प्रतिनिधित्व	Representation to Central Trade Union, Kerala in the Board of Cashew Corporation of India	87
1089 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देना	Traning in Hindi for Central Government Employees	87-88
1090 शिलांग के बड़े डाक घर में आग	Fire in GPO Shilong	88
1091 भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला	Regional Research Laboratory at Bhubaneswar	88-89
1092 राज्यों को स्वायत्तता दिया जाना	Autonomy for States	89
1093 भारत में वैध पारपत्र पर आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का अधिक दिन ठहरना	Overstay of Pak Nationals visiting India on valid Passports	89-90
1094 डाकुओं के उत्पात को समाप्त करने के लिये योजना लागू करना	Introduction of a Scheme for Eradication of Dacoit menace	90
1095 मुरैना (मध्यप्रदेश) में किराये के भवनों में डाक तथा तार घर	Post and Telegraph Offices in accommodation in Morena (Madhya Pradesh)	90-91
1096 पाकिस्तानी नागरिकों का दिल्ली में वैध पारपत्र पर दौरा	Visit by Pakistani Nationals to Delhi on Valid Passports	91
1097 ग्वालियर डिवीजन (मध्यप्रदेश) में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में निर्णयाधीन मामले	Cases pending in Courts against Central Government Employees Gwalior Division (Madhya Pradesh)	91
1098 कपड़ा मिलों को रुई का आवंटन	Allocation of Cotton to Textile Mills	91-92
1099 लघु उद्योगों के उत्पादों का निर्यात	Export of Small Scale Industries Products	92-93
1100 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति का हिन्दी के प्रशिक्षण के बारे में आदेश रद्द किया जाना	Presidential Order Re. Traning in Hindi Invalidated by Madras High Court	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1101 केरल में टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन	Proposed Agitation by Kerala Telephone Employees	93-94
1102 क्षेत्रीय असमताएं और असंतुलन	Regional Disparities and Imbalances	94-96
1103 पर्वतीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास	Economic Development of Hilly areas	97
1104 सेवा निवृत्ति की आयु का 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष किया जाना	Lowering of Retirement from 58 to 55 Years	97
1105 विकास योजनाओं के लिये रेडियो द्वारा प्रसारण	Radio Broadcast on Development plan	97-98
1106 त्रिपुरा में मिजो संकराक छापे	Mizo Sankrak Raids in Tripura	98
1107 त्रिपुरा में मिझो संकराक द्वारा छापे मारे गये स्थान	Places raided by Mizo Sankrak in Tripura	98
1108 त्रिपुरा में कताई मिल और पटसन मिल की स्थापना	Setting up of Spinning Mill and Jute Mill in Tripura	98-99
1109 त्रिपुरा में अलाभप्रद चाय बागान	Uneconomic Tea Estates in Tripura	99
1110 त्रिपुरा में लागू उड़ीसा निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपुरा में नजरबन्द व्यक्ति	Detenus in Tripura under Orissa Preventive Detention Act as extended to Tripura	99
1111 सुपर एक्सप्रेस टेलिग्राफ सर्विस	Super Express Telegraph Service	99-100
1112 इन्टैलिजेन्स ब्यूरो में परिवर्तन	Overhauling of Intelligence Bureau	100
1113 जर्मन जनतांत्रिक गणतंत्र द्वारा भारत से मांगा गया अतिरिक्त ऋण	Additional Credit sought by German Democratic Republic from India	100-101
1114 भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना	Resignations given by Scientific and Technical Personnel of Regional Research Laboratory, Bhubaneswar	101
1115 सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच दिवसीय सप्ताह का आरम्भ किया जाना	Introduction of 5-day week for Government Employees	101-102
1116 आकाशवाणी कलकत्ता से अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कार्यक्रम	Programme for Scheduled Tribes over AIR Calcutta	102
1117 योजना मंत्री की अमरीका की यात्रा	Yojana Mantri's Trip to USA	102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1118 कोयम्बतूर में क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करना	Introduction of Cross Bar Exchange Coimbatore	103
1119 केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission on Centre State Relations	103
1120 राज्य पुलिस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये तमिलनाडु राज्य को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tamil Nadu to Implement Recommendations of State Police Commission	103
1121 मद्रास में राजभवन को बदलना	Change of Raj Bhavan in Madras	104
1122 मदुरे और तिरुचिरापल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार	Expansion of Telephone Exchanges at Madurai and Tiruchirapalli	104
1123 दिल्ली के डाकघरों में प्रयोग किये जाने वाले मनीआर्डर फार्मों आदि पर अंग्रेजी भाषा का न होना	Absence of English Version in Money Order form etc. used in Delhi Post Offices	104-105
1124 उपग्रह संचार पर आधारित टेलीविजन केन्द्रों को स्थापना	T.V. Net work based on Satellite Communications	105
1125 विशेष डाक टिकटों का जारी किया जाना	Issuance of Special Postal Stamps	105-106
1126 स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री का वृत्त चित्र	Documentary Film on Late Lal Bahadur Shastri	106
1127 भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की स्थापना	Setting up of Indian International News Agency	106-107
1128 आकाशवाणी मंत्रणा बोर्डों की बैठकों की संख्या	Advisory Boards of AIR	107
1130 आकाशवाणी को स्वायत्त निकाय के रूप में बदलना	Conversion of All India Radio into an Independent Body	107
1131 सरकार के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन	Changes in Administrative Set up of Government	107-108
1132 गांधी नगर और अहमदाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था	STD Scheme between Gandhinagar and Ahmedabad	108
1133 सोनारी एक्सचेंज, आसाम की खराब टेलीफोन सेवा	Bad Telephone Service by Sonari Exchange, Assam	108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1134 मध्यप्रदेश के जाम्रोरा डाकघर में पर्याप्त सुविधाम्रों की कमी	Absence of Adequate Arrangements in Jaora Post Office in Madhya Pradesh	109
1135 मध्यप्रदेश में ग्रायात लाइसेंस कार्यालय	Import Licensing Office in Madhya Pradesh	109-110
1136 पश्चिम बंगाल में सैनिक टुकड़ियों ग्रौर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की लगातार तैनाती के सम्बन्ध में पुर्नविचार	Review re. continued Posting of CRP and Army Units in West Bengal	110
1137 सिल्चर में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Silchar	110-111
1138 मध्यप्रदेश से प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाग्रों के लिये ग्रखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota for M.P. Weeklies etc.	111
ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ग्रोर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
सूती कपड़ा मिलों को बन्द करने की कथित धमकी	Reported threat of closure of cotton textile Mills	111-116
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	111-114
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	112-116
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117-122
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
पहला प्रतिवेदन	First Report	122
बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट दल की सरकार द्वारा एक सदस्यीय जांच ग्रायोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	Statement re. appointment of one man Commission of Enquiry by the SSP led Government in Bihar	122-126
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	122-126
समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees	126-127
(क) इलायची बोर्ड	Cardamom Board	126-127
(ख) काफी बोर्ड	Coffee Board	127

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक	General Insurance (Emergency Provisions) Bill	127-143
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	127-129
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	129-132
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	132
श्री विक्रमचन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	132
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani	132-133
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	133
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey	133-134
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri N.K. Sharma	134
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agrawal	134-135
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	135
श्री कादर	Shri Kadar	135-136
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	136-137
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	137-138
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	138-139
श्री काले	Shri Kale	139
श्री बी. आर. शुक्ल	Shri B.R. Shukla	139
श्री शशिभूषण	Shri Shashi Bhushan	139-140
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephan	140-141
खंड 2 से 17 तथा 1	Clauses 2 to 17 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	143
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	141-143
सामान्य बजट, 1971-72 सामान्य चर्चा	General Budget 1971-72 General Discussion	144-149
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	144-147
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	147-149
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R.D. Bhandare	149

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 2 जून, 1971/12 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

Wednesday, June 2, 1971/Jyaistha 12, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हस्तशिल्प उद्योग की वस्तुओं का निर्यात

*211. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की वस्तुओं और कलात्मक वस्तुओं की बड़ी मांग है और इस समय निर्यात हुआ माल उन देशों में मांग की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) हस्तशिल्प उद्योग की वस्तुओं के निर्यात में लगी प्रमुख सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं और क्या उनसे हस्तशिल्प उद्योग की वस्तुओं की विदेशी बाजार में बिक्री बढ़ाने के लिये सर्वेक्षण करने को कहा गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में भारत से हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात क्रमशः 54.76 करोड़ रु० 75.24 करोड़ रु० तथा 83.29 करोड़ रु० थे। निर्यात मांग को पूरा करने के लिये हस्तशिल्प की वस्तुओं की कोई कमी नहीं है।

(ख) तीन केन्द्रीय सरकारी अभिकरण, अर्थात भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम, नई दिल्ली और हस्तशिल्प एम्पोरियम, मद्रास हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में लगे हुए हैं। विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की प्रतियोगिता–क्षमता का निरंतर अध्ययन किया जाता है :

राम सहाय पान्डे : विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कौन से कार्यक्रम बनाये गये हैं ? दूसरे क्या हमारी हस्तशिल्प की वस्तुओं की सभी देशों में अच्छी मांग है क्योंकि ये वस्तुयें प्रचलित तथा आकर्षक हैं, और यदि हों तो क्या सरकार का विचार ऐसी एजेंसियां बनाने का है जिनके माध्यम से सरकार हस्तशिल्पियों से कह सके कि वे विदेशों में जायें और हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिये मंडियों की खोज करें जिससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके तथा हमारी वस्तुयें और अधिक प्रचलित हो सकें।

श्री ए० सी० जार्ज : जहाँ तक निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रमों का प्रश्न है भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां हस्तशिल्प की वस्तुओं को सभी देशों में अधिकाधिक प्रचलित बनाने के लिये बाजारों के पर्यवेक्षण हेतु अथक प्रयत्न कर रही हैं। इसके अतिरिक्त हम आसान शर्तों पर कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं । नये डिजाइनों का समावेश किया जा रहा है।

दूसरे, विभिन्न देशों में हस्तशिल्पों की अधिकाधिक खपत का पता लगाने के लिये हमने प्रदर्शनियों का आयोजन किया है तथा ऐसे ही अन्य दूसरे कार्यक्रम बनाये हैं ।

श्री रामसहाय पान्डे : क्या भारत सरकार ने, विशेषतया आपके मंत्रालय ने हस्तशिल्पों की निर्यात क्षमता का मूल्यांकन किया है कि आगामी पांच वर्षों में इन वस्तुओं का कितना निर्यात किया जा सकता है और इससे देश को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपने कार्यक्रमों को तेज करें और बाजारों का पता लगाने के लिये एजेंशियों को विदेशों में भेजने के नये ढंग अपनायें तो आप 5 वर्ष में इन वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि कर सकते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, हमारे पास हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि करने का एक निश्चित कार्यक्रम है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चौथी योजना के लिये हमारा निर्यात लक्ष्य 100 करोड़ रु० का है और हम लगभग 95 करोड़ रू० की हस्तशिल्पी वस्तुओं का निर्यात कर भी चुके हैं। योजना की शेष अवधि के लिये हम अपने लक्ष्य का पुनरीक्षण कर रहे हैं । अपने देश की हस्तशिल्पी वस्तुओं के प्रचार के लिये हमारे पास अधिकारी हैं जो विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं तथा स्थिति का अध्ययन करते हैं। हमारे हस्तशिल्पों की मांग बढ़ रही है कुछ वस्तु विशेष जैसे कालीनों की मांग में कमी हुई है और यह भी विशेषत: ब्रिटेन में। हम उस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हस्तशिल्पों के निर्यात का भविष्य उज्जवल है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हस्तशिल्पों के उत्पादन के अनुपात में निर्यात की प्रतिशतता क्या है और वे कौन से देश हैं जिनमें हमारे हस्तशिल्पों की सबसे अधिक खपत होती है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस प्रश्न के लिये पहले नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है । उसके पश्चात आंकड़े दिये जा सकते हैं ।

Shri Hukamchand Kachwai : We are exporting in large quantity the goods manufactured by handicrafts industries and would do so in future also. But the Craftsman are not getting their due profits. I would like to know whether there is any plan under consideration of the Government by which craftsman could get their due proportion in profits. I would also like to know, whether the Government would arrange facilities for these people to go abroad where thet demand of handdicrafts are more so that they may explore the export possibllities and be encouraged ?

Shri L. N. Mishra : As regards craftsman's profit are concerned, position differ from place to place. At certain places they get good returns and at certain other places they do not. The best way is to form Co-operatives of the craftsman and these Co-operatives should manage the sale of these handicrafts. It is true that unless the brokers are there, craftsman cannot get their due share. But this business is to be looked into by the State Governments, they should organise Co-operatives and see that their functioning is satis factory. Regarding the question of standing them abroad, it would be a pleasure if they four our delegations. We have already arranged for them to go abroad and are ready to send them in future also. Those who want to go abroad would get facilities and assistance from the Government.

श्री कादर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन वस्तुओं का निर्यात स्थानीय बाजारों के मूल्यों पर ही किया जा रहा है अथवा निर्यात में मूल्य स्थानीय बाजारों से कम हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे विचार से इनके मूल्य स्थानीय बाजारों से कम नहीं हैं। हम निर्यातकों को प्रोत्साहन अवश्य देते हैं ।

श्री कादर : कितना ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री यमुना प्रसाद मंडल ।

महात्मा गाँधी की हत्या के सम्बन्ध में नियुक्त कपूर आयोग की जांच के परिणामों पर महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणी

*212. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में नियुक्त कपूर आयोग के जांच परिणामों पर महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणियां केन्द्रीय सरकार को अब प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : श्री जी० वी० केतकर पर जिसको आयोग के अनुसार महात्मा गांधी की हत्या के षड़यंत्र की पूर्व जानकारी थी, पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है । आयोग के उन निष्कर्षों पर भी जिनमें अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की आलोचना की गई है, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Mr. Speaker, Sir, he was witness no. 1, and appeared before the Commission thrice to give evidence. Mr. Kapoor has remarked about Ketkar that there is evidence that he belongs to the same school of thought as Nathu Ram Godse and Apte.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : I would like to know, whether the Home Minister would write to the Government of Maharashtra regarding the early prosecution of Shri Ketkar like Godse ?

श्री कृष्णचन्द्र पंत : प्रश्न, कपूर आयोग के निष्कर्ष के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित है । आयोग का प्रतिवेदन महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया था । जिन बातों की जानकारी के किये आयोग नियुक्त किया गया था उनमें यह बात भी थी कि क्या पूना के श्री केतकर को पहले ही से महात्मा गांधी की हत्या करने के नाथूराम गोडसे के षड़यंत्र का पता था । इस सम्बन्ध में आयोग एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा हैं ।

Shri B. P. Maurya : Mr. Speaker, sir, do not allow Hindi to be downgraded to be downgraded to this extent. The question asked in Hindi should at least be replied to in Hini.

Shri K. C. Pant : The comnission has come to the conclusion that shri ketkar, the name mentioned in terms of reference, had the information of the conspiracy. As I have said, we had written to Maharashtra Government after that. In the month of January Maharashtra Government had intimated that they were thinking of the action requised to be taken, whether he should be prosecuted. The second question was regarding the officers involved. Shri Kapoor has passed strictnees on one officer. The state Government has said that they are examining the matter and the action to be taked.

Shri B. P. Maurya : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether the Government is aware that a book, "Nine Hours with Rama", regarding the assassination of Mahatma Gandhi had been written in America and there is a inclusion of Home Minister and certain other Ministers also, if so, what action has been taken by the Government in this respect ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है जो 'महाराष्ट्र की प्रतिक्रिया से संबंधित है।

श्री शंकरराव सावन्त : उस अधिकारी का नाम क्या है जिसके विरुद्ध आयोग ने अभियोग लगाया गया है ?

श्री कृष्णचन्द्र पंत : श्री यू० एच० राणा, जो कि उस समय पूना गुप्तचर विभाग में डी० आय० जी० थे ।

Shri Sarjoo Pandey : What is the total number of officers mentioned in the commission's report who had prior information about Mahatma Gandhi's assassination? In these any mention of any great leader who was involved in the conspiracy?

Shri K. C. Pant : I have already resplied that. There was no mention regarding the prior information to any officer. The Commissioner has commented upon actions required to be taken or the action taken by the officers on receipt of information of the conspiracy. The names of these officers have specifically been mentioned and the action is

being taken against them. Out of these three, one is no more in the world and the action is being taken against the remaining two.

Infiltration of Non Bengla Speaking People from east Pakistan in India

+

*213 **Shri Jagannathrao Joshi:**
Shri Jadeja:
Shri Nihar Laskar:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a large number of non-Bangla speaking infiltrators amongst the refugees from East Bengal were taken into custody in the months of March, April and May, 1971; and

(b) if so, the action taken against them?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री (कृष्ण चन्द्र पंत) :(क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : If such replies are given then there is no use of asking questions. What I mean to say is that the replies should be given only when the information available is complete so that we may ask supplementaries. I know that the hon. Minister wants to avoid replying questions because it would enable him to put down the relevant facts on the table of the House and at that time we would not be able to ask supplementaries. You should direct them that they should reply only when the information available with them is complete. This would enable us to ask supplementaries.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम प्रश्न के लिये दस दिन का नोटिस देते हैं। इतने पर भी यदि मंत्रियों के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया गया है तो आप इस समय । अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार पूछ सकते हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : I would like to know that in the month of April......

Mr. Speaker : He has got no reply, why are you asking a question ?

Shri Jegannath Rao Joshi : You should direct them not reply in this way in future.. *(Interruptions)*

Shri Hukumchand Kachwai : We give them twenty one days still they are found short of information.

Mr. Speaker : If the Minister does not reply, what we are to do ?

श्री एस० एम० बनर्जी : इस संबंध में मुझे आपका निर्देश चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 10 दिन का नोटिस देने का क्या लाभ है। इतना समय सूचना उपलब्ध करने के लिये दिया जाता है।

Shri K. C. Pant : I would like the hon. members to see to the present state of affairs. A large number of people have came and they are still pouring in. This time we are concerned with making arrangements for their rehabilitation. The question that the number of Bangla and non-Bangla speaking people........(*Interruptions*)

One hon. Member : The question is quite clear.

Shri K. C. Pant : This much I know, but at present the state Government are busy in providing them maximum relief to in this context we should understand the difficulties of the State Governments regarding furnishing the required infomation we have asked them to furnish the information imediately and whenever it is received, it would be placed on the tablie of the House.

Shri Jagannath Rao Joshi : They may take one or two days more but the information should be supplied. You should direct them accordingly.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री इस विषय पर कुछ समय पश्चात वक्तव्य दे सकते है।

Shri Hukumchand Kachwai : It is really distressing that there is no answer to the question asked on 7th of the last month.

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे टाल रहे हैं।

जापान को लोह अयस्क का निर्यात

*215. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीर्घावधि ठेकों के अनुसार वर्ष 1970-71 में जापान को कितना लौह अयस्क भेजने का वचन दिया गया था और वास्तव में कितना भेजा गया।

(ख) यदि लौह अयस्क कम मात्रा में सप्लाई किया गया तो इसके कारण क्या थे; और

(ग) क्या लौह अयस्क को विलम्ब से भेजने अथवा ठेके की शर्तों को पूरा न करने के लिये हर्जाना देना पड़ा था; और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) सम्बद्ध संविदाओं की शर्तों के अधीन कम परिमाण में माल की सुपुर्दगी पर कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता अतः इसके फलस्वरूप कोई हानि नहीं हुई है।

विवरण

विभिन्न संविदाओं को सम्मिलित रूप में लेने पर वित्तीय वर्ष 1970-71 में जापान को 103.4 लाख मे0 टन लौह अयस्क का निर्यात किया जाना था जब कि 82.4 लाख मे0 टन के ही कुल निर्यात हुए। इसके फलस्वरूप हुई 21 लाख मे0 टन की कमी में से लगभग आधी बेलाडिला खान में उत्पादन में हुई गिरावट के फलस्वरूप है। शेष कमी विभिन्न कारणों से हुई जिनमें प्रमुख ये थे: गत वर्ष अप्रैल में मद्रास पत्तन पर हड़ताल और उसी साल बाद में कलकत्ता पत्तन में लम्बी हड़ताल और गत वर्ष के मध्य में पारादीप पत्तन और कलकत्ता की ओर बराजनदा अयस्क की रेलवे द्वारा ढुलाई में कमी।

श्री एस० आर० दामाणी : मैंने यह स्पष्ट रूप से पूछा था कि दीर्घावधि ठेकों पर कितनी मात्रा में निर्यात किया गया परन्तु विवरण में सभी बातें साथ मिली हुई हैं। मैं अपने विशेष प्रश्न का निश्चित उत्तर चाहता हूं।

श्री एल० एन० मिश्र : विवरण में हमने यह उल्लेख किया था कि विभिन्न ठेकों को एक साथ लेते हुये, जिसमें दीर्घावधि ठेके भी सम्मिलित हैं, वित्तिय वर्ष 1970–71 में जापान को 103·4 लाख टन लौह अयस्क निर्यात किया जाना था जिसमें से केवल 82·4 लाख टन ही भेजा गया। जिसके कारण 21 लाख टन की कमी रही। मैं मानता हूं कि कमी हुई है।

श्री एस० आर० दामाणी : बेलाडिला खानों में कम उत्पादन के कारण यह कमी हुई है। चालू वर्ष में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और क्या हम अपने ठेकों में की गई शर्तों को पूरा कर सकेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : बेलाडिला में उत्पादन में गिरावट आई है। फिर मद्रास तथा कलकत्ता पत्तनों में हड़तालें हुई थीं। बेलाडिला खान की देख रेख राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा की जा रही है। आरंभ में त्रुटिपूर्ण प्लानिंग के कारण गिरावट आई। गत वर्ष गिरावट आने का कारण पुर्जों की कम उपलब्धता थी। एक जांच समिति गठित की गई और पुर्जों की एक सूची बनाई गई। इन पुर्जों को लाने के लिये एक दल मास्को भेजा गया। दुर्भाग्यवश आवश्यक माल के आने में कुछ देर हो गई है। बेलाडिला में गिरावट का मुख्य कारण यह रहा है।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या गिरावट जारी रहेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने स्पष्ट कर दिया कि प्लानिंग त्रुटिपूर्ण रही है।

श्री संजीवी राव : लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में मुझे आशंका है कि हम विशाखापत्तन बाह्य बन्दरगाह परियोजना के उपरान्त भी अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकेंगे। क्या सरकार गोदावरी के तटीय प्रदेश में बेलाडिला को भद्राचलम के साथ रेलवे लाइन से जोड़ने पर विचार कर रही है क्योंकि यदि एक बार ही लौह-अयस्क भद्राचलम पहुंच जायेगा तो इसे नावों (बार्जेज) द्वारा कासीनाडा भेजा जा सकता है ?

श्री एल०एन० मिश्र : लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि न होने का प्रमुख कारण अपर्याप्त परिवहन सुविधा है। इस समय मैं इस विशेष रेलवे लाईन के बारे में कुछ नहीं कह सकता परन्तु हम भी यह महसूस करते हैं कि यदि हमारे पास अतिरिक्त रेल सुविधायें हों तो लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

श्री के० लकप्पा : हम देश में प्रभावी पत्तन तथा रेल सुविधाओं की कमी के कारण जापान को निर्यात क्षमता में हानि उठा रहे हैं। साथ ही आस्ट्रेलिया भी इस क्षेत्र में भारत के साथ होड़ लगा रहा है। क्या सरकार आवश्यक पत्तन तथा रेल सुविधायें देकर परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों पर विजय पाने का विचार करेगी ? सरकार इन कठिनाइयों को कब तक दूर करने की आशा है ताकि हम जापान को निर्यात अधिक कर सकें और आस्ट्रेलिया के साथ प्रभावी रूप से होड़ लगा सकें ?

श्री एल०एन०मिश्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे पास रेल और पत्तन दोनों सुविधाओंकी कमी है। जापान को निर्यात के बारे में हमारी आस्ट्रेलिया के साथ कोई होड़ नहीं है। हमने जापान के साथ दीर्घावधी करार कर रखे हैं और सौभाग्यवश हम इसे पूरा करने की स्थिति में है।

श्री ज्योतीर्मय बसु : क्या यह सच है कि भारत से जापान को लौह अयस्क के निर्यात में नौतल पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर 15 रुपये प्रति टन की हानि होती है जिसमें केवल खनन और परिवहन लागत सम्मिलित है और लौह अयस्क की वास्तविक कीमत सम्मिलित नहीं की गई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु की रुचि का विषय है। इस प्रश्न को उन्होंने बहुत बार उठाया है। तीन-चार वर्ष पूर्व यह ठेका हुआ था और अभी मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कोई ऐसी बात नहीं है कि निर्यात में घाटा है। उन्होंने हिसाब लगाने का जो तरीका अख्तियार कर रखा है उस पर यह निर्भर करता है। वह समझते हैं कि इस ठेके में घाटा है परन्तु खान तथा धातु व्यापार निगम के विचार से इस ठेके में कोई घाटा नहीं है। इस मामले पर मैं अपने कोई विचार नहीं रख सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी समिति में कार्य करते हैं और आपको सब बातों की जानकारी रखनी चाहिये। विदेश व्यापार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में उन्होने खान तथा धातु व्यापार निगम के निदेशक से परामर्श करने के पश्चात् स्वीकार किया था कि हमें नौतल पर्यन्त निशुल्क पर प्रति टन 15 रुपये की हानि हो रही है और इसमें निर्यात की गई वस्तु अर्थात् लौह-अयस्क की कीमत सम्मिलित नहीं है।

श्री एल०एन०मिश्र : मैंने स्वीकार नहीं किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह कहते हुये खेद है कि मंत्री महोदय सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री के०लकप्पा : समिति की कार्यवाही को उन्हें यहां पर नही रखना चाहिये। यह विशेषाधिकार का मामला है।

गांवों में पत्र-पेटियों (पोस्ट बाक्सों) की कमी

*217. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि गांवों में लगभग 1000 निवासियों के पीछे एक पत्र-पेटी (पोस्ट बाक्स) की भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि रोजाना डाक बांटने वाले डाकिये द्वारा आसानी से डाक निकाली जा सके; और

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुणा): (क) तथा (ख). एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

डाक-तार विभाग के मानकों के अनुसार सामान्यतः किसी भी ऐसे गांव में लेटर बक्स की व्यवस्था कर दी जाती है जहां दिन में औसतन दो पत्र प्राप्त होते हों और जो निकटतम डाकघर या लेटर बक्स से एक मील की दूरी पर स्थित हो । इस तरह गांवों में लेटर बक्सों की व्यवस्था करना गांवों के पत्र परियात और निकटतम डाकघर या लेटर बक्स से दूरी पर निर्भर करता है, न कि गांव की जनसंख्या पर। जिन गाँवों में लेटर बक्स नहीं लगाए जाते, उनमें अब भी पत्र वितरण एजेंट या ग्राम डाकिये के जरिये इकट्ठे किए जाते हैं और गांव में जितने समय के बाद वितरण किया जाए, उतने समय के बाद ही वहां से डाक इकट्ठी की जाती है । इसलिए इसी कारण से कि वितरण करने वाला डाकिया या एजेंट आसानी से लेटर बक्स से डाक निकाल सकता है, किसी गांव में लेटर बक्स लगाये जाने का मानदंड नहीं हो सकता जबकि वहां वितरण एजेंट के जरिये डाक इकट्ठी करने की सुविधाएं पहले ही उलब्ध हों तथापि यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां 1-1-71 को देश में लेटर बक्सों की संख्या 1,62,282 है, वहां 1961 की जनगणना के अनुसार देश भर में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या केवल 95,953 है । इसलिये यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले अधिकांश गांवों में पहले ही लेटर बक्सों की व्यवस्था कर दी गई है । तथापि डाक इकट्ठी करने और वितरण करने की सुविधा का और गांवों में विस्तार करने और इसे पहले से अधिक बार करने के लिए डाक-तार विभाग लगातार पुनरीक्षण करता रहता है ।

श्री० डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय जिला पंचायतों से प्राप्त संकल्प को ध्यान में रखते हुये ऐसे गावों में पत्र-पेटियों के लगाने की व्यवस्था करेंगे जहां स्कूल और कम से कम पंचायत घरों की सुविधायें हैं ?

श्री एच० एन० बहुगुणा : किसी गांव में पत्र-पेटी का लगाना उस गांव से भेजे गये और उसके द्वारा प्राप्त किये गये पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है । यदि किसी गांव में एक दिन में दो पत्र औसतन आते हैं तो वहां पत्र-पेटी लगा दी जाती है ।

श्री डी० डी० देसाई : कोई पड़ताल सर्वेक्षण किये बिना ही पत्रों के प्राप्त होने और भेजे जाने का निर्धारण कैसे संभव होगा। सरकार की देहाती जनसंख्या में अभिरूचि और वहां पर बढ़ती हुई

साक्षरता को ध्यान मे रखते हुये वर्ष 1971 में की गई देहातों की जनगणना के आधार पर कुछ सुविधा प्रदान की जा सकती है ।

श्री एच० एन० बहुगुणा : पत्र-पेटी के लिये गांव को आवश्यकता के लिये जनसंख्या कोई मानदंड नहीं है। केवल किसी गांव विशेष से भेजी गई और वहां पर आई डाक के आधार पर ही पत्र पेटी की आवश्यकता निश्चित की जाती है । इस बारे में सरकार बहुत उदार है और जैसा कि मैं अपने विवरण में उल्लेख कर चुका हूं एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में पत्र पेटियां लगाई हुई हैं और ऐसे गांवों की संख्या तो कठिनाई से 95,000 है जब कि हमने सारे देश में 1,62,000 पत्र-पेटियां लगा रखी हैं । उस पर सरकार सदा ध्यान देती रहती है और डाक-विभाग ऐसी सुविधायें प्रदान करता है और जहां कहीं भी पत्र पेटी की मांग होती है, वहां एक पत्र-पेटी लगा दी जाती हैं ।

श्री टी० बालकृष्णया : क्या मंत्री महोदय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षीत युवकों की बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुये गांवों में शाखा-डाक पालों के स्थान पर नियमित डाक पाल नियुक्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री एच० एन० बहुगुणा : मेरे माननीय मित्र ने डाक पालों के बारे में प्रश्न किया है जो मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि प्रश्न पत्र-पेटियों की व्यवस्था के बारे में हैं ।

Shri Lalji Bhai : Mr. speaker, Sir, May I know the number of villages having population of two thousand where there are no post-offices and as a result of that letters are delivered late ?

Shri H. N. Bahuguna : The main question is about post-boxes and not about post-offices. It requires notice.

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता

*219. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता देना स्वीकार कर लिया था; और यदि हां, तो मार्च, 1971 तक इस कार्य के लिये कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई; और

(ख) क्या पटसन उद्योग द्वारा उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) औद्योगिक वित्त निगम ने 31 मार्च, 1971 तक पटसन मिलों के आधुनिकीकरण विविधिकरण के लिये 645.95 लाख रु० की ऋण सहायता मंजूर कर दी है ।

(ख) उद्योग द्वारा अब तक 261.53 लाख रु० के कुल ऋण लिये गये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी दिये गये उत्तर से ऐसा लगता है कि जितनी धन राशि मंजूर की गई है उसका उद्योग द्वारा पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा हैं । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे

कि इस समय पाकिस्तान के पटसन उद्योग की ग्रस्त व्यस्तता के कारण हमारा माल बेचने के लिये निर्यात बाजार में काफी अच्छा वातावरण उत्पन्न हो गया था और आने वाले थोड़े समय के लिये पटसन मिलों को धन अथवा ऋण देना बंद कर दिया जा सकता है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है और अभी वे बिना किसी प्रभावी होड़ के भय के आसानी से अपना माल बेच सकते हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : पटसन मिलों का आधुनिकीकरण करना हमारे लिये आवश्यक है। सही बात तो यह है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुई घटनाओं के कारण एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है। परन्तु हमें अपना बाजार बनाये रखना है; हम अपने प्रतियोगी की कठिनाई अथवा किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं कर सकते हैं । अतः अब भी मेरा यह विचार है कि हमें पटसन मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिये । हमें पटसन मिल मालिकों से आवश्यक सहयोग नहीं मिला है यदि इस उद्योग को बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हे चाहिये कि वे मिलों का आधुनिकीकरण करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि मिलों के आधुनिकी-करण से निम्न उत्पादन लागत के रूप में जो लाभ होने वाला है और मालिकों द्वारा सट्टेबाजी के कारण अधिक प्रतियोगितात्मक विक्रय मूल्य बढ़ रहा है जिससे कीमतें कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। उसके कारण पटसन के गलीचे और थैलों के बाजार में मांग कम होगी। सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिये वह क्या कर रहे हैं?

श्री एल० एन० मिश्र : सौदे-बाजी वाले पहलू पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि प्रश्न पटसन के सामान के निर्यात के बारे में है। यह सही है कि गत वर्ष पटसन के गलीचों की मांग काफी कम हो गई थी और इस समय अमरीका और पश्चिमी योरोप के बाजार में इसकी मांग बढ़ रही है । इसलिये हम इस उद्योग को अन्य सुविधायें भी देना चाहते है क्योंकि यह उचित समय है जब हम बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। मैं श्री इन्द्रजित गुप्त से अनुरोध करूंगा कि वह सट्टेबाजी आदि अन्य पहलुओं के बारे में न पूछे । योरोपीय देशों और अमरीका के बाजार में हमारे माल के निर्यात के सम्बन्ध में मैं उत्तर दे सकता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सौदे बाजी के कारण निर्यात क्षमता में बाधा पड़ रही है। वह सौदेबाजी पर नियन्त्रण करने के लिये क्या कर रहे हैं? सट्टेबाजी के कारण विदेशों के बाजार में माल बेचने की संभावना समाप्त हो गई है।

श्री एल० एन० मिश्र : वह पटसन परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं। हम कलकत्ता में थे। मैं कह चुका हूं कि पटसन उद्योग में सट्टेबाजी ठीक नहीं है।

मैंने सदा इसे हतोत्साहित किया है और उन्हें भी ऐसा करने से मना किया है । मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में हमें क्या कानूनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि हमें कुछ शक्तियाँ प्राप्त है तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। पटसन उद्योग के लिए सट्टेबाजी करना वांछनीय नहीं।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयत्र की स्थापना

*220 **श्री मुरूगन्तम :**

प्रो० एस० एल० सक्सेना :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) उक्त परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरूगन्तम : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई और परमाणु संयंत्र स्थापित करने का है । यदि हाँ तो स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों की संख्या क्या है तथा वे कहां स्थापित किए जायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चौथी योजना के दौरान नए परमाणु शक्ति संयंत्रों के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है । जहां तक इन नए संयंत्रों के लिए स्थल चुनने का प्रश्न है परमाणु शक्ति आयोग ने इस सम्बन्ध में सितम्बर 1970 को एक स्थल चयन समिति की नियुक्ति की थी और यह समिति विभिन्न स्थलों का परीक्षण कर रही है तथा एक वर्ष के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सक्सेना........अनुपस्थित श्री एस० एम० बनर्जी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कोई परमाणु शक्ति संयंत्र नहीं स्थापित किया जायगा । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह उस क्षेत्र के लोगों के प्रति अन्याय नहीं होगा जबकि पहले यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में एक स्थल चयन समिति गठित की गई है और अब संयंत्र स्थापित किए जाने से साफ इन्कार किया जा रहा है । क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को अपने क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित करने का पुनः अनुरोध किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक बेकारी है और यदि यह अनुरोध किया गया है तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में संयंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा । प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में शक्ति संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर अनुमति दे दी है और जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि एक स्थल चयन समिति इस बारे में विभिन्न

स्थलों का निरिक्षण कर रही है और उत्तर प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है। अतः मेरे यह कहने का प्रश्न ही नहीं उठता कि इसे स्वीकृति नहीं दी जाएगी। मैंने तो केवल माननीय सदस्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है।

श्री एन० एन० पांडे : क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शक्ति संयंत्र स्थापित करने का सरकार से अनुरोध किया है। यदि हाँ तो सरकार इस मामले पर कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे मालुम नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से ऐसा कोई अनुरोध किया है किन्तु में माननीय सदस्य की जानकारी हेतु इतना बताना चाहता हूँ कि पहले भी इस मामले पर विचार करने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई थी जिसने कुछ सुझाव भी पेश किए थे। यह दूसरी स्थल चयन समिति है। पहली समिति के सुझावों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया था। स्थल निर्धारण करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। यह मुख्य रूप से ऐसा मामला है जिसमें विशेषज्ञों को सही स्थान चयन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस पर और कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि समिति इस सम्बन्ध में अभी कार्य कर रही है।

Shri B. P. Maurya : Mr. Speaker, Sir the Prime Minister comes from U. P. but supply of electricity in that state is in deplorable condition, sometimes they get electric energy from Madhya Pradesh and sometime from Rajasthan. please allow me to put the question......(*Interruptions*). It is an important question......(*Interruptions*). Many important point has not so far been answered. When I was member of the Lock Sabha ......(*Interruptions*). A large number of tubewells are lying idle in U. P.....(*Interrntations*)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर और प्रश्न उठाने की अनुमती नहीं दे सकता। अगला प्रश्न।

देशी भाषाओं के समाचार-पत्रों को उन्ही की भाषा में समाचार देना

*222. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि समाचार एजेन्सियां देशी भाषाओं के पत्रों को उन्हीं की भाषाओं में समाचार दें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). जबकि पी० टी० आई० और यू० एन० आई० समाचारों को केवल अंग्रेजी में भेजती है, दो अन्य समाचार एजेन्सियां अर्थात् 'हिन्दुस्तान समाचार' तथा 'समाचार भारती' अनेक भारतीय भाषाओं में समाचार भेजती हैं।

श्री एम० कतामुतु : मंत्री महोदया का कहना हैं केवल दो समाचार एजेंसियां अनेक भारतीय भाषाओं में समाचार भेजती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन छोटे तथा मध्यम समाचार

पत्रों के संवर्द्धन हेतु सरकार ने पी० टी० आई० और यू० एन० आई० को विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार भेजने के लिए कहा है । यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

श्रीमती नंदिनी सत्पथी : समाचार एजेंसियां स्वायत्त संस्थाएं हैं । सरकार का उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है ।

Shri Jagannathrao Joshi : Many small newspapers are published in regional languages and these are small news agencies which supply them the news. I want to know whether the Government has under consideration any proposal to provide facilities to such news agencies so as to encourage them to supply news in regional languages to newspapers which are published on district leval ?

Shri Nandini Satpathi : Hindustan Samachar and Samachar Bharati alone supply news in Indian languages, Whenever these agencies seek Government's help Government considers their demand and gives assistance.

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दो समाचार एजेंसियों द्वारा किन किन भाषाओं में समाचार भेजे जाते हैं ।

श्रीमती नंदिनी सत्पथी : हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी अंग्रजी के अतिरिक्त हिन्दी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, मराठी, असामी, गुजराती तथा मलयालम में समाचार भेजती है और 'समाचार भारती' द्वारा भी हिन्दी, उर्दू, गुजराती, मराठी, और तमिल में समाचार भेजे जाते हैं ।

रुई की गाठों का आयात

*223. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुई की कमी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों से रुई की गाठें आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो किस देश से ; और रुई कब तक खरीदी जायेगी तथा उसकी शर्तें क्या होंगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग). जी हां । देश में रुई की कमी के कारण 1970-71 के रुई वर्ष में 10.55 लाख गाठें रुई आयात करने की अनुमति दी गई है ।

निम्नलिखत स्त्रोतों से रुई आयात की जाती है:—

(1) सं० अ० गणराज्य तथा सूडान	द्विपक्षिय व्यापार करार के अन्तर्गत ।
(2) सं० रा० अमरीका	पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत ।
(3) पूर्व अफ्रिका, पेरू, तुर्की, ईरान, सं० रा० अमरीका आदि ।	मुक्त विदेशी मुद्रा स्त्रोतों के अन्तर्गत ।

श्री के० लकप्पा : यद्यपि रुई जनसाधारण के लिये बहुत जरूरी है, फिर भी भारत सरकार रुई के आयात के लिये अन्य देशों पर निर्भर करती है । मंत्री महोदय के विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि रुई की वास्तविक कमी कितनी है । कमी कितनी है और इसके कारण क्या हैं ?

श्री एल०एन०मिश्र : कमी केवल इसी वर्ष नहीं हुई, यह तो वास्तव में चिरकालीन है, इसवर्ष स्वदेशी रुई की पैदावार की कमी का कारण महाराष्ट्र, हरियाणा तथा मद्रास में रुई की कम फसल का होना है । लेकिन बाद की गणना से पता चला कि रुई की पैदावार इससे भी कम हुई है । पहले हम विदेश से 8.5 लाख टन रुई आयात करने पर विचार कर रहे थे । उसके बाद 10 लाख टन का निर्णय हुआ और फिर 12 लाख टन का हुआ । अब ये आंकड़े 14 से 16 लाख टन गांठों के बीच हैं । आजकल हमने बाहरी देशों से, जिसमें पी०एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका भी शामिल है, 10.5 लाख टन गांठे आयात करने का निर्णय लिया है ।

श्री के० लकप्पा : यद्यपि रुई उत्पादन के लिये इस देश का वातावरण अनुकुल है, फिर भी इसका लाभ नहीं उठाया जाता । यहां पर कुछ ऐसे धनी व्यापारी भी हैं जो अमरीका की रुई के लिये यहां अच्छी मार्केट बनाना चाहते हैं। वे आयात लाइसेन्स ले रहे हैं और इस देश को अमरीका की रुई पर निर्भर बना रहे हैं । रुई की जमाखोरी करने वाले, चोरबाजारी करने वाले तथा बड़े व्यापार गृहों द्वारा अमरीकी रुई के लिये यहां नकली कमी पैदा करने वालों के विरूद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ? प्राईवेट लाईसेन्स वालों के मामले में सरकार ने क्या कोई कदम उठाये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : रूई के आयात के लिये प्राईवेट लाईसेन्स नहीं होते । गत सितम्बर के बाद रुई का आयात भारतीय रुई निगम के द्वारा हुआ है । भारत में प्रति एकड़ रुई की पैदावार बहुत कम है । रुई तथा अन्य फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जाये, इस प्रश्न पर विचार करने के लिये हमने एक समिति का गठन किया था जिसमें कृषि मंत्रालय, योजना आयोग तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रतिनिधि भी थे । उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम इसमें सुझाये गये कार्यक्रमों के अनुसार चल रहे हैं। इस देश में रुई की परम्परागत कमी का एक मात्र समाधान रुई उत्पादकों को अच्छे बीज, कीट नाशक दवाइयां, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना ही है ।

श्री वेंकटासुब्बया : अगले वर्ष अनुकूल मानसून वातावरण के कारण छोटे रेशे की रुई की इतनी कमी नहीं होगी । लेकिन फिर भी देश में बड़े रेशे की रुई की कमी है । अतः बड़े रेशे की रुई पैदा करने के लिये किसानों को प्रेरीत करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें और अन्य देशों से आयात पर निर्भर न करें ?

श्री एल०एन० मिश्र : मैं यह नहीं कहूंगा कि अगले वर्ष कमी नहीं होगी । अगले कई वर्षों तक कमी होती रहेगी क्योंकि यहां की स्थिति ऐसी है । हमे प्रति एकड़ रुई की पैदावार बढ़ाने के लिये कुछ ठोस कदम उठाने हैं । इसके लिये जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने एक समिति का गठन किया है और रुई उत्पादकों को अधिक रुई पैदा करने के लिये विशेष व्यवस्था की जा रही है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैंने लम्बे रेशे वाली रुई के बारे पूछा है ।

श्री डी०ड़ी०देसाई : क्या मंत्री महोदय आयातित रुई को प्रतिस्थापन के लिए, ऋण प्रतिबन्धों को हटाने तथा रुई के उत्पादन में बाधा डालने वाले कारणों, जिनके परिणाम स्वरूप किसानों को अलाभकारी कीमतें मिलनी है, पर विचार करेंगे?

श्री एल०एन०मिश्र : कृषि मूल्य आयोग ने केवल समर्थन मूल्यों की सिफारिश की है । मूल्यों पर कोई प्रबंध नहीं है । कच्ची रुई के मूल्य में इस वर्ष काफी वृद्धि हुई है । अतः रुई की पैदावार बढ़ाने के लिये यह कोई समस्या नहीं है । असली बात तो यह है कि उत्पादकों को कीट नाशक दवाईयां तथा अन्य सहायता प्रदान करने के प्रबंध ठीक नहीं हैं इस वर्ष कीमतें बहुत ऊंची रही हैं । प्रति गांठ कीमत 3600 रु० है जब कि समर्थन मूल्य 1300 रु० प्रति गांठ के करीब है ।

Shri Kale : The Government has admitted the shortage or cotton but our Maharashtra Marketing Federation has cotton in its stock.

Shri L. N. Mishra : It is correct that there is shortage or cotton in the country and it was also brough to our notice that the Maharashtra Marketing Federation is having the state of cotton which was due to imposition of credit restrictions. We had talks with the Minister of that state ane Reserve Bank about the abolition of credit restrictions so that cotton could be sold and mills could purchase the same.

श्री राम सहाय पांड़े : लम्ब रेशे वाली रुई के बारे श्री वेंकटासुब्बया ने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है । विदेशी मुद्रा व्यय करके रुई के आयात की परम्परा ही चल पड़ी है । समिति ने कीटनाशक दवाइयों, अच्छे बीज प्रदान करने आदि की सिफारिश की है । आप इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित करने जा रहे हैं – यह सब करने पर ही आप लम्बे रेशे की रुई में सुधार कर सकते हैं और रुई के आयात तथा विदेशी मुद्रा के व्यय को रोक सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

Shri Hukum Chand Kachwai : Is it a fact that there is no customes for the commodity of a farmer in the market and the prince of his cotton have considerably gone down ; if so, is the hon. Minister making special provision for ensuring reasonable price to the cultivator for his produce and it is consumed property?

In reply to a question the hon. Minister stated that to lakh bales of cotton are learing imported. Cloth mill-owners have announced that there is no cotton and the mills are going to be closed down......

Mr. Speaker : The hon. member should put a question instead or delivering a spech.

Shri Hukmchand Kachwai : What steps are being taken to prevent the cloth mill owners from closing down their mills ?

Mr. Speaker : The question relats to the cotton bales and the non. member is side tracking the issue.

Shri L. N. Mishra : I am happy that the hon. member is worried about the interests of cotton growers.

Mr. Speaker : It was a speech instead of question by the hon. member. The hon. Minister can only reply to the questions.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is no customer for the cotton of the grower when he goes to the market and he gets very less price for it. When the hon. Minister is prepared to reply why you are preventing him from doing so. He is prepared to give the reply. So let him give the reply.

Mr. Speaker : The question pertains to the cotton import; not the cotton in the market.

Shri Nathu Ram Mirdha ; The traders are importing good quality of cotton and making huge profits. The prices of short staple cotton in the country have much gone down. The mills are not purchasing that cotton. The cultivators are suffering on this account and the cultivation thereof is likely to be affected adversely.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय के मामले वापिस लेना

*224. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेनेवाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय के सभी मामले वापिस ले लेने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों को इस बारे में अनुदेश जारी कर दिये गए हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालयों में निलम्बित सभी मामलों को वापिस लेने के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हड़ताल समाप्त होने पर सारे कर्मचारियों को वापिस लेने का निर्णय लिया गया और सारे कर्मचारी वापिस लिये गये । डाक तथा तार के 1000, सुरक्षा के 300 तथा रेलवे के 300 कर्मचारियों के विरूद्ध आज भी अदालतों में मुकदमें निर्णयाधीन हैं जो काफी समय से चल रहे हैं । उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलते। जिन पुलिस वालों ने आन्दोलन में भाग लिया उनके मामलों को सरकार ने वापिस ले लिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि अदालत में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पड़े निर्णयाधीन मुकदमों को वापिस न लेकर सरकार इन कर्मचारियों को क्यों दंडित कर रही है । उन सबको वापिस ले लिया गया है लेकिन उनके विरूद्ध चल रहे मुकदमों को अभी तक वापिस नहीं लिया गया ।

श्री राम निवास मिर्धा : कर्मचारियों को दंडित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । मुकदमें चलाने सम्बन्धी सरकार की नीति यह रही है कि कानून को अपने रास्ते पर चलने दिया जाये और उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय अथवा उपराज्यपाल अथवा जिलाधीश ने अनुदेश जारी किये हैं कि जिन मामलों में गवाह न हो तथा सरकारी गवाह की गवाही देने के लिए न आये तो ऐसे मामलों को वापिस लिया जाये । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे मामले वापिस लिये जायेंगे ।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने कहा सरकार की नीति मुकदमें वापिस लेने की नहीं है। लेकिन हम राज्य सरकारों पर यह दबाव डालते आ रहे हैं कि कानूनी कार्यवाही जल्दी की जाये और जो मुकदमें निर्णय के लिये शेष पड़े हैं उन्हें कानून के अनुसार शीघ्र निबटाया जाये ।

श्री एस०एम० बनर्जी : मैं स्पष्टिकरण चाहता हूँ। कुछ राज्य सरकारें मुकदमें वापिस लेने के लिये रजामंद हो गयी हैं । लेकिन केन्द्रीय सरकार ही मुकदमों को वापिस नहीं ले रही है । केरल, राजस्थान तथा अन्य राज्यों में ऐसा ही हुआ हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकारें मुकदमें वापिस लेती है और क्या राज्य सरकारों को मुकदमें वापिस लेने की अनुमति दी जायेगी ।

श्री राम निवास मिर्धा : क्यों कि केरल सरकार ने सारे मुकदमें वापिस ले लिये इसकी स्थिति भिन्न है । मुकदमें कानून के अनुसार ही वापिस लिये जाते हैं । इसलिए मुकदमों को इस तरह से वापिस लेने के हम विरूद्ध थे क्योंकि वे मामले कानून के उल्लंघन से सम्बन्धित थे । सरकार की नीति यह रही है कि कानून की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । यदि राज्य सरकारें कानून के अनुसार मुकदमों को समाप्त करती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब हड़ताल को हुए $2\frac{1}{2}$ वर्ष हो रहे हैं । हड़ताल सितम्बर 1968 में हुई थी और अब मई 1971 है। मैं मंत्री महोदय से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ और उसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ । क्या आप राजनैतिक भावनाओं से प्रभावित नहीं हैं ? क्या यह राजनैतिक अत्याचार नहीं है ?

श्री राम निवास मिर्धा : राजनैतिक अत्याचार का कोई प्रश्न नहीं है । इसे राजनैतिक प्रश्न बनाने वाले कुछ माननीय सदस्यों की अपेक्षा सरकार को सरकारी कर्मचारियों के हितों की अधिक चिंता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें पूरा विश्वास है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये मुकदमें भिन्न भिन्न कारणों से दायर किये गये हैं । प्रत्येक मामलों में आरोप भी भिन्न भिन्न है । मैं विशेष रूप से तत्कालीन अत्यावश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश की धारा 4 के अधीन संबंधित कर्मचारियों पर चलाये गए मुकदमो के बारे में पूछना चाहता हूँ । यही एकमात्र आरोप है कि ये उस दिन काम पर नहीं गये तथा अनुपस्थित रहे । उन पर हिप्पी सरीखा अन्य कोई आरोप नहीं है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन मामलों में प्रोजीक्यूशन अभी

तक चल रहे हैं। सदन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों को वापिस काम पर लिया जावेगा जिन पर अनुपस्थिति के अतिरिक्त अन्य कोई आरोप नही हैं। और सरकार की उनका चालान करने की कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार के मामले अब तक क्यों चल रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार कोई मुकदमा वापिस नहीं ले सकती। राज्य सरकारों को जो हमने अनुदेश दिये, वे बहुत स्पष्ट हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप आदेश दे सकते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने अनुदेश जारी कर दिये हैं कि यदि चालान धारा 4 के अधीन अनुपस्थिति से ही सम्बंधित है तो ऐसे मुकदमों को नम्रता से निपटाया जाये और प्रोजीक्युशन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। इन प्रश्नों को पूछने वाले सदस्य अनुपस्थित हैं। हम प्रश्न संख्या 231 पर आते हैं।

रबड़ के मूल्यों में गिरावट का रूख

*231. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के मूल्य बाजार में गिर रहे हैं और रबड़ निकालने के मौसम में इन मुल्यों के और अधिक गिर जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गत वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किये गये न्युनतम मूल्य पर रबड़ उत्पादकों से बहुत बड़े पैमाने पर रबड़ खरीदने की एक योजना राज्य खाद्य निगम ने बनाई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). कुछ विनिर्माता एककों में औद्योगिक विवादों के परिणामस्वरूप टायर निर्माताओं तथा गैर टायर निर्माताओं द्वारा माल की कम उठान के कारण रबड़ की कीमत में गिरावट आई है।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने पहले ही कच्ची रबड़ की खरीद को 1200 मे० टन से बढ़ा कर 1700 मे० टन प्रति मास कर दिया है।

श्री चन्द्रप्पन : माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य व्यापार निगम पहले की अपेक्षा अधिक खरीद कर रहा है। क्या यह एक उपाय है जिसके द्वारा सरकार केरल के किसानों की सहायता करना चाहेगी ? मुझे इस बारे में बहुत संदेह है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे राज्य व्यापार निगम को भारत भर के सारे रबड़ खरीदने सम्बन्धि आदेश देंगे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जैसे कि कहा जा चुका है कि विभिन्न कारणों से कुछ कारखाने बंद पड़े हैं। रबड़ का बड़ा स्टाक खरीदना राज्य व्यापार निगम के लिये कठिन होगा। हम अधिक से अधिक स्टाक रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चन्द्रप्पन : मैं जानना चाहता हूँ कि रबड़ के वर्तमान मूल्यों के कारण ही कुछ कारखाने बंद हुए हैं। मेरे विचार में सरकार द्वारा कृत्रिम रबड़ के आयात की अनुमति देना भी एक कारण है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कृत्रीम रबड़ के आयात को रोकने के लिये अनुदेश जारी करेगी ताकि स्वदेशी रबड़ का उत्पादन हो सके।

श्री ए.सी. जार्ज : जिस कृत्रिम रबड़ के आयात की अनुमति दी जाती है वह विशेष रासायनिक प्रकार का है और भारत में पैदा किये गये कच्चे रबड़ का स्थान कभी न ले सकेगा।

श्री वरके जार्ज : देश में रबड़ का बहुत स्टाक है। क्या सरकार इसके निर्यात की व्यवस्था करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : भारत में प्रचलित दरों तथा रबड़ के अन्तर्राष्ट्रीय दरों के बीच काफी अन्तर है। फिर भी हम रबड़ के निर्यात की सम्भावना पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है........

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। हर समय आपकी मोटर खड़ी हो जाती है, आप टायर के लिये काफी पैसा व्यय करते है लेकीन उत्पादकों को बहुत कम पैसा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही घोषित कर चुका हूँ कि प्रश्न काल समाप्त हो गया है। आज की प्रश्नसूची से हमने 3 प्रश्न कम निपटाये हैं फीर भी काफी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला बाबजूद इसके भी हमने आज केवल 11 प्रश्न निपटाये हैं और कुछ माननीय सदस्य अप्रसन्न भी हुए क्योंकि मैंने उन्हें अनूपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया। मैं कल फिर थोडा कठोर व्यवहार करुंगा देखें कल हम क्या प्रगति करते हैं। मैं आज भी कठोर रहा लेकिन इसके बाबजूद भी हम 11 से अधिक प्रश्न नहीं निपटा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने 20 के करीब निपटाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के प्रश्न ही सामने नही आये। बाद में वे मेरे पास आकर कहते हैं कि उनका नाम आया ही नहीं। इस तरह कई सदस्य रह गये। देखे, कल हम क्या प्रगति करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Restriction on Sheikh Abdullah's Movement

*214. **Shri Onkarlal Berwa:**
Shri Mohan Swahip:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the movement of Sheikh Abdullah is confined to certain parts of the country or he is free to go anywhere in the country ; and

(b) the facilities being given to Sheikh Abdullah at present by the Central Government?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Government of Jammu and Kashmir have issued orders under their Public Security Act restraining Sheikh Abdullah from entering the State of Jammu and Kashmir. There is no other restriction on his movements elsewhere in the country.

(b) The Central Government have allotted a government house to the Sheikh in New Delhi. Rent is being charged from him for the house and the furniture.

युगोस्लाविया के साथ भारती मुद्रा में व्यापार करने में बाधाएं

*216. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार करने के भविष्य के सम्बन्ध में गम्भीर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के जारी रखने के मार्ग में क्या क्या बाधायें सामने आ रहीं हैं ; और

(ग) क्या इस समस्या का समाधान करने के लिये भारत द्वारा कोई प्रयास किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). वर्तमान रुपया भुगतान प्रबंध को समाप्त करने के बारे में युगोस्लाविया के प्रस्ताव पर दोनों देशों की सरकारों के बीच अभी बातचीत चल रही है ।

प्रेस परिषद् का पुनर्गठन करने की मांग

*218. **श्री कल्याणसुन्दरम** :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गांधी नगर में हुए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में वर्तमान प्रेस परिषद् को समाप्त करने और इसके स्थान पर अधिक प्रतिनिधित्व वाली एक संस्था का गठन करने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) : जी, हां ।

(ख) सरकार का प्रेस परिषद्, जो पीछे संशोधित प्रेस परिषद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 1 अक्टूबर, 1970 को पुनर्गठित की गई थी, का फिर से गठन करने का फिलहाल विचार नहीं है ।

क्यूबा से व्यापार सम्बन्ध

*221. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में क्यूबा से व्यापार सम्बन्ध सुधारने के लिये कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) और (ख). भारत और क्यूबा के बीच व्यापार दोनों देशों में काफी दूरी होने के कारण सदा अल्प परिणाम में होता रहा है और यह भारत से पटसन के माल के निर्यात तक सीमित था । क्यूबा ने अपने पटसन उद्योग की स्थापना के फलस्वरूप उसने वर्ष 1964-65 में भारतीय पटसन के माल की खरीद में भारी कटौती कर दी और 1966-67 में यह पूर्णतः बन्द कर दिया । उसके उपरान्त भारत-क्यूबा व्यापार के विकास के प्रश्न पर अनेक बार विचार किया गया है परन्तु हम ऐसे किसी विशेष उत्पाद का पता नहीं लगा पाये हैं जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन-देने का आधार बन सके ।

सोना तथा आभूषणों की तस्करी के लिये पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों की गिरफ्तारी

*225. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1971 से मई, 1971 के दौरान बड़ी मात्रा में सोना तथा जेवरात लाने के अपराध में पूर्व पाकिस्तान से आये कितने शरणार्थी गिरफ्तार किये गये; और

(ख) सरकार ने उन शरणार्थियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रखदी जायेगी ।

केरल से समुद्रीय वस्तुओं के निर्यात में कमी

*226. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी और मार्च, 1971 के महीनों के दौरान केरल से समुद्रीय वस्तुओं के निर्यात में भारी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी, हां

(ख) दिसम्बर से मार्च तक की अवधि के दौरान केरल के समुद्रीय तट से निर्यात किए जाने वाले समुद्री केकड़ों के कम पकड़े जाने के कारण मुख्य रूप से निर्यात में कमी हुई।

भारत के रेल के माल डिब्बे, उपकरण और डीजल इंजन खरीदने का इण्डोनेशिया का प्रस्ताव

*227. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया की सरकार ने भारत से रेलवे के माल डिब्बे, उपकरण और डीजल इंजन खरीदने में बहुत रुचि दिखायी है ;

(ख) क्या इण्डोनेशिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और इस सम्बन्ध में बातचीत की थी ; और

(ग) क्या कोई पक्का समझोता हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). अप्रेल, 1971 में इंडोनेशिया का एक प्रतिनिधि मण्डल, जिसमें इंडोनेशिया की रेलवे तथा सड़क मार्गों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी थे, इंडोनेशिया में परिवहन सुविधाओं के विकास में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, भारत आया था। इंडोनेशिया की सरकार के स्थल परिवहन तथा अन्तरस्थलीय जलमार्ग के महानिदेशक के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमण्डल ने हमारी रेलवे संस्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र के कुछ विनिर्माण एककों का दौरा किया और भारत के संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमण्डल रेलवे तथा सड़क मार्गों के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों तथा विशेषज्ञता से प्रभावित हुआ। बातचित के दौरान, इंडोनेशिया की रेलवे तथा सड़क मार्गों के कुछ क्षेत्रों के विकास में दोनों देशों के बीच सहयोग के मार्गोपायों पर विचार-विमर्श किया गया। इंडोनेशिया की रुचि के परिवहन उपस्कर तथा मशिनों की विशिष्ट मदों का भी पता लगाया गया। बातचित पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

थुम्बा उपग्रह केन्द्र से छोड़े गये राकेट

*228 **श्री एस० एम० कृष्ण** : **क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा उपग्रह केन्द्र से हाल ही में दो राकेट छोड़े गये थे ; और

(ख) इन राकेट को छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). जी, हां। 25 अप्रेल, 1971 को थुम्बा से दो नाइक अपाके राकेट छोड़े गये थे ; जिन में से एक का उद्देश विषुवदिय विद्युत धारा का अध्ययन करना था तथा दूसरे

का उद्देश्य था वायुमण्डल की उपरी सतह में बहने वाली उदासीन हवाओं एवम् वहां के तापमान तथा आयनमण्डल में विद्यमान आयनों के घनत्व एवम् उसके तापमान का मापन करना ।

तामिलनाडु में दूसरे परमाणु संयंत्र की स्थापना करने की मांग

*229. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तामिलनाडु सरकार ने अनुरोध किया है कि उस राज्य में एक और विद्युत् संयंत्र का निर्माण किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन

*230. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सरकार सभी अल्प संख्यकों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और उसने संविधान के उपबन्धों के अनुकूल उनकी विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए जो कुछ सम्भव हो सकता है किया है । इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न कल्याणकारी और विकास कार्यक्रम देश में विशेषकर सभी पिछड़े वर्गों के नागरिकों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही तैयार किये गये हैं । ऐसे कार्यक्रम वास्तव में अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के लिये भी होंगे ।

पटसन निगम की स्थापना

*232. **श्री राज सिंह देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक पटसन निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसमें लगाई गई कुल पूंजी कितनी है और उक्त निगम के कृत्य क्या हैं; और

(ग) पटसन निगम से देश में पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने अथवा निर्यात में वृद्धि कर के विदेशी मुद्रा अर्जन करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). भारतीय पटसन निगम लि० नामक एक सरकारी क्षेत्र के निगम का पंजीकरण 2 अप्रेल, 1971 को किया गया हैं जिसका मुख्यालय कलकत्ता में हैं। उसका कार्य, पटसन उपजकर्त्ताओं को लाभप्रद कीमत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, सामान्यतः पटसन की खरीदारी करना, मूल्य समर्थन देना और पटसन का समीकरण भंडार बनाना होगा। निगम कच्चे पटसन के आयात, कच्चे पटसन तथा पटसन के माल के निर्यात को भी संभालेगा और पटसन के माल के निर्यात संवर्धन संबन्धी कार्यवाही करेगा।

2. निगम की अधिकृत पंजी 5 करोड़ रुपये तथा प्रदत पूंजी 1 करोड़ रुपये होगी।

3. निगम से आशा की जाती है कि वह कच्चे पटसन की विवेकपूर्ण खरीद करके, पटसन उपजकर्त्ता को लाभप्रद कीमत की प्राप्ति सुनिश्चित कराये और इस प्रकार पटसन उत्पादन को बढ़ाने में सहायक बने। इससे और निगम द्वारा किये जाने वाले अन्य निर्यात संवर्धन उपायों से पटसन के माल से होने वाले विदेशी मुद्रा उपार्जनों में वृद्धि होने की संभावना है।

राष्ट्रीय नीतियों के संबंध में मुख्य मन्त्रियों से परामर्श

*233. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तामिलनाडु के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय नीतियों जैसे बंगला देश से सम्बन्धित नीति के सम्बन्ध मे संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने से पहले सभी मुख्य मन्त्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री और सरकार के बीच कोई पत्र व्यवहार हुआ है।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

नारियल जटा के निर्यात में कमी

*234. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71 में नारियल जटा के निर्यात में कमी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हुई थी ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) नारियल जटा का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1969-70 से 5,54,811 क्विंटल की तुलना में 1970-71 के दौरान 5,21,186 क्विंटल कयर से बने माल का निर्यात हुआ था, इस प्रकार 6% की कमी हुई है।

(ग) संश्लिष्ट प्रतिस्थानी माल से भारी प्रतियोगिता।

(घ) सरकार, उद्योग की अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने और उत्पादन को स्थिर करने पर विचार कर रही है। उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए तथा अधिक मांग उत्पन्न करने हेतु निर्यात उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

त्रिचि, तमिलनाडु में रामायण की पैराडी का मंच पर दिखाया जाना

*235. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में त्रिचि, तमिलनाडु में रामायण की पैरोडी को मंच पर अभिनीत किया गया था जिससे समूचे देश में करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम

*236. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रमों की सम्भाव्यता का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार तथा अमरीका की नेशनल एयरोनाटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 सितम्बर, 1969 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। इस ज्ञापन के अनुसार दोनों देश, दूर-दूर बसे हुए देहातों में रहने वाली जनता के लाभ के लिए दूरदर्शन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण एक उपग्रह की सहायता से करने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए सन् 1974 में एक परीक्षण संयुक्त रूप से करेंगे। भारत सरकार द्वारा देश के अपने ही एक ऐसे उप-

ग्रह को छोड़ने की सम्भावनाओं तथा उसके सम्बन्धित आर्थिक पहलुओं का अध्ययन भी किया जा रहा है जिसकी सहायता से दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के अलावा भिन्न–भिन्न स्थानों के मध्य संचार व्यवस्था; जिसमें टेलीफोन व्यवस्था भी शामिल है, स्थापित की जा सकेगी ।

मानव निर्मित फाइबर यार्न का आयात

*237. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने और अपने निर्यात संबंधी वचनों को पूरा करने के लिए अन्य देशों से मानव निर्मित फाइबर यार्न का बड़े पैमाने पर आयात करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). सरकार ने, मानव निर्मित रेशे अथवा धागे का बड़े पैमाने पर आयात करने की कोई योजना नहीं बनाई है क्योंकि मानव निर्मित रेशे तथा धागे की पर्याप्त मात्रा का देश में ही उत्पादन होता है और अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा रही है । मानव निर्मित रेशे/धागे वाले वस्त्रों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में, विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित रेशे/धागे के आयात की अनुमति दी गई है । कृत्रिम रेशम उद्योग में वास्तविक प्रयोक्ताओं को वितरित करने के लिए, कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक समझा जाता है केवल नायलन फिलामेन्ट धागे का आयात किया जा रहा है । सूती वस्त्र मिल क्षेत्र में रुई की उपलब्धता की अनुपूर्ति करने के लिए विस्कोस स्टेपल रेशे की कुछ मात्रा का आयात किया जा रहा है ।

Pak. Infiltrators in Kashmir

*238. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is a large number of Pakistani infiltrators in Kashmir who can create an explosive situation there at any time; and

(b) if so, the steps being taken by Government to see that such a situation is not allowed to be created there?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Government are aware that there is always a possibility of some infiltrators being present in the State. However, Government are vigilant and all necessary steps have been taken to prevent a large scale infiltration.

यूरोपीय आर्थिक आयोग का भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के संबंध में टेरिफ की रियायतें देने का निर्णय

*239. **श्री दंडपाणि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उस निर्णय का मूल्यांकन किया है जिसमें उन्होंने वे दैनिक रियायतें अन्य पांच एशियाई देशों को भी देने का निर्णय किया है जो भारत ने हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिए वर्ष 1969 में उससे प्राप्त की थी; और

(ख) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां । जहां तक हमें जानकारी है टैरीफ संबंधी रियायतें भारत और पाकिस्तान को ही दी जाती हैं । यद्यपि कानूनी तौर पर ये रियायतें विश्वव्यापी आधार पर दिये जाने की व्यवस्था है ।

(ख) हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए शुल्क रहित कोटे का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनका व्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है ।

विवरण

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए शुल्क-रहित कोटे का उपयोग करने हेतु भारत सरकार व्दारा किये गये उपाय ।

(1) हस्तशिल्प की प्रत्येक मद के आयात के लिए निर्धारित पृथक पृथक अधिकतम सीमा, जो कि शुल्क रहित कोटा योजना का व्यापक रूप में उपयोग करने में बाधक है, को हटाने का प्रयत्न करके । यदि यूरोपीय आर्थिक समुदाय पृथक पृथक अधिकतम सीमा को पूर्णतः हटाने के लिए सहमत नहीं हो सकता तो हम यह सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें एक जैसी मदों (अर्थात् धातु की कलात्मक वस्तु संबंधी समूह, लकड़ी के सामान संबंधी समूह तथा चर्म निर्मित सामान संबंधी समूह) बनाना स्वीकार कर लेना चाहिए और एक संयुक्त अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये ताकि अधिक लचीलापन आ जाये ।

(2) शुल्क रहित प्रवेश के लिए अनुमत हस्तशिल्प वस्तुओं की सूची में और अधिक मदें शामिल करके । चालू वर्ष के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 10 और अधिक मदों की अनुमति दी है लेकिन कुछ और मदें जैसे ताड़ के पत्तों की बनी वस्तुएँ, लेस संबंधी सामान, पोशाक संबंधी सामान (जैसे क्लिप-लिंक, टाई पिनें, ब्रूचिज) और हाथ से छपा चमड़ा भी है जो हम निर्यात कर सकते हैं और जो इस समय शुल्क-रहित योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर है ।

(3) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों के बीच कोटे के उप-विभाजन को समाप्त करने के लिए ।

(4) भारत में रियायत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए बहुत से उपाय किये गये जैसे कि हस्त-शिल्प की वस्तुओं के निर्यातकों आदि को शुल्क-रहित योजना का पूरा विवरण देना, प्रेस के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार करना, मौके पर जाकर व्यापार करने तथा समुदाय

को निर्यातों में वृध्दि करने की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए साझा बाजार देशों को निर्यातकों का एक व्यापार-सह-अध्ययन दल भेजना, विशेषतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात हेतु अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के डिजाइन विकास केन्द्रों व्दारा डिजाइन तैयार करना, शुल्क-रहित सामान के निर्यातकों की सहायता करना तथा उद्भव प्रमाणपत्र जारी करना और धातु की कलात्मक वस्तुओं, लकड़ी के सामान आदि के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में विवरण हेतु विशेष ब्रोशर प्रकाशित करना ।

फिल्म सेन्सर के संबंध में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

*240. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर व्यवस्था के बारे में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और (ख). फिल्म सेन्सर संबंधी खोसला समिति की रिपोर्ट सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

पांच टेलीविजन केन्द्रो का निर्माण

*997. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ में स्थापित होने वाले प्रस्तावित सभी पांचों टेलीविजन केन्द्रों के उपकरण भारत में पहुंच गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इन सभी टेलीविजन केन्द्रों का निर्माण इस समय किस स्थिति में है ;

(ग) अब तक इन टेलीविजन केन्द्रों पर अलग-अलग कितनी देशी और विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ;

(घ) निर्माण कार्य और विदेश से उपकरण प्राप्त करने में देरी होने के कारण क्या निर्धारित तिथि में देरी होने की कोई सम्भावना है ; और

(ड़) यदि हां, तो कितनी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीरसिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) (ङ). से एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

विभिन्न टेलीविजन केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है:—

(1) श्रीनगर :—

इस परियोजना पर होने वाला कुल अनुमानित व्यय 306 लाख रुपये है । इसमें से अब तक हुआ व्यय 53. 21 लाख रुपये है । 50.18 लाख रुपये रुपयों में और

3.03 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में । स्टुडिओ, ट्रांसमिटर तथा ट्रांसमिटर स्थान को जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चालू है । परियोजना के लिए अपेक्षित उपकरणों के लिए आर्डर दिया जा चुका है लेकिन वे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । केन्द्र के 1972 में चालू हो जाने की संभावना है।

(2) बम्बई/पूना :

बम्बई-पूना टेलीविजन परियोजना पर होने वाला कुल अनुमानित व्यय 336. 67 लाख रुपए है । इसमें से लगभग 113 लाख रुपए के मूल्य के उपकरण एक करार के अधीन जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त होने हैं; इनमें से कुछ उपकरण पहुंच चुके हैं । परियोजना पर अब तक हुए खर्च की कुल राशि 28.71 लाख रुपये है । स्टुडिओं के लिये भवनों तथा ट्रांसमिटर स्थान का निर्माण कार्य चालू है । 300 मीटर ऊंचे टेलीविजन टावर को स्थापित करने का काम चल रहा है । पूना रिले केन्द्र के लिए भूमि के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है और उसे अधिग्रहण किया जा रहा है। बम्बई टेलीविजन केन्द्र के 1972 में चालू हो जाने की संभावना है।

(3) मद्रास :

तमिल नाडु सरकार ने टेलीविजन केन्द्र के लिए भूमि निशुल्क दी है । भवन के नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । उपकरण प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। इस परियोजना पर होने वाले व्यय की कुल अनुमानित राशि 182.76 लाख रुपये है किन्तु अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ है । केन्द्र के 1973-74 तक चालू हो जाने की सम्भावना है ।

(4) कलकत्ता :

इस टेलीविजन केन्द्र के लिए स्थान को अंतिम रूप दिया जा रहा है । उपकरण प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । इस परियोजना पर होने वाले व्यय की कुल अनुमानित राशि 190.59 लाख रुपए है, परन्तु अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ है । केन्द्र के 1973-74 तक चालू हो जाने की संभावना है ।

(5) लखनऊ/कानपुर :

इन टेलीविजन केन्द्रों के लिए स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । इस परियोजना पर होने वाले व्यय की कुल अनुमानित राशि 300.33 लाख रुपए है, परन्तु अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ है । केन्द्र के 1973-74 तक चालू हो जाने की संभावना है ।

भारत–पाकिस्तान सीमा पर भारतीय चौकियों पर आक्रमण और पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

998. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री एच० एम० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने वहां के स्वाधीनता आन्दोलन को कुचलने के लिये पूर्व पाकिस्तान पर अपने आक्रमण के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना की चौकियों पर भी आक्रमण किया और बहुत से लोगों को मार दिया है और सम्पत्ति भी नष्ट कर दी है;

(ख) क्या पाकिस्तान वायु सेना के विमानों ने पूर्व बंगाल में अपनी कार्यवाही के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा को कई बार पार करके भारतीय क्षेत्र के अन्दर सीमा पर बमबारी की है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही का मुकाबला करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

24-5-1971 को पाकिस्तानी सेना ने सुतारकन्डी स्थित सीमा सुरक्षा दल की बाह्य चौकी पर आक्रमण किया ।

सीमा सुरक्षा दल के दो कांस्टेबल मारे गए तथा चार जख्मी हुए । असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा दो महिलाओं समेत पांच असैनिक मारे गये तथा चार असैनिकों का अपहरण कर लिया गया ।

25-5-1971 को पाकिस्तानी सेना ने डालू की सीमा बाह्य चौकी के समीप किलापाड़ा स्थित सीमा सुरक्षा बल की पड़ताल चौकी पर आक्रमण किया । सीमा सुरक्षा दल के नौ व्यक्ति मारे गये तथा दो लापता हैं । असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 असैनिक भी मारे गये तथा 11 जख्मी हुए ।

इस आक्रमण के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में सम्पत्ति को हुई क्षति तथा उसके नष्ट होने के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 25/26-3-1971 से 17-5-1971 तक वायु सीमा का 11 बार उल्लंघन हुआ है । किन्तु, पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय क्षेत्र के भीतर सीमा पर किसी स्थान पर बमबारी करने के कोई समाचार नहीं हैं ।

(ग) सीमा सुरक्षा दल को भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले किसी भी पाकिस्तानी सेना को पीछे खदड़ने के स्पष्ट अनुदेश हैं। अतिक्रमण के उपरोक्त मामलों को गंभीर समझा गया है तथा पाकिस्तानी सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया गया है।

Violation of Ground Rules by Pakistan Army

999. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri S. R. Damani:
Shri Shyamnandan Mishra:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Pakistani forces recently intruded into the Indian territory at several places and violated the ground rules; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir, in a few places.

(b) The Border Security Force took prompt action on each occasion and threw the intruders out of Indian territory. Strong protests were also lodged with the Pakistani authorities at appropriate levels.

लंका के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार

1000. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंका के साथ पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य तथा लंका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से वहां की सरकार से अपने सम्बधों को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही में क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सभी मित्र देशों के साथ, जिनमें श्रीलंका भी शामिल हैं, भारत के व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं। श्रीलंका के साथ सहयोग के उपायों में से कुछ निम्नोक्त हैं:—

(क) अक्तूबर 1961 में भारत तथा श्रीलंका के बीच एक व्यापार करार किया गया था, जो तब तक वैध है, जब तक कि उसे किसी भी एक देश द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर संशोधित अथवा समाप्त न किया जाये।

(ख) भारत से सूती वस्त्र, सूखी मछली तथा मिर्च का आयात करने के लिये फरवरी 1966 में श्रीलंका की सरकार को 2 करोड़ रु० के उधार देने की व्यवस्था की गई थी।

(ग) अगस्त, 1967 में, तथा जून 1968 में भारत से कुछ प्रकार की मशीनों, मशीनी औजारों, मोटर गाड़ियों आदि के आयात के लिये श्रीलंका को पांच करोड़ रु० उधार देने की व्यवस्था की गई थी।

(घ) भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति बनाई गई है, जिसे दोनों बीच घनिष्टतर सहयोग के लिये निरन्तर उपाय निरूपित करने तथा उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने का कार्य सौंपा गया है। संयुक्त समिति की पहली बैठक में किये गये विनिश्चयों के अनुसार, समिति द्वारा गठित संयुक्त अध्ययन दलों द्वारा पारस्परिक व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग के विस्तार के आशाप्रद क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। उनकी सिफारिशें संयुक्त समिति की आगामी बैठक में रखी जानी हैं।

(ङ) श्रीलंका में भारतीय उद्भव के राज्य-विहीन व्यक्तियों की नागरिकता सम्बन्धी स्थिति का निर्धारण करने के लिये 1966 में भारत तथा श्रीलंका की सरकारों के बीच एक करार किया गया था। भारत सरकार ने इस करार की क्रियान्विति के लिये विभिन्न उपाय किये हैं, जिनमें वीसा तथा यात्रा सम्बन्धी क्रियाविधियों का सरलीकरण भी शामिल है।

Attack by Pakistani Forces on Indian Civilian and Jawans

1001. **Shri N. S. Bisht:**
Shri Hari Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the areas on the Indian borders where Pakistani forces have attacked since Bangla Desh liberation movement started and the dates on which such attacks were launched; and

(b) the number of Indian jawans and civilians killed and injured as a result thereof and the amount of damage caused to our property in such attacks?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). On 24th May, 1971, Pakistani troops attacked the Border Security Force outpost at Sutarkandi on the Assam border. 2 Border Security Force constables were killed and 4 injured. According to the information furnished by the Government of Assam 5 civilians including 2 women were killed and 4 civilians were kidnapped by the Pak. Army.

2. On 25th May, 1971, Pakistani troops attacked the BSF checkpost at Kilapara near the border outpost at DALU. 9 BSF personnel were killed. According to the information furnished by the Assam Government 13 civilians were also killed and 11 injured.

The amount of damage caused to property in these attacks is not available.

मानव निर्मित रेशे का निर्यात तथा देश में उसकी खपत

1002. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में वर्षवार कितने मानव निर्मित रेशे का निर्यात किया गया तथा कितनों की देश में खपत हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज):

(आंकड़े लाख मे० टन में)

	1968	1969	1970
निर्यातित	1.48	0.53	0.30
देश में हुई खपत	664.17	650.33	725.27

रेलवे यात्रा डिब्बों तथा अन्य सामान का निर्यात

1003. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान अन्य देशों को कितने रेल यात्री-डिब्बों तथा अन्य सामान का निर्यात किया गया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में देश-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) और (ख). नीचे दी गई सारणी में, रेल डिब्बों तथा अन्य रेलवे सामान की संख्या तथा मूल्य और 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान जिन देशों को इन मदों का निर्यात हुआ उनके नाम दर्शाए गये है :

(मूल्य लाख रु० में)

पण्य तथा देश	1969-70		1970-71	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
रेल सवारी डिब्बे, माल डिब्बे तथा संघटक				
1. रेल सवारी डिब्बे (संख्या)				
मलयेशिया	—	—	—	0.48
फारमोसा	116	21.93	—	—
थाईलेण्ड	—	—	45	9.71
योग	116	21.93	45	10.19

पण्य तथा देश	1969-70		1970-71	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2. माल डिब्बे (संख्या)				
श्रीलंका	24	9.54	—	—
फारमोसा	—	—	104	65.93
हंगेरी	—	—	—	119.86
पौलेण्ड	—	—	4	1.89
योग	24	9.54	108	187.68
3. इंजन बायलर (संख्या)				
बायलर	5	3.14	—	—
4. माल डिब्बे संघटक				
बर्मा	—	3.26	—	7.91
कनाडा	—	0.07	—	—
श्रीलंका	—	12.60	—	—
फारमोसा	—	—	—	0.27
फ्रांस	—	—	—	2.57
घाना	—	0.28	—	0.26
हंगरी	—	—	—	0.10
ईरान	—	—	—	0.09
इराक	—	—	—	1.26
जापान	—	—	—	0.17
नाइजीरिया	—	0.54	—	0.30
पोलैंड	—	—	—	0.02
सिंगापुर	—	0.02	—	—
सूदान	—	—	—	0.13
थाईलेंड	—	0.22	—	—
युगोस्लाविया	—	0.87	—	—
योग	—	17.86	—	13.08
रेल सवारी डिब्बों, माल डिब्बों तथा संघटकों का योग		52.47	—	210.95

पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों के समक्ष आत्म समर्पण

1004. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत अप्रैल से अब तक बंगला देश सीमा के निकट भारतीय प्राधिकारियों के समक्ष पश्चिम पाकिस्तान के अनेक सेना अधिकारियों ने आत्म समर्पण किया है; और

(ख) क्या उन्होंने हमारे देश में शरण लेने की इच्छा प्रकट की है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

1005. **श्री सामिनाथन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय साझेदारी में स्थापित किये जाने के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित कुल 100 औद्योगिक उपक्रमों में से 27 औद्योगिक परियोजनाओं का परित्याग करने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार द्वारा (1) जिन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, (2) जिन 22 परियोजनाओं द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है, और (3) जिन 27 परियोजनाओं का परित्याग किया गया हैं उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या तमिलनाडु के सहयोग से भी कोई संयुक्त उपक्रम स्थापित किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की 121 प्रस्थापनाओं का सरकार ने अभी तक अनुमोदन किया है जिनमें से 27 परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो गया है, 33 परियोजनाओं को किसी न किसी कारण से छोड़ दिया गया है और बाकी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 33 प्रस्थापनाओं को छोड़ देने के प्रमुख कारण ये हैं :

1. कुछ विदेशों में राजनीतिक अस्थिरता ;
2. कुछ देशों में कार्यकारी पूंजी इकट्ठी करने तथा स्थानिय रूप से उपयुक्त सहयोग प्राप्त करने में कठिनाइयाँ ;
3. भारतीय पूंजीगत माल इस प्रकार का है कि उसमें प्रतियोगिता करने की क्षमता का अभाव है;
4. शेयर पूंजी के रूप में भारत से नकदी लगाने की सुविधा का अभाव ; और
5. कुछ विकासशील देशों में अनुकूल निवेश-नियम ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.—278/71]

(ग) जी हां । निम्नलिखित संयुक्त उद्यम तामिलनाडु से है :-

1.	श्रीलंका	: मेसर्स अशोक लेलैण्ड ।
2.	ईरान	: मेसर्स साऊथ इंडिया आटोमोटिव कारपोरेशन प्रा. लि. ।
3.	मलयेशिया	: मेसर्स पैरीज कन्फैक्शनरी लि. ।
4.	मलयेशिया	: मेसर्स सदर्न इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि. ।
5.	मलयेशिया	: मेसर्स एस.जी. बालकृष्णन एंड ब्रदर्स (प्रा.लि.) ।
6.	मलयेशिया	: मेसर्स मुरूगप्पा एंड सन्स ।
7.	मलयेशिया	: मेसर्स इंडिया पिस्टन्स लि. ।

भारत नेपाल व्यापार करार

1006. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेव
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच जिस व्यापार करार पर पहले हस्ताक्षर नहीं किये जा सके थे, अब हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ;

(ग) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस मामले को सुलझाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने में नेपाल सरकार की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । अभी तक नहीं ।

(ख) से (घ), नेपाल के महामहिम की सरकार ने सुझाव दिया है कि दोनों सरकारों के अधिकारियों को बकाया मामलों पर बातचीत करने तथा उन्हें तय करने के लिये एक बैठक करनी चाहिये । समाचार पत्रों में नेपाल के प्रधानमंत्री के वक्तव्य का भी समाचार है जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच शीघ्र ही सन्धि होने की आशा व्यक्त की है । भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है कि व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी नई सन्धि करने के लिये अधिकारियों को बकाया मामलों पर बातचीत करके उन्हें तय करना चाहिये ।

2. यह सुविदित है कि भारत, अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए नेपाल की अर्थ व्यवस्था तथा व्यापार के विकास के लिये नेपाल के साथ सहयोग करने के लिये कुछ कर सकता है । उसे करने

के लिये सदैव तत्पर है । इस उद्देश्य से, भारत सरकार परस्पर समझौते की भावना और दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के ढांचे के अन्तर्गत, बकाया मामलों को बातचीत करके तय करने के लिये महामहिम की नेपाल सरकार की इच्छा होने पर पुनः वार्ताएं शुरू करने के लिये तैयार हैं ।

3. इस बीच भारत सरकार ने नेपाल के साथ परम सौहार्द तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये नेपाल को सप्लाई जारी रखी है और नेपाल के मूल उत्पादकों का, सीमा शुल्क तथा परिणाम सम्बन्धि प्रतिबन्धों के बिना, भारत में आयात करने दिया है और निर्मित उत्पादों का परम मित्र राष्ट्र व्यवहार के आधार पर आयात करने दिया है और अन्य देशों के साथ नेपाल के व्यापार के लिये कलकत्ता के माध्यम से सुविधाएं निरन्तर दी हुई हैं ।

केरल में काजू की फैक्टरियों का बन्द होना

1007. **श्री सरजू पांडे :**

श्री सेझियान :

श्री चन्द्रप्पन :

श्री० एम० के कृष्ण :

श्री ए० के० गोपालन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करके मांग की थी कि राज्य में काजू की फैक्टरियों के बन्द होने को रोकने के लिये तत्काल केन्द्रीय हस्तक्षेप किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो संकल्प में क्या सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरा संक्षेप में निम्नलिखित अनुसार है :

(1) काजू की यथा सम्भव अधिकतम फैक्टरियों को अपने अधिकार में लेकर वाणिज्यिक आधार पर चलाने के लिये केरल राज्य विकास निगम को धन देने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

(2) आयातित कच्चे काजू का वितरण, सितम्बर, 1970 अर्थात् काजू गिरी के आयात की मार्गीकृत किये जाने के बाद, भारतीय काजू निगम द्वारा आयात को अपने हाथ में लिये जाने की तारीख तक पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त काजू फेक्टरियों को पूर्णतः प्रत्येक फैक्टरी में नियोजित श्रमिकों के आधार पर किया जाना चाहिए । आयातित काजू अप्राधिकृत साधितकर्ताओं को नहीं दी जानी चाहिएं ।

(3) भारतीय राज्य व्यापार निगम को काजू गिरी का निर्यात व्यापार भी संभालना चाहिए । भारत सरकार को काजू उद्योग को, चाहे श्रमिकों की संख्या कुछ भी हो, औद्योगिक विकास तथा

विनियमन अधिनियम की अनुसूचि में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये और काजू उद्योग के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए ।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कपड़े की नियंत्रित किस्मों के उत्पादन में वृद्धि

1008. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एच० एन० मुखर्जी :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और टेक्सटाइल्स कमिश्नर के बीच बातचीत हुई थी और क्या नियंत्रित किस्म के कपड़े के अधिक उत्पादन के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था जिससे कि गरीब वर्गों के लोगों के लिये अधिक कपड़ा उपलब्ध हो सके ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के उत्पादन में कितनी वृद्धि की जाएगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

योजना के अन्तर्गत, उद्योग ने 1 जून, 1971 से शुरू होने वाले तीन महीनों में 10 करोड़ वर्ग मीटर नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन करने का निश्चय किया है ।

नियन्त्रित किस्मों का कपड़ा उत्पादन करने वाली मिलों को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर तक ऐसी निधि से इमदाद दी जाएगी जिसे उद्योग द्वारा एकत्र किया जायेगा ।

यह योजना, वस्त्र आयुक्त, के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन भारतीय सूती वस्त्र मिलों के संघ द्वारा कार्यान्वित की जाएगी ।

भारतीय सूती कपड़ें पर तटकर लगाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से वार्ता

1009. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री रेणु :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार की ब्रिटिश सरकार से भारतीय सूती कपड़े के आयात पर लगाये गये तटकर के सम्बन्ध में कोई वार्ता हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अधिकारी तथा मंत्री स्तर पर हुई वार्ताओं में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 1 जनवरी 1972 से राष्ट्रमंडलीय अधिमान्य क्षेत्रों से सूती कपड़े के आयात पर 15 प्रतिशत टेरीफ लगाने और कोटे समाप्त करने के ब्रिटिश प्रस्ताव का पुनः तीव्र विरोध किया ।

(ग) भारतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई युक्तियों पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है ।

अभ्रक के मूल्य में वृद्धि की मांग

1010. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अभ्रक व्यापारी संघ ने अभ्रक के मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांग का आधार क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). अभ्रक की न्यूनतम कीमतों में वृद्धि की मांग इस आधार पर की गई है कि 1966 में न्यूनतम कीमतों में संशोधन करने के पश्चात्, अब अभ्रक खान से निकालने तथा इसे साधित करने की लागत में काफी वृद्धि हो गई है । विशेषतः कीमतों के सम्बन्ध में कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, सरकार न्यूनतम कीमतों को फिलहाल बढ़ाना उचित नहीं समझती है ।

All India Radio Station at Pauri (Uttar Pradesh)

1011. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up All India Radio Station at Pauri in District Pauri, Garhwal in Uttar Pradesh;

(b) if so, the time by which the said station is likely to be set up; and

(c) the likely expenditure involved thereon?

The Deputy Minister of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A studio will be set up at Pauri. The programmes produced there will be broadcast from the transmitter to be established at Najibabad.

(b) By 1974-75.

(c) Rs. 19.40 lakhs on the studios at Pauri.

ब्रिटेन से पारस्परिक आधार पर आयात

1012. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के साथ 1939 के व्यापार करार के अनुसार रसायनों, मशीनों, और रेडियो तथा टेलिफोन संचार के पूर्जों आदि को भारत में पारस्परिक आधार पर निःशुल्क भेजा जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त और ब्रिटेन से आयात की जाने वाली अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का दौरा

1013. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1971 में श्री ल०ना० मिश्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया तथा उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) श्री ललित नारायण मिश्र, विदेश व्यापार मंत्री, भारत सरकार ।

श्री एच० लाल, सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय ।

श्री बी० एन० स्वरूप, संयुक्त सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय ।

श्री एन० के० सिंह, विशेष कार्य अधिकारी, विदेश व्यापार मंत्रालय ।

(ग) ब्रिटेन तथा बैल्जियम ।

ब्रिटिश सरकार के साथ, 1 जनवरी, 1972 से राष्ट्रमंडलीय अधिमान्य क्षेत्र से सूती वस्त्रों के आयातों पर 15 प्रतिशत टेरिफ लगाने तथा उनके कोटों को समाप्त कर देने की ब्रिटिश प्रस्थापना पर बातचीत हुई । इन बातचीतों के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश की प्रस्थापना पर अपने तीव्र प्रतिरोध को दोहराया क्योंकि इसका सूती वस्त्रों के हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । भारतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई युक्तियो पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है ।

बैल्जियम में, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अधिकारियों से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत की व्यापारिक समस्याओं पर बातचीत हुई । इन बातचीतों के दौरान यह सहमति हुई कि भारत तथा

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच सतत वार्ताओं को चालू रखा जाना चाहिये और वाणिज्यिक सहयोग करार सम्पन्न करने के लिये और बातचीत शीघ्र ही पुनः आरम्भ की जाएगी ।

कुछ मदों के आयात पर रोक

1014. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में 51 अतिरिक्त मदों को आयात सुची में से निकालने से पहले, विदेश व्यापार मंत्रालय और औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास विभाग के बीच विचार विनिमय हुआ था और क्या जो मदें सूची से निकाली गई थीं वे उक्त विचार विनिमय के आधार पर की गयी सिफारिशों के अनुरूप थीं; और

(ख) यदि कोई भिन्नता थी तो उस भिन्नता के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). अप्रैल 1971-मार्च, 1972 की अवधि के लिये आयातों की अनुमेय सूची में से 170 मदें निकाली गई हैं न कि 51 मदें । इन मदों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा अन्य सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है । ऐसी किसी मद को, जिस पर रोक लगाने की तकनीकी प्राधिकारियों ने सिफारिश की थी, आयातों की अनुमय सूची से हटाई गई मदों की सूची से नहीं निकाला गया है ।

पूर्वी बंगाल में पाक सेना के अत्याचारों का प्रचार

1015. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना द्वारा नागरिक जनता का वध करके और विश्वविद्यालयों, कालिजों, स्कूलों, अस्पतालों, मस्जिदों, मंदिरों, पुस्तकालयों, समाचारपत्रों के कार्यालयों, बस्तियों तथा गावों को नष्ट करके जो अत्याचार किये हैं उनके सम्बन्ध में कोई प्रकाशन निकाला है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या बिना किसी विलम्ब के इस प्रकार का प्रचार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Expenditure on Tour of Ministers during the last General Election

1016. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred on Government account during the last General Elections on the electioneering tours and programmes of the Central Ministers and the part of the above expenditure borne by the different State Governments, State-wise; and

(b) the break-up of such expenditure, Minister-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) and (b). There are instructions to the effect that no travelling expenses or daily allowance should be charged by Ministers for journeys undertaken for election campaign. However, some expenditure would have been incurred on items like travelling allowance of personal staff who accompanied the Ministers to assist them in the discharge of their functions as Ministers. The relevant information would be collected and laid on the Table of the House.

During the election campaign some expenditure is incurred by the State Governments on arrangements for security and maintenance of law and order. Government have no information as to the magnitude of such expenditure or the proportion thereof attributable to the election tours and programmes of individual Ministers and of leaders of other political parties.

मई दिवस की सवेतन छुट्टी घोषित करना

1017. **श्री नुरुगनन्तम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली मई को सवेतन छुट्टी घोषित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली मई को सवेतन छुट्टी घोषित करने सम्बन्धी प्रश्न की, जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय तथा त्यौहारों के अवसर पर दी जाने वाली कुल 16 छुट्टियों की संख्या को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और अगर पहली मई को छुट्टी घोषित करनी हो तो, यह विद्यमान त्यौहारों की छुट्टियों में से किसी एक छुट्टी के बदले में होनी चाहिए। अगस्त, 1969 को यह मामला केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री तथा अनिवार्य माध्यस्थ व्यवस्था के अधीन गठित राष्ट्रीय परिषद के सामने रखा गया था और परिषद ने इस मामले का अनुशीलन न करने का निर्णय किया है।

बेरोजगार इंजीनियरों के सम्बन्ध में भारतीय जनशक्ति संस्थान का प्रस्तावित अध्ययन प्रतिवेदन

1018. **श्री बिश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री यमुना प्रसाद मन्डल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जन-शक्ति संस्थान के अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार 1974 तक बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या 1,00,000 से ऊपर हो जायेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में इस समय कितने इंजीनियर डिप्लोमाधारी बन कर निकल रहे हैं और इस श्रेणी में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): (क) प्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा दिसम्बर, 1969 में तैयार किये गए कार्य-लेख के अनुसार सन् 1973 के अन्त तक 1,00,000 फालतू इंजीनियरों के हो जाने का अनुमान है। फिर भी ये अनुमान स्पष्टतया उस इंजीनियरी रोजगार के प्रतिरूप पर आधारित था जो कि यह 1964 तक प्रचलित था। बाद की प्रवृति से ज्ञात होता है कि इंजीनियरों को नवीन क्षेत्रों में जैसे लघु उद्योगों, विपणन, बिक्री, प्रबन्ध, परामर्श इत्यादि में अधिकाधिक रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। संभवतः इस प्रवृति से इन अनुमानों में पर्याप्त परिवर्तन होगा। एक कार्यकारी दल शीघ्र ही हाल के परिवर्तनों की जांच करेगा और इंजीनियरों की मांग और उपलब्धि के सम्बन्ध में नये सिरे से योजना बनायेगा।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियर, डिप्लोमाधारी बनकर निकलने वाली की संख्या इस प्रकार है :–

	इंजीनियरी स्नातक	**डिप्लोमाधारी**
1968	15,820	23,183
1969	15,686	21,751
1970	17,800	22,300

माननीय सदस्यों का ध्यान दिनांक 31–3–1971 को तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें बेरोजगार इंजीनियरों की समस्या को हल करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

क्विलोन और कोट्टायम में विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले गिरोहों को समाप्त करना

1020. **श्री मुहम्मद शरीफ**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10–4–71 को क्विलोन और कोट्टायम में विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले किसी गिरोह को समाप्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस गिरोह के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख). इस आरोप की सूचना प्राप्त होने पर कि कुछ व्यक्ति विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन कर रहे है, प्रवर्तन निदेशालय ने, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभाग की सहायता से 27 तथा 29 मार्च, 1971 को त्रिवेन्द्रम तथा वार्कला में 11 मकानों की तलाशी ली। तलाशी के फलस्वरूप मुद्रा तथा कुछ अव्यवस्थित दस्तावेज बरामद हुए।

इसके बाद, कुछ अन्य ऐसे व्यक्तियों के निवास स्थानों की भी तलाशियां ली गईं, जिनके बारे में विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करते हुए, कुछ भुगतान प्राप्त करने का तथाकथित आरोप थे। भारतीय मुद्रा तथा बैंक खातों आदि से सम्बन्धित दस्तावेज जप्त किए गए।

अब तक 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और मामले की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर तथा अदिलाबाद के पिछड़े जिलों के बारे में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् का प्रतिवेदन

1021. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर तथा आदिलाबाद नामक पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां यह प्रतिवेदन आन्ध्र प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ख) राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के अनुसार अनन्तपुर और आदिलाबाद जिलों के कुल विकास की कोटि सम्बन्धी आंकड़े क्रमशः 54.3 और 47.0 हैं जब कि कुल आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्धित आंकड़ा 61.6 है। कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों के सम्बन्ध में राज्य की तुलना में उन दोनों जिलों की स्थिति इस प्रकार दिखाई गई है :

संकेतक	अनन्तपुर	आदिलाबाद	राज्य
1. प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र	4.0 एकड़	3.5 एकड़	2.6 एकड़
2. बोये गये कुल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में दो-फसलों वाला क्षेत्र	1.5%	0.7%	11.7%
3. कुल फसल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सिंचाई वाला कुल क्षेत्र	13.6%	6.2%	29.0%
4. पंजीकृत कारखानों में श्रमिकों का सूचकांक	50	65	70
5. प्रति 100 वर्ग मिल अच्छी सड़कें मिलों में	103	61	126
6. साक्षर जन संख्या का प्रतिशत (क) मनुष्य	38.5	23.1	36.4
(ख) स्त्रियां	10.9	7.6	15.0

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा सुझाये गये कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

बड़े पैमाने पर भूमि संरक्षण, वनरोपन, भूमि तल पर और भूमि के अन्तर्गत स्थित जल स्त्रोतों को उपयोग में लाना, पशुओं और भेड़ों का विकास तथा जिले में औद्योगिक एककों को स्थापित करने के इच्छुक गैर सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना ।

आदिलावाद जिले के लिए सुझाये गये प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत ये शामिल हैं : वनविनाश का विनियमन, संचार सुविधाओं का विस्तार और सुधार खुले कुओं और नलकूपों का बड़े पैमाने पर निर्माण तथा कोयला, चूना और काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापना ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों का विकास अनिवार्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए अनन्तपुर और आदिलाबाद की जिला-योजनाओं को स्थानीय समस्याओं, क्षताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करना होगा। योजना आयोग राज्य सरकारों को लगातार यह पहामर्श देता रहा है कि वे अपने यहां के पिछड़े क्षेत्रों का अभिनिर्धारण कर लें और उनके त्वरित विकास के लिए समेकित स्थानीय योजनायें तैयार करें। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा इन दोनों जिलों के विकास के लिए योजनाएं तैयार किये जाने के बाद उन योजनाओं की जांच योजना आयोग में की जायेगी और उन्हें वर्तमान व भावी पंच-वर्षीय योजनाओं में समन्वित कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित गैर-वंशानुगत सफाई कर्मचारी

1022. **श्री वि० के० दासचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में सफाई कर्मचारी के रूप में नियोजित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो गैर-वंशानुगत सफाई कर्मचारी समुदायों के हैं;

(ख) क्या सरकार ने गैर-अनुसूचित जाति समुदायों से सफाई कर्मचारियों के रूप में नियोजित करने के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) क्या सरकार को सफाई कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ताकि वंशानुगत सफाई कर्म-चारियों के अलावा भी व्यक्तियों को रोजगार के लिए आकर्षित किया जा सके।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार के अधीन सफाई कर्मचारी के रूप में वंशानुगत तथा गैर वंशानुगत सफाई कर्मचारी सप्रदायों से सम्ब-न्धित व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग). जी नहीं, श्रीमान्।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये जा रहे वैज्ञानिक कार्य का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव

1023. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किए गए वैज्ञानिक कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा राष्ट्रीय विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). अध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा नियुक्त की गयी तीसरी पुनर्विलोकन समिति द्वारा वर्ष 1964 में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक कार्य का पुनर्विलोकन किया गया था। समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विज्ञान संस्थाओं में किये गये कार्यों और उनके परिणामों का आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए हुए उपयोग पर एक विशेष प्रतिवेदन भी संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय

1024. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और उन प्रवर्ती वर्षों में जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है;

(ख) प्रति वर्ष स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों में यदि कोई वृद्धि है तो वह क्या है; और

(ग) इसके रूख के बारे में इससे क्या वास्तविक संकेत मिलते हैं और चालू योजना अवधि में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) 1966-67 और उससे आगामी वर्षों के दौरान प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय. जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, इस प्रकार थी:—

वर्ष	प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय	
	स्थिर (1960-61) के भावों के आधार पर	चालू भावों के आधार पर
	(रुपये)	(रुपये)
1966—67*	307.9	482.9
1967—68*	329.2	560.8
1968—69*	329.9	554.7
1969—70*	339.4	589.3

*अनन्तिम

(ख) स्थिर भावों के आधार पर प्रतिशतता वृद्धि इस प्रकार है:—

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर (1960-61) भावों के आधार पर प्रतिशतता में वृद्धि
1966–67*	(–) 0.8
1967–68*	6.9
1968–69*	0.2
1969–70*	2.9

*अनन्तिम

चालू भावों के आधार पर वृद्धि नहीं निकाली जाती क्योंकि उस पर कीमतों की विषम गति का प्रभाव पड़ता है ।

(ग) चौथी योजना के प्रारम्भिक वर्ष में हुई वृद्धि और कृषि उत्पादन, उद्योग और अन्य सेक्टरों के रूखों सहित अन्य संकेतों पर विचार करने से यह प्रतित होता है कि चौथी योजना में बतलाई गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर प्राप्त हो सकेगी ।

Assistance to U. P. for Development of Backward Hill Areas

1025. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to give separate grants to the Uttar Pradesh Government for the development of backward hill areas of Uttar Pradesh; and

(b) if, so the amount thereof and the items on which this amount would be spent?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). Yes, Sir. The entire development Plan of the hill areas in Uttar Pradesh is financed through Central assistance (50% loan and 50% grant) within the total Plan assistance for the State as a whole. The State's Fourth Plan includes a provision of Rs. 65.05 crores for the hill region under the following sectors of development :

		(Rs. Lakhs)
1.	Agriculture and allied programmes	2435
2.	Corporation & Community Development	145
3.	Irrigation & Power	810
4.	Industry & Mining	162
5.	Transport & Communications	1455
6.	Social Services	1483
7.	Miscellaneous	6
	Total	6505

Central Assistance for Economic Development of Uttarakhand

1026. **Shri N. S. Bisht**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the amount of grant-in-aid given by the Central Government for the economic development of Uttarakhand during the three Plans, three Annual Plans and the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether the Central assistance of Rs. 24 crores which was being given previously has been stopped now, and if so, the reasons therefor; and

(c) whether, keeping in view the widespread poverty in Uttarakhand, Government propose to revive the Central grant-in-aid on an enhanced scale for the economic development of that region?

The **Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia)** : (a) The scheme of accelerated development of Uttarakhand comprising the districts of Uttarkashi, Chamoli and Pithoragarh, took final shape in the year 1960. Since then, Central assistance is being given by the Government of India for the development of this area. Central assistance in the form of grants given for the development plan of Uttarakhand is as under:

	Grant in Rs. crores
1960-61	0.50
3rd Five Year Plan	11.62
Three Annual Plans	
1966-67	1.90
1967-68	1.97
1968-69	1.65

In the State's Fourth Plan, a provision of Rs. 20 crores had been made for Uttarakhand of which half will be grant. In the first three years of the Fourth Plan, the following outlays have been included in the State's Annual Plans for Uttarakhand:

	Rs. crores
1969-70	3.50
1970-71	4.36
1971-72	4.00

(b) No, Sir. The Third Plad allocation of Central assistance was Rs. 24 crores against which the State Government was paid Rs. 18.58 crores on the basis of actual expenditure. As already stated, the Fourth Plan outlay of Uttar Pradesh includes a provision of Rs. 20 crores for Uttarakhand, which would be fully financed through Central assistance.

(c) Since Central assistance for the development plan of Uttarakhand in the shape of grant and loan is continuing, the question of revival does not arise. Should it be possible for the State Government to provide a bigger outlay for the development plan of Uttarakhand than Rs. 20 crores, the amount of grant-in-aid will correspondingly increase.

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा जाली विनिमय परमिट गिरोह का पता लगाना

1027. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने जाली विनिमय परमिटों के द्वारा विदेशी मुद्रा निकालने वाला एक विनिमय परमिट गिरोह का पता लगाया है और प्रवर्तन निदेशालय बहुत तेजी से इस मामले की जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) क्या कोई बैंक भी इस मामले में शामिल हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उनके सामने दो विभिन्न बैंकों से एक ही नम्बर के परमिटों पर 1,850 अमरिकन डालर की विदेशी मुद्रा निकालने का एक उदाहरण आया है । सन्देह किया जाता है कि इनमें से एक मामले में जाली विनिमय परमिट पर मुद्रा निकाली थी और मामले की छानबीन की जा रही है।

ऐसा कोई मामला प्रवर्तन निदेशालय के विचाराधीन नहीं हैं ।

समाचार प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व का स्वरूप

1028. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री मायावन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के स्वरूप का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). समाचारपत्रों **को** प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे का विभागीय अध्ययन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार वार्षिक प्रकाशन "दि प्रैस इन इण्डिया" में समाचार पत्रों के स्वामित्व पर कुछ डाटा प्रकाशित करते है । यह डाटा उन वार्षिक विवरणों पर आधारित होता है जो समाचारपत्रों द्वारा प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अनुसार समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार को दिये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता

1029. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी आर्थिक सहायता दिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार ने 15 पूर्वी जिलों, 8 पर्वतीय जिलों तथा बुन्देलखण्ड के 4 जिलों को पिछड़े हुए क्षेत्र अभिनिर्धारित किया है। पर्वतीय जिले की विकास योजना की वित्त व्यवस्था राज्य योजना के लिए मिलने वाली कुल केन्द्रीय सहायता में से केन्द्रीय सहायता (50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान) के रूप में की जाती है। अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता सामान्य पद्धति के अनुसार दी जाती है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यतः राज्य के पिछड़े इलाकों के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु 181 करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की गई।

(ग) राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार राज्यों में वितरित कर दी गई थी।

चीन द्वारा दूसरा अन्तरिक्ष उपग्रह छोड़ा जाना

1030. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल में अपना दूसरा अन्तरिक्ष उपग्रह छोड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाधी) : (क) जी हां,। चीन ने अपना दूसरा उपग्रह ३ मार्च, 1971 को छोड़ा था।

(ख) यह घटना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन की प्रगति का द्योतक है।

केरल सरकार की नारियल-जटा उद्योग विकास करने सम्बन्धी योजना

1031. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र को नारियल-जटा उद्योग का विकास करने और इस उद्योग की वर्तमान संकट से रक्षा करने हेतु कोई व्यापक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा केरल को उन सिफारिशों के आधार पर कितनी सहायता दी गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1968 में, केरल सरकार ने राज्य में कैयर उद्योग के विकास के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी । इस योजना में 13.45 करोड़ रु० से ऋण तथा 2.14 करोड़ रु० के अनुदान मिलाकर कुल 15.59 करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था । राज्य सरकार ने यह भी परिकल्पना की कि सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए । सरकार ने योजना पर विचार किया और यह विनिश्चय किया कि योजना आयोग एक अध्ययन दल स्थापित करेगा जो (क) तृतीय योजना की अवधि से अब तक, विशेषत: निर्यात निष्पादन के सन्दर्भ में, कयर उद्योग के विकास की व्यापक समीक्षा करना, और (ख) इस उद्योग का सुदृढ़ आधार पर विकास करने के लिये सिफारिशें करेगा । अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1970 में प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में, केरल सरकार की योजना की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करके, 6.99 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है । केरल सरकार और अध्ययन दल के प्राक्कलनों के अनुसार खर्च के तुलनात्मक ब्यौरे निम्नांकित है :

खर्च की मद	केरल सरकार योजना		अध्ययन दल के प्राक्कलन	
	ऋण	अनुदान	संभावित आवश्यकता	वास्तविक आवश्यकता
1. कार्यकारी पूंजी	12.50	–	4.0	1.00
2. व्याज पर इमदाद	0.50	–	1.0	1.00
3. अंश पूंजी में अंशदान	–	–	0.45	—
4. कीमत अस्थिर विधि	–	–	0.50	0.50
5. गोदाम तथा बिक्री भंडार	0.45	0.45	0.50	0.50
6. प्रबंधात्मक सहायता	–	1.20	0.44	0.44
7. अतिरिक्त अमला	–	0.35	0.10	0.10
8. बालकक्ष तथा शिशु गृह	–	0.14	–	–
	13.45	2.14	6.99	3.54
	15.59			

अध्ययन दल ने योजना आयोग के उन विचारों का भी समर्थन किया जो पहले केरल सरकार के प्राधिकारियों से विचार-विमर्श के समय व्यक्त किये गये थे कि कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता संस्थागत वित्त से पूरी की जानी चाहिए। किन्तु, संस्थागत पूंजी की दिशा में अन्तरण की अवधि के दौरान समर्थन के रूप में राज्य निधियां दी जा सकती है। इस अवधि के लिये आवश्यकता का, चौथी योजना के अन्त तक 1 करोड़ रु० से कम होने का अनुमान लगाया गया है। जहां तक 0.45 करोड़ रु० की अंश पूंजी के अंशदान का सम्बन्ध है (जिसमें कयर सदन के लिये 5 लाख रु० भी शामिल है), अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि प्राथमिक तथा केन्द्रीय समितियों के लिये 0.40 करोड़ रु० की व्यवस्था, सरकार द्वारा पहले ही दिये गये कार्यकारी पूंजी ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करके पूरी की जानी चाहिए। बालकक्षों तथा शिशु गृहों के लिये कल्याण योजनाओं के खर्चे, सामाजिक सेवाओं के लिये राज्य योजना की व्यवस्था से पूरे किये जाने चाहिए। अतः, अध्ययन दल ने पूरी चौथी योजना के लिये केरल के कयर उद्योग के लिये कुल 3.54 करोड़ रु० की व्यवस्था करने की सिफारिश की है।

केरल के ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये चौथी योजना में कुल 10.43 करोड़ रु० की अनुमोदित व्यवस्था है, जिसमें से राज्य सरकार ने कयर उद्योग के लिये 3.0 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। 1971-74 के तीन वर्षों में योजना के कार्यान्वित करने के लिये अभी भी 2.033 करोड़ रु० बाकी उपलब्ध हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान केरल की योजना के वित्त के व्यय के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि केरल के कयर उद्योग पर कुल खर्च शायद चौथी योजना में 3.0 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय से अधिक नहीं होगा। किन्तु, यदि अध्ययन दल की सिफारिशों को लागू करने के लिये अनुमोदित परिव्यय से अधिक खर्च करना भी पड़ जाए तो, इस विषय में योजना आयोग के विचार के अनुसार, राज्य सरकार को यह अतिरिक्त राशि, वार्षिक आधार पर, केरल सरकार के लिये अनुमोदित योजना परिव्यय में से समायोजन द्वारा निकालनी होगी।

समाचारपत्रों में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कानून बनाना

1032. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के 15 वें वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने यह कहा था कि अब समय आ गया है जबकि समाचार-पत्रों में एकाधिकार को समाप्त किया जाये ;

(ख) क्या अपने भाषण में उन्होंने देश में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के आड़े आने वाली कानूनी रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से इस प्रश्न की पूरी-पूरी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस दिशा में अब तक क्या उपाय किये गये है और क्या इन उपायों से समाचारपत्रों में एकाधिकार को रोकने में सहायता मिली है और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई व्यापक कानून बनाने का है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) और (ख). भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के 15 वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन मेरे साथी विधि और न्याय मंत्री द्वारा किया गया था । उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ भारतीय समाचार पत्रों में एकाधिकार की वृद्धि को रोकने के उपायों कि आवश्यकता पर बल दिया था ।

(ग) तथा (घ). भारतीय समाचारपत्रों में एकाधिकार की वृद्धि को रोकने के लिये इस मंत्रालय द्वारा अब तक जो कदम उठाये गये हैं उनको दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार समाचारपत्र उद्योग में स्वामित्व के संकेन्द्रण, जिससे विचारों का एकमार्गीकरण हो सकता है, के खतरे से पूरी तरह सजग है और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को यथा संभव रोकने के लिए उत्सुक है । इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये गये है :

1. प्रेस रजिस्ट्रार समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के स्वामित्व का हर साल पुर्नविलोकन करता है तथा समान स्वामित्व वाली यूनिटों के विकास का अध्ययन करता हैं और उन्हें 'प्रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक में प्रकाशित करता है, ताकि समाचार पत्रों के स्वामित्व से संबंधित तथ्यों से जनता परिचित हो सके।

2. प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत बनाई गई समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 के अधीन समाचारपत्रों के लिये यह आवश्यक है कि वे हर वर्ष फरवरी मास के अंतिम दिन के बाद के अपने पहले अंक में, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचारपत्रों के मालिकों और कुल शेयर पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के शेयर रखने वाले शेयर होल्डरों या पार्टनर से संबंधित जानकारी प्रकाशित करें । इसका उल्लंघन करना "प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण, अधिनियम, 1867" के अन्तर्गत एक अपराध है जिसके लिये दण्ड स्वरूप 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है ।

3. अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत, समाचारपत्र समूह को नया पत्र निकालने के लिये अतिरिक्त अखबारी कागज नहीं दिया जाता ।

4. दिवाकर समिति को सिफारिश पर, मुद्रण एवं कम्पोजिंग यंत्रों के लिए हर वर्ष उपलब्ध की जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में से 50% राशि छोटे समाचारपत्रों (15,000 तक परिचालन संख्या वाले), 35 प्रतिशत मंझोले समाचारपत्रों (15,000 से 50,000 तक परिचालन संख्या वाले) और केवल 15 प्रतिशत राशि बड़े समाचारपत्रों (50,000 से अधिक परिचालन संख्या वाले) को अलाट की जाती है ।

5. सरकारी विज्ञापनों को देने की नीति यह है कि विज्ञापन समाचारपत्रों को बारी बारी से दिये जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जा सके और ज्यादा परिचालन संख्या वाले समाचारपत्रों को ही सरकारी विज्ञापनों का बड़ा हिस्सा न मिले। सरकार की यह नीति है कि छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों, विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वालों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

6. बड़े समाचारपत्रों द्वारा छोटे समा ारपत्रों को दबाने, निर्बल करने और समाप्त करने के लिये, जिसके संबंध में प्रायः शिकायत रहती है, अपनाई गई अनु ित प्रतियोगिता और/या निबन्धात्मक तरीकों यदि कोई हो, के बारे में प्रथम तथा विस्तार तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेस परिषद् द्वारा स्थापित एक उप समिति ने सभी भाषाओं के उन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को, जिनकी परिचालन संख्या 5,000 प्रतियाँ या इससे अधिक थी, एक पत्र भेजकर उनसे विशिष्ट और उदाहरण मांगे। उत्तर में केवल दस दैनिकों तथा चार साप्ताहिकों ने ऐसे विशिष्ट मामलो का उल्लेख किया जो उनके विचार में बड़े समाचारपत्रों द्वारा अपनाए गए निर्बन्धात्मक तरीके थे। इस समय परिषद् निर्बन्धात्मक तरीकों के उदाहरणों के बारे में अतिरिक्त सूचना एकत्रित करके जाँच कर रही है। ...

7. छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के स्वस्थ विकास के लिए सरकार इन्हें न कि बड़े समाचारपत्रों को, आर्थिक सहायता देने के लिए समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है।

8. (अ) सरकार का यह विचार है कि सरकार ने अब तक जो कदम उठाये है, यदि वे उठाये नहीं गए होते, तो शृंखला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि कहीं अधिक होती। तथापि, यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि सरकार द्वारा उठाये गये कदम कितने प्रभावकारी हुए है। सरकार का यह विश्वास है कि शृंखला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए जो अच्छे आधार पर चलाये जाते है और जो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ सम्पादकीय नीति अपनाते हैं। सरकार को विश्वास हैं कि इस मामले में पहले ही उठाए गए तथा आगे उठाए जाने वाले कदम छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के विकास में अत्यंत सहायक होंगे और इस प्रकार शृंखला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोका जा सकेगा।

(ब) लघु समाचारपत्र सम्बन्धी दिवाकर समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने आकाशवाणी से धीमी गति वाले एक समाचार बुलेटिन का प्रसारण आरम्भ किया है जिसमें महत्वपूर्ण समाचार होते हैं, विशेषकर उन छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के लिए जो आर्थिक कारणों से समाचर एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है।

समाचारपत्रों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढाँचे का विभागीय अध्ययन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। अध्ययन के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा बलराम वर्मा टैक्सटाइल मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना

1033. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री समर मुकर्जी :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार का कोई पत्र मिला है कि बन्द बलराम वर्मा टैक्सटाइल मिल्स, शेनकोट्टई (तमिलनाडु) को टैक्सटाइल कारपोरेशन के माध्यम से अपने अधिकार में ले ले ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) इस मिल को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिकार में लेने के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का बन्द होना

1034. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में अनेक पटसन मिल संकट में हैं, और बन्द होने की स्थिति तक पहुंच गये ; और

(ख) क्या सरकार ने उन मिलों को, जो पश्चिम बंगाल में इस समय बन्द पड़े हैं, अपने अधिकार में लेने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कुल 10 मिलों में से दो मिलों को सितम्बर-अक्टूबर, 1970 में पुनः चालू कर दिया गया था अब राज्य में एक और बन्द पड़ी मिल को पुनः चालू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। शेष 7 मिलों में पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें है जो कि लाभप्रद रूप में चलाई नहीं जा सकतीं। यद्यपि इन एकको पुनः चालू करने की सम्भावना कम है, तथापि यह पता लगाने के लिए यथासम्भव उपाय किये जा रहे हैं कि इन्हे पुनः चालू किया सकता है या नहीं।

चुने हुए उद्योगों में सह–उद्यम

1035. **श्री एस०आर० दामाणी** : (क) चुने हुए उद्योगों में सह-उद्यम शुरू करने सम्बन्धी सरकार की योजना के प्रति उद्यमकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने मदों पर निर्णय ले लिया है, निश्चित योजनाएं बना ली है और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है; और

(ग) यदि हां, तो अनुपरीक्षणाधीन योजनाओं की संख्या क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). वर्ष 1968 से अब तक की अवधि के दौरान सरकार को, विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु भारतीय उद्यमियों से लगभग 165 पुख्ता प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं।

उद्योगपतियों को केवल ऐसे उद्योगों से संबंधित संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिनमें मशीनों के निर्माण की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है और जिनके उत्पादों की आन्तरिक मांग लगभग पूरी हो जाती है। इनमें वस्त्र, रसायन, इंजीनियरी, भेषजीय पदार्थ, डिब्बाबन्दी, मिष्ठान, रबड़ उत्पाद, पलास्टिक, कागज व लुग्दी, स्कूटर के संयोजित पुर्जे, आटा मिलों आदि जैसे उद्योग शामिल हैं। सरकार ने विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में भारतीयों द्वारा भाग लेने के संबंध में सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं, जिनकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्थापनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण, लोक सभा में 2 जून, 71 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 1005 के उत्तर में सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संयुक्त विदेशी औद्योगिक उद्यमों में भारतीय साझेदारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. सामान्यतः भारतीय पार्टियों को अल्पांश के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसका अभिप्राय यह कि भारतीय पार्टियों को विदेशों में अधिकांश अधिकृत पूंजी के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि विदेशी पार्टियां तथा विदेशी सरकार भारत के अधिकांश आधार पर भाग लेने को स्वीकार करने के लिये तैयार हों तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकार विदेशों में स्थानिक पार्टियों के साथ सहयोग के पक्ष में है; जहां कहीं भी व्यवहारिक हो स्थानिक विकास बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा स्थानीय सरकारों के साथ भी सहयोग के पक्ष में है।

2. केवल विदेश में कम्पनी की स्थापना करने के लिए प्रारम्भिक व्यय के लिए आवश्यक अल्प राशियों के अलावा अन्य नकद राशि बाहार भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. भारतीय साझेदारी, नये उद्यमों के लिए अपेक्षित देशी मशीनें, उपस्कर, तकनीकी जानकारी आदि देने के रूप में होनी चाहिए। सरंचना संबंधी सामग्री, इस्पात मदों, निर्माण सामग्री, संघटकों आदि के मूल्य को पूंजी में शामिल करने की अनुमति नहीं है। परन्तु यदि मशीनों आदि का मूल्य उपयुक्त स्तर पर आवश्यक पूंजी को पूरा करने में कम पड़ जाता है और केबल पूंजीगत माल के निर्यात से भारतीय अंशपूंजी का जो स्तर स्थापित होगा उससे अधिक ऊंचे स्तर पर भारतीय पूंजी अंश को रखना आवश्यक है तो ढांचों, इस्पात की मदों तथा निर्माण सामग्री (किन्तु संघटक नहीं) को उस हद तक शामिल करने के प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने पर कोई रुकावट नहीं होगी, जिस हद तक कि उस विशेष परियोजना के लिये भारतीय पूंजी को पूरा करने के लिये इन चीजों की आवश्यकता है।

4. भारतीय निवेश के बदले निर्यातित मशीनें भारतीय बैंक की होनी चाहिए। किसी भी पुरानी अथवा नवीकृत मशीन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. इक्विटी पूंजी के बदले निर्यातों पर सामान्य आयात प्रतिभूति दी जायेगी जैसे कि पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातको को प्राप्त हैं।

6. भारतीय इक्विटी के बदले निर्यातित मशीन, तथा उपस्कर पर नकद सहायता, यदि अन्यथा अनुमेय हो, दी जायगी तथापि इसकी अधिकतम सीमा जहाज पर कीमत का 10 प्रतिशत होगी।

7. भारतीय उद्योगपतियों को जहां तक व्यवहारिक हो, आद्योपात प्रयोजना के लिए प्रस्थापना रखनी चाहिए क्योंकि इससे विदेशी निवेशकर्त्ताओं के उत्तरदायित्व कम हो जायेंगे।

8. भारतीय पार्टियों को यथा संभव विदेशी पार्टियो के साथ करारों में यह व्यवस्था करनी चाहिये कि निवेश के देश के राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण सुविधाएं दी जायेंगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ

1036. **श्री एस० एम० कृष्ण** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम लाभ दिखाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अधिक लाभ न दिखाने के क्या कारण हैं यद्यपि निगम आयात तथा निर्यात दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ सका है; और

(ग) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में राज्य व्यापार निगम ने कुल कितनी बिक्री की?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम का सकल व्यापार लाभ 1969-70 की अपेक्षा 1970-71 में भिन्नात्मक रूप में अधिक था परन्तु वर्धित कारोबार को देखते हुए उसके लाभ की दर निम्नलिखित कारणों से अपेक्षाकृत कम रही :–

(1) नये बाजारों में कठिनता से बिकने वाली तथा अपरम्परागत मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत भारी विकासात्मक व्यय ;

(2) अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता बनाये रखने के लिए आयात कारोबार में अपेक्षाकृत कम लाभ ; और

(3) अपेक्षाकृत अधिक बीमा तथा ब्याज और अन्य प्रभारों के फलस्वरूप लागतों में मामूली वृद्धि।

(ग) वर्ष 1969–70 तथा 1970-71 में कुल बिक्री क्रमशः 210.7 करोड़ रु० तथा 215.0 करोड़ रु० (अन्तिम) थी।

बढ़िया किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृध्दि

1037. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में अत्याधिक बढ़िया और बढ़िया किस्म के कपड़े के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : गत तीन वर्षों के दौरान मिल के बने अत्याधिक बढ़िया और बढ़िया किस्म के सूती कपड़े के उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :--

(दस लाख मीटरों में)

किस्म	1968	1969	1970
बढ़िया	208	177	219
अत्यधिक बढ़िया	353	324	385

सूती कपडा तथा जूट मिलों का पुनः चलाया जाना

1038. **श्री श्याम नन्दन मिश्र**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री जह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब कितनी सूती कपडा तथा जूट मिलों को पुनः चलाया गया है ; और

(ख) इस कार्य के लिए क्या विशेष आर्थिक सहायता दी गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य पटसन उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग के नवीकरण और आधुनिकीकरण का उल्लेख कर रहे हैं । यदि यह सही है तो अब तक 63 पटसन मिलों ने अपने कताई तथा सज्जा खातों राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम वर्ष 1963 तक पटसन मिलों को ऋण सहायता दिया करता था । इस निगम द्वारा 25 पटसन मिलों को 578. 28 लाख रु० के कुल ऋण दिये गये थे । अब औद्योगिक वित्त निगम पटसन मिलों को आधुनिकीकरण विविधीकरण के लिये ऋण देता है । मार्च, 1971 तक निगम ने 16 मिलों को 645.95 लाख रु० की कुल राशि के ऋणों की मंजूरी दी जिसमें से मिलों ने 261.53 लाख रु० लिए । जहां तक सूती वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है उसे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगम और कतिपय अनुसूचित बैंको द्वारा आधुनिकीकरण के लिए ऋण दिये गये हैं । एक विवरण-अनुबन्ध 1 संलग्न हैं जिसमें वर्ष 1960 से बिभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग को आधुनिकीकरण के लिए मंजूर/वितरित किये गये ऋण दर्शाये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 279/71] इन ऋणों से जिन सूती वस्त्र मिलो को लाभ पहूंचा उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय रेल डिब्बों का ताइवान को निर्यात

1039. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ताईवान से भारतीय रेल डिब्बों की सप्लाई के लिये क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने डिब्बे सप्लाई किये गये; और

(ग) अभी कितने सप्लाई होने बाकी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1969 में 113 स्थानिक सवारी डिब्बों का क्रयादेश प्राप्त हुआ था और उसकी क्रियान्विति इंटेग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा की जा रही है। जुलाई 1971 में डिब्बों का भेजा जाना शुरू हो जायेगा ।

आयात लाइसेंस प्रणाली के आधार पर टैरिफ व्यवस्था

1040. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विभिन्न एजन्सियों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है कि आयात लाइसेंस व्यवस्था के स्थान पर टैरिफ व्यवस्था लागू की जाये;

(ख) यदि हां, तो उस के पक्ष में क्या-क्या तर्क हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी, नहीं !

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

जूट के सामान के उपयोग का निर्धारण

1041. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि माल, सीमेंट और उर्वरक के उत्पादन में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले तीन वर्षों में जूट के सामान की खपत में होने वाली वृद्धि का निर्धारण किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी, हां

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पटसन के सामान की आंतरिक खपत में लगभग 6.9 लाख मे० टन की वृद्धि होने का अनुमान है ।

हथकरघा, हस्तशिल्प तथा नारियल जटा के लिए एक बोर्ड की स्थापना

1042. **श्रीमति भार्गवी तंकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के सामने कोई प्रस्ताव है कि हथकरघा, हस्तशिल्प तथा नारियल जटा सम्बन्धी बोर्डों का एकीकरण करके एक बोर्ड स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिली सिलाई कमीज उद्योग

1043. **श्री सोमनाथ चटर्जी**: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि सिली सिलाई कमीज उद्योग में लिबर्टी, आमरे और एरिस्टो नाम की ही कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनका इस उद्योग पर एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर और छोटे पैमाने पर कमीजों के निर्माताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा बनाई जाने वाली महंगी फैशनेबल कमीजों की अपेक्षा अधिक उपयोगी कमीजें बनाने वाले छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (घ). मिल क्षेत्र के साथ-साथ लघु पैमाने के क्षेत्र में कई ऐसे एकक हैं जो अपने 'ब्रांड' अथवा बिना 'ब्रांड नाम की सिली-सिलाई कमीजों का उत्पादन करते हैं। इन में से कुछ 'ब्रांड' अन्य ब्रांडों की अपेक्षा, विज्ञापन के 'बेहतर तकनीक अपनाने के सहित अनेक कारणों से अधिक लोकप्रिय हो गये हैं, परन्तु उनका उद्योग पर एकाधिकार नहीं है। संयोगवश, 'लिबर्टी' 'आर्मेर' तथा 'एरिस्टो' ब्रांडों के अंतर्गत सिली-सिलाई कमीजें तैयार करने वाले एकक लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विशाल पैमाने तथा लघु निर्माताओं की उत्पादक कम्पनियों, ब्रांड नामों तथा आकार के विषय में जानकारी एकत्र की जा रही है।

सस्ती सिली-सिलाई कमीजों का उत्पादन भी किया जा रहा है और सरकार लघु क्षेत्र पैमाने के एककों को सीधे अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से मशीनें आयात करने की अनुमति दे रही है। उद्योग निर्देशक के साथ पंजीकृत बहुत छोटे एककों को बिना किसी निर्यात बाध्यता के 8000 रु. मूल्य तक की सिलाई मशीनों तथा अन्य अनुषंगी उपस्करों की अनुमेय मदों के आयात करने की अनुमति है।

बंगाल तथा बिहार में देशद्रोहियों तथा जासूसों की घुसपैठ रोकने के उपाय

1044. **श्री श्याम नन्दन मिश्र**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल तथा बिहार मे पूर्वी सीमा से पंचमार्गियों तथा जासूसों की घुसपैठ रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र में ऐसे जासूसों तथा पंचमार्गियों की अब तक कोई गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) शरणार्थियों की छानबीन करने के लिए किये गये प्रबन्धों के अतिरिक्त सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है । निवारक नजरबन्दी के लिये भी अब कानूनी स्वीकृति उपलब्ध है ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायगी ।

Radio Station in Suratgarh, Rajasthan

1045. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal for the setting up of a Radio Station in Suratgarh Tehsil in Ganganagar District bordering Pakistan;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) the time by which this proposal is likely to materialise?

The Depute Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 54.62 lakhs approximately.

(e) By 1974-75.

व्यापार विकास प्राधिकरण

1046. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण को संयोजन और गठन कार्य पूरा हो गया है और उसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के भीतर और विदेशों में इस समय इसके क्या कार्य कलाप है; और

(ग) विदेशों में भारतीय सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस निकाय द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेशी व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) (1) विदेशों से क्रेताओं के मिशनों तथा दलों को इस देश में आने का निमंत्रण देना और समर्थ निर्यातक एककों के साथ सम्पर्क स्थापित करना;

(2) भारत से इंजीनियरी तथा अन्य उपस्करों के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय उप-संविदाओं को आकर्षित करना;

(3) निर्यात सम्भाव्यता वाले उत्पादों तथा बाजारों से सम्बद्ध संभाव्य विदेशी क्रेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये भारतीय उद्योग से तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के विदेशी दौरों को प्रोत्साहन देना;

(4) भारतीय निवेश केन्द्र के सहयोग से देश में निर्यात-अभिमुख संयुक्त उद्यमों को बढ़ाना;

(5) निर्यात में उत्पाद विकास के लिए प्रति-नमूने तैयार करने के लिये तकनीकी नमूनों तथा कच्चे माल का आयात करना;

(6) निर्यात के लिए उत्पादन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निवेश-पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन करना तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना;

(7) जहां विनियमन लागू है वहां निर्यात योग्य माल तैयार करने वाली परियोजनाओं को सरकारी संस्थागत व्यवस्था में से गुजरवा कर स्वीकृत करवाना; और

(8) निर्यात उत्पादन तथा विपणन में निवेश सामग्री की व्यक्तिगत आधार पर पैकेज सेवा की योजना को चलाना ।

विवरण

(i) औद्योगिक क्षेत्र में एक विकासक्षम तथा वर्धमान निर्यात क्षेत्र बनाने में प्रोत्साहन तथा सहायता देना, उत्पादक एककों को तकनीकी रूप से सक्षम और वाणिज्यिक रूप से सुयोग्य बनाना, उत्पादों को परम्परागत तथा भावी रूप से सम्पन्नता से युक्त करना और बाजारों का दीर्घ क्रमिक विकास भविष्य :

(ii) (क) अन्य बातों के साथ साथ व्यापार विकास प्राधिकरण तथा विदेशों में स्थित सूचना केन्द्रों के माध्यम से निर्यातक एककों के लाभार्थ विदेशी बाजारों के विषय में विशिष्ट सूचना और

(ख) विदेशी क्रेताओं को क्रय के सम्बन्ध में सही अनुमान पर पहुंचने में सहायता देने के लिये भारतीय उत्पादन और निर्यात सामर्थ्यों के एक केन्द्रीय सांख्यिकी बैंक का विकास तथा संचलन करना ।

(iii) विदेशी में बड़े बड़े विभाग-स्टोरों, आयातकों तथा औद्योगिक क्रेताओं का पता लगाना और उनका व्यापार करने के लिए भारत के सुयोग्य निर्यात एककों के साथ सम्पर्क स्थापित करना;

(iv) निर्यात की क्षमता का निर्माण अथवा विस्तार करने में सहायता देना;

(v) उत्पाद विकास/अनुकूलन का काम हाथ में लेना और कुछ चुने हुए औद्योगिक निर्यातों का तकनीकी स्तर ऊंचा करने में सहायता देना :

(vi) निर्यात उत्पादन तथा विपणन में अन्तर्निवेशों के सम्बन्ध में निर्यातक एककों की सेवा ;

(vii) सामान्यतः निर्यात उद्यमों तथा विशेषतः मध्यम और लघु क्षेत्र के उद्योगों की क्षमताशीलता का संगठन करना, और

(viii) उत्पाद तथा विदेशों में निर्यात अनुसंधान के निमित्त राष्ट्रीय प्रयासों का समंजन करना और थोड़े समय के पूर्वानुमान तथा अन्तः फर्म तुलना के क्षेत्रों में देश में मौलिक रूप से अनुसंधान करना ।

उपभोक्ता और प्रसाधन की सामग्रियों के आयात में उदारता बरतने सम्बधी प्रस्ताव

1047. **श्री राम सहाय पान्डे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसी उपभोक्ता और प्रसाधन सामग्री का उदारतापूर्वक आयात करने का विचार है, जिनकी देश में बहुत मांग है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है; ओर

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बड़े बड़े शहरों में टेलीफोन की असन्तोषजनक सेवा

1048. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े-बड़े शहरों की टेलीफोन सेवा असंतोषजनक हो रही है यहां तक कि कई लाइनें लम्बे समय तक सामान्यतः खराब रहती हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इसके कारण की जांच की है और देश में, विशेषरूप से बड़े-बड़े शहरों में टेलीफोन सेवा सुधारने के लिये कोई कार्यवाई की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सभी बड़े शहरों, सर्कल मुख्यालयों और डाक-तार महानिदेशालय स्थित सेवा पर्यवेक्षण दल टेलीफोन सर्विस पर लगातार नज़र रखते हैं । शिकायतों और खराबियों का विश्लेषण किया जाता है और आवश्यक होने पर सुधार के लिए कार्यवाई की जाती है ।

बिजली के सामान और मशीनों का निर्यात

1049. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 और 1970-71 के दौरान बिजली के सामान तथा मशीनों के निर्यात से कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ख) क्या विदेशों में इन वस्तुओं की बहुत मांग है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों में उदित हो रहे इन बाजारों पर अधिकार करने हेतु उच्च कोटि के उत्पादों का उत्पादन करने के विचार से भारतीय उद्योग को गति प्रदान करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान निर्यातित इलेक्ट्रानिक सामान तथा मशीनों के मूल्य क्रमश: 23.17 करोड़ रु० तथा 23.45 करोड़ रु० थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) इलेक्ट्रानिक उपस्करों तथा संघटकों के उत्पादन तथा विपणन को आगे बढ़ाने का कार्य हाल ही में स्थापित व्यापार विकास प्राधिकरण को इलेक्ट्रानिक आयोग से परमर्श करके प्राथमिकता के आधार पर करने के लिये कहा गया है ।

(2) भारत में उत्पादित इलेक्ट्रानिक उपकरों की विभिन्न किस्मों के लिए विदेशों में निर्यात विपणन अवसरों तथा आयातकों का पता लगाया जाता रहा है और लगाया जा रहा है और यह जानकारी देश के उन एककों को दी जाती है जो तकनीकी रूप में समर्थ हैं और जिनका उत्पादन वाणिज्यिक दृष्टिकोण से लाभप्रद है ।

(3) विकास-क्षम इलेक्ट्रानिक उपस्करों तथा संघटकों के चयनात्मक निर्यात हेतु बोन्डेड परिष्करण तथा भांडारण क्षेत्र की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ।

(4) इलेक्ट्रानिक उपस्करों और संघटकों के निर्यात अभिमुख उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता का विस्तार करने या उसे उत्पन्न करने संबंधी प्रस्थापनाओं पर शीघ्रता से विचार किया जा रहा है ।

(5) इलेक्ट्रानिक मदों के निर्यात के आधार पर निर्यात सहायता प्रदान की जाती है ।

प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार

1050. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के परीक्षा-परिणाम में गत दो वर्षों के दौरान सुधार हुआ है;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के पदों के लिये कितने अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी; और

(ग) ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुछ तकनीकी सेवाओं को छोड़कर सामान्यतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित सभी रिक्तियां और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरा जाना है, वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में ली गई परीक्षाओं के आधार पर भरा गय था।

(ख) सेवा	वर्ष	अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यार्थियों की संख्या
भारतीय पुलिस सेवा	1969-70	6	2
भारतीय पुलिस सेवा	1970-71	8	3
भारतीय वन सेवा	1969-70	2	1
भारतीय वन सेवा	1970-71	3	–

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यार्थियों को इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रोत्साहन देते हुए सरकार उनके लिए इस समय दो पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों—एक-एक इलाहाबाद तथा मद्रास में चालू कर रही है। ये अखिल भारतीय संस्थायें हैं जिनमें दाखिल होने वाले अभ्यार्थियों के पढ़ाने, छात्रावास तथा आवास का सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। इन सम्प्रदायों से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ऐसे ही पूर्व-परीक्षा केन्द्र संघ लोक सेवा आयोग की संघ एवं राज्यों से सम्बन्धित राज्य सिविल सेवा तथा अन्य अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं को लेने के लिए भी स्थापित की गई हैं। ऐसे केन्द्र अब तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, केरल राज्यों द्वारा तथा संघ शासित राज्य दिल्ली में स्थापित किए गए हैं।

बिहार राज्य में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

1051. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं, किन्तु बिहार के कुछ गांवों में टेलीविजन कार्यक्रमों के सीधे प्रयोगात्मक उपग्रह, जो 1974 में स्थापित किया जाना हैं, से रिसेप्शन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय सामान की बिक्री का संवर्द्धन करने संबंधी प्रस्ताव

1052. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की वस्तुओं की बिक्री का संवर्ध्दन करने हेतु, हांगकांग में भारतीय और चीनी मूल के व्यापारियों से सहयोग करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बाते क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिये, हांगकांग में भारतीय और चीनी उद्भव के व्यापारियों के साथ एक संयुक्त समवाय स्थापित करने के लिए एक प्रस्थापना प्रस्तुत की हैं ।

(ख) तथा (ग). मामला विचाराधीन हैं ।

तम्बाकू निगम

1053. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक तम्बाकू निगम का गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम की स्थापना करने के उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी निधि नियत की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स, बीवर, राजस्थान के बन्द होने की जांच करने संबंधी समिति

1054. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स, बीवर, राजस्थान के बंद किये जाने की जांच करने और उसको पुनः खोलने के लिये सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्या उपरोक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एडवर्ड मिल्स कं० लि० व्यावर (राजस्थान) के मामलों की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी । जांच समिति ने हाल में ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा उस पर राज्य सरकार इत्यादि के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है । प्रतिवेदन का विषय गोपनीय है तथा इस प्रकार, उसकी अन्तर्वस्तु को बताना लोकहित में नहीं होगा ।

Nationalisation of Foreign Trade

1055. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the percentage of foreign trade being handled by Government at present and the extent to which Government propose to enter in this field during the next five years?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : Under arrangements so far made, about 70% of the import trade and over 10% of the export trade are accounted for by State agencies. Government has been undertaking studies of various commodities with regard tb their suitability for canalisation and will canalise as much of foreign trade through State agencies as is found feasible.

Framing of Recruitment Rules by Union Public Service Commission

1056. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Union Public Service Commission has formulated a number of recruitment rules but quite a large number of them have not been published by Government ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The position regarding delay in notification of recruitment rules concurred in by the Union Public Service Commission has been indicated in Appendix XII to the 20th Report of Union Public Service Commission. It is for the Administrative Ministry/Departmet concerned to frame and notify recruitment rules for the posts/services under them. Consultation with the Union Public Service Commission is also necessary before finalisation of recruitment rules for services/posts which fall within the purview of the Commission. Instructions have been issued in August, 1969 asking Ministries/Departments to notify recruitment rules within four weeks of the Commission's concurrence.

Radio Station at Gaya (Bihar)

1057. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state whether Government have under consideration any proposal to set up a Radio Station at Gaya in Bihar?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : No, Sir.

Persons arrested under Defence of India Act during Indo-Pak War

1058. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian and foreign nationals arrested under the Defence of India Act during the Indo-Pak War of 1965;

(b) the number of persons out of them who were prosecuted and of those acquitted later on; and

(c) the number of persons belonging to the minority and majority communities separately among the arrested persons?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

विदेशों में स्थित खान तथा धातु व्यापार निगम की शाखाओं का कार्य निष्पादन

1059. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान तथा धातु व्यापार निगम की कितनी शाखाएं विदेशों में कार्य कर रही हैं और ये कहां-कहां पर हैं;

(ख) हमारे निर्यात की वृद्धि करने में उन्होंने कितनी सहायता की है और किन-किन मदों का निर्यात करने में सहायता की है;

(ग) क्या खान तथा धातु व्यापार निगम ने अन्य देशों में अपने एजेंट नियुक्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों में नियुक्तियां की गई हैं और ये नियुक्तियां की जाने की कसौटी क्या है, उन्हें कितना कमीशन दिया जाता है और उनका कार्य-निष्पादन कैसा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). खनिज तथा धातु व्यापार निगम की देश से बाहर केवल एक ही शाखा है । यह टोकियो में है और इसने जापान को होने वाले लोह अयस्क के निर्यातों को वर्ष 1968–69 में 66 लाख मे० टन से बढ़ा कर वर्ष 1970-71 में 86 लाख मे० टन करने तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यातों को वर्ष 1968-69 में 8.3 मे० टन से बढ़ा कर वर्ष 1970–71 में 13 लाख मे० टन करने में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की पर्याप्त सहायता की है ।

(ग) तथा (घ). खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मन संघीय गणराज्य, स्पेन, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन, यूनान, लकसमबर्ग तथा जापान में एजेंट नियुक्त किये है । सुस्थापित आयातकों अथवा व्यापारिक सदनों, जिनके उपभोक्ताओं के साथ अच्छे सम्पर्क हैं, को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा एजेंटों अथवा 'लायजन' के रूप में नियुक्त किया जाता है । कमीशन, लौह अयस्क अथवा मैंगनीज अयस्क के निर्यात हेतु आदेश प्राप्त करने में की गई सेवा के आधार पर देय होता है । एजेंटों का कार्य निष्पादन पूर्णतया आशानुसार रहा है ।

पोस्टमास्टर जनरल (पंजाब) तथा डाक तार कर्मचारियों के बीच हुई बैठक से डाक-तार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का उठ कर चले जाना

1060. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व पोस्टमास्टर जनरल, पंजाब तथा डाक-तार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक से एन० एफ० पी० टी० ई० से सम्बद्ध 9 अधिकृत संघों के कर्मचारी प्रतिनिधि उठ कर चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या थीं;

(ग) क्या उनकी मांगों और उनकी बैठक से उठ कर चले जाने के मामले पर इस बीच समझौता हुआ है; और

(घ) पंजाब क्षेत्र में संघों से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पंजाब सर्कल में यूनियनों और प्रशासन के बीच सम्बन्ध अब तक सामान्य और सोहार्दपूर्ण हैं।

भारत के निर्यात व्यापार में गिरावट

1061. **श्री पी० के० देव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1971 को 'इकोनोमिक टाईम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1970 के दौरान भारत के अंशदान और विश्व निर्यात व्यापार में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को, विश्व निर्यातों में भारतीय अंश में हुई गिरावट की पूरी तरह से जानकारी है। हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिये और विश्व निर्यातों में अधिक अंश प्राप्त करने के लिये हाल ही के वर्षों में बहुत से उपाय किये गये हैं। इनमें, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण तथा निर्यात अभिमुख उत्पादन-कर्त्ता एककों के लिए आयातों को उदार बनाने और इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातों की प्रतियोगिता क्षमता को सुदृढ बनाने के लिए किए गए उपाय भी शामिल हैं। चतुर्थ योजना में निर्यात लक्ष्य की वृद्धि की प्रस्तावित मिश्र दर 7 प्रतिशत वार्षिक है। निर्यात प्रयास के लिए मोटे मोटे मार्गदर्शी सिद्धांत जुलाई, 1970 में संसद में प्रस्तुत किये गये निर्यात नीति संकल्प में दिये गए हैं।

कपड़ा उद्योग को हुई हानि

1062. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल 1971 के 'इकोनोमिक टाईम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में कपड़ा उद्योग को हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस हानि को पूरा करने के लिए इस उद्योग को सहायता देने में कोई पहल कर रही है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि मिलों को कानूनन अपने कपड़े के उत्पादन का 25 प्रतिशत नियन्त्रित कपड़े के रूप में बनाने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए । हाल ही में कपड़ा-उद्योग के परामर्श से एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसके अनुसार यह उद्योग 1 जून, 1971 से 3 महीनों की अवधि में 10 करोड़ वर्ग मिटर नियन्त्रित कपड़ा बनाएंगे ।

जो मिलें कपड़े की नियन्त्रित किस्म का कपड़ा तैयार करेंगी उन्हें 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से उद्योग द्वारा एकत्रित निधि में से राजसहायता दी जाएगी ।

अधिक दूरी की टेलिफोन काल की दर में कमी

1063. **श्री एन० शिवप्पा**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिक दूरी की टेलीफोन काल की दर में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : जी नहीं ।

पश्चिम एशियाई देशों को आई० सी० सी० द्वारा सीमेंट का निर्यात

1066. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सीमेंट कारखानों को पश्चिम एशियाई देशों में अपनी सीमेंट की बिक्री के लिये मंडियों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये करारों का ब्यौरा क्या है और इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मेसर्स ए० सी० सी०, बम्बई ने कुवैत तथा बगदाद में सीमेंट संयंत्र लगाने से सम्बन्धित निविदाएं प्राप्त कर ली हैं । वे खाड़ी वाले अन्य देशों में सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए भी सौदे तय करने के लिये प्रयत्नशील है । पश्चिमी एशिया के देशों को वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में 23 लाख रु० के तथा 1970-71 (अप्रेल-नवम्बर) में 28 लाख रु० के कुल निर्यात हुए ।

भारत–जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य व्यापार सम्बन्ध

1067. **श्री कल्याण सुन्दरम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य के व्यापार संबंधों में विस्तार करने की सम्भावना का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार का और भी विस्तार करने की सम्भावनाओं पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है। इस दिशा में किये गये उपायों में कुछ ये हैं ; आवधिक व्यापार वार्ताएं, लीपजिग मेले में भाग लेना, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान और दोनो देशों के बिच उद्यमों तथा वाणिज्य मंडलों के स्तर पर सम्पर्क।

अतिरिक्त तदर्थ तकनीकी ऋण के लिये जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य की सरकार का अनुरोध

1068. **श्री कल्याण सुन्दरम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य की सरकार ने भारत से 2 करोड़ रुपये के लगभग अतिरिक्त तदर्थ तकनीकी ऋण देने को कहा है ताकि वह इस देश के साथ वर्तमान भुगतान शेष की कठिनाइयों पर काबू पा सके ; और

(ख) यदि हां, तो मामले पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों की रूपरेखा के अंतर्गत अन्य सरकारों को तकनीकी ऋणों का प्रदान करना गोपनीय स्वरूप का होता है तथा इन प्रबन्धों के व्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

Reconsideration of grant Project Allowance to P. and T. Employees stationed at Ranchi

1069. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 140 on the 1st April, 1971 regarding the payment of Project Allowance to P. & T. Employees at Ranchi and state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to reduce the Project Allowance in classified cities by 50 per cent;

(b) if so, whether Government propose to reconsider the question of granting Project Allowance to the Posts and Telegraphs employees stationed at Ranchi; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Under existing orders, if the Project is located in a classified city, no project allowance will be admissible.

(b) The P. & T. staff at Ranchi are not eligible for the grant of Project allowance.

(c) Project allowance is granted to compensate the employees working and residing in a project area for lack of amenities like housing, schools, markets. dispensaries etc. Ranchi being a classified city for the grant of house rent allowance does not lack in the above amenities, the primary condition for granting project allowance at Ranchi is not fulfilled.

शहतुत के कोकूनों के मूल्य में कमी

1070. **श्री सिद्दय्या** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में शहतूत के कोकून के मूल्य में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों को स्थिर करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) (i) प्राकृतिक रेशम के वस्त्रों के निर्यातों में कमी ;

(ii) मैसूर राज्य में कच्चे शहतूती रेशम के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि ;

(iii) पहले से उत्पादित कच्चे रेशम की कम मांग; और

(iv) जापान में कीमतों में कमी ।

(ग) कीमतों को स्थिर रखने के लिये निम्नोक्त उपचारात्मक उपाय विचाराधीन हैं :—

(क) प्राकृतिक रेशम के वस्त्रों के निर्यात बढ़ाना ;

(ख) जब रेशम की आवक अधिक हो तब रेशम खरीदने और जब रेशम की आवक कम हो तब रेशम देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कच्ची सामग्री बैंक स्थापित करना ;

(ग) प्राकृतिक रेशम उत्पादकों के लिये प्रतिपूर्ति योजना को सरल तथा कारगर बनाना ; और

(घ) उपयुक्त मौसमों के दौरान मैसूर राज्य बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन शुरू करना ।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की परामर्श-दात्री समिति का पुनर्गठन

1071. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित समिति के कर्मचारियों का पूरा विवरण क्या है ; और

(ग) परामर्शदात्री समिति के लिये कर्मचारियों का कैसे और किस आधार पर चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 22 फरवरी, 1971 को औपचारिक आदेश जारी किये गये थे जिसमें समिति का गठन किया गया था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 280/71]

(ग) केन्द्र निदेशक, कलकत्ता द्वारा राज्य सरकार से सूचना निदेशक से परामर्श करने के बाद तैयार किए गए नामों के एक पेनल में से 12 गैर-सरकारी सदस्यों का चयन किया गया जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ थे । दो संसद सदस्य, संसद कार्य विभाग के परामर्श से नामजद किये गये थे । इन नामजदगियों को 1970 के प्रारम्भ में अन्तिम रूप दिया गया था, परन्तु समिति की औपचारिक अधिसूचना फरवरी, 1971 में जारी की गई ।

अब, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा का पुनर्गठन होने पर संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों की नई नामजदगियां की जायेंगी ।

तेलंगाना क्षेत्र का विकास

1072. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

डा० मेलकोटे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना क्षेत्र के विकास के लिये प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित 8 सूत्रीय योजना को क्रियान्विति के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भाग (ख) 11 अप्रेल, 1969 की लोक सभा में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आठ-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण

मद I से IV तक : **क्षेत्रीय विकास**

भार्गव समिति की सिफारिशों के अनुसरण में तथा तेलंगाना क्षेत्र की विकासशील आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निश्चय किया कि 45 करोड़ रुपये की एक राशि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र के विकास को तेज करने में खर्च की जाय । उन्होंने 1969-71 के दौरान 19 करोड़ रुपये दे भी दिये हैं ।

तेलंगाना क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम तथा योजनाएं तैयार करने तथा उसकी प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त तेलंगाना विकास समिति की बैठकें 26–6–69, 26–3–70 तथा 4–1–71 को हो चुकी हैं।

शीघ्रकार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिये नियुक्त योजना कार्यान्वयन समिति की बैठकें 21–10–69, 10–6–70 और 4–11–70 को हो चुकी हैं।

मद V : **शक्तियों का प्रत्यायोजन**

योजना कार्यान्वयन समिति ने बर्तमान शक्तियों को पर्याप्त पाया है।

मद VI : **रोजगार के अवसर**

(I) विधि वेत्ताओं की समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित मद क्षेत्रीय समिति के अधिकार क्षेत्र में कर दिये गये हैं :–

(क) भर्ती की पद्धतियां तथा तेलंगाना क्षेत्र में अधीनस्थ सेवाओं तथा पदों में नियुक्ति करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त।

(ख) राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी संस्थानों, तेलंगाना क्षेत्र में परिनियत प्राधिकरणों तथा नियमित निकायों में तेलंगाना के व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों को सुनिश्चित करना।

(II) विधिवेत्ताओं की समिति ने अधीनस्थ संवर्गों के विकेन्द्रीकरण की भी सिफारिश की थी। क्षेत्रिय समिति ने 19-12-70 को अपने विचार राज्य सरकार को भेज दिये थे। इस बीच में 9 दिसम्बर 1970 को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मुल्की नियम तेलंगाना क्षेत्र में वैध बने रहेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कुछ संवर्गों के क्षेत्रीयकरण के लिये अपने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

मद VII : **सेवाओं का एकीकरण**

6 मार्च, 1969 को राज्य सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन आमंत्रित किये जिन्हें सेवाओं का एकीकरण होने से कोई सेवा सम्बन्धी शिकायतें थीं। केन्द्रीय सरकार ने सभी 3594 अभ्यावेदनों पर आदेश दे दिये हैं। 565 मामलों में आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से प्रार्थियों की प्रार्थनाएं स्वीकार की गई थीं। राज्य सरकार ने पहली मई तक 520 मामलों में निर्णयों पर कार्यवाही की है।

1191 मामलों में प्रार्थियों की प्रार्थनाएं रद्द कर दी गई और उन्हें सूचित कर दिया गया है।

419 मामलों में (अधिकांश में जिनका सम्बन्ध लोक निर्माण विभाग से है) यद्यपि केन्द्रीय सरकार के आदेश सूचित कर दिये गये हैं फिर भी वे न्यायालयों इत्यादि में अनिर्णित फैसलों के कारण लम्बित पड़े हैं।

1419 मामले ऐसे पाये गये जो सीधे राज्य पुनर्गठन से उत्पन्न नहीं हुए थे। ऐसा होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के दो संयुक्त सचिवों का एक दल इन मामलों को निपटाने में राज्य सरकार को सलाह दे रहा है। केवल लगभग 150 मामले इस दल द्वारा विचार किये जाने के लिए शेष हैं। 487 मामलों में से, जिनमें दल ने प्रार्थियों की प्रार्थनाएं पूर्ण अथवा आंशिक रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की थी, 340 मामलों से राज्य सरकार ने सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। अन्य सिफारिशें कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

मद VIII : **पुनरीक्षण बैठकें**

तृतीय पुनरीक्षण बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 11 मई, 1971 को हुई। यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं हेतु निर्धारित धनराशि का उपयोग समय पर ही किया जाए तथा सम्पूर्ण चतुर्थ योजनाविधि के लिए एक विशेष विकास कार्यक्रम तैयार किया जाए। यह भी निर्णय किया गया कि उचित भाग निर्धारित करने के सूत्र पर योजना मंत्री द्वारा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया जायगा। यह भी सुझाव दिया गया कि योजना द्वारा जो राज्य योजना स्वीकृत की गई हैं उसके सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार की जाए।

इसके बाद योजना मंत्री की आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के साथ एक बैठक हुई जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि 1971-72 के चालू वर्ष के लिए संसाधनों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर 90 प्रतिशत होगा और शेष 10 प्रतिशत पिछड़ेपन के लिये होगा जिसका वितरण—अनुपात पिछड़े इलाकों की जनसंख्या के आधार पर होगा। इस फार्मूले के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिये आवंटन का वास्तविक प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जाना है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन

1073. **श्री सिद्दय्या** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोर्ड के वित्तीय संसाधनों का अध्ययन करने के लिये गठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सरकार को केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद् के वर्तमान अधिवेशन के दौरान इस संबंध में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी०जार्ज): (क) से (ग). उप-समिति ने अप्रेल, 1971 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उसमें यह सिफारिश की गयी है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम ओर उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का संशोधन करके बोर्ड के वित्तीय स्रोतों को सुदृढ़ बनाया जाये। इस प्रतिवेदन पर बोर्ड द्वारा आम सभा की अपनी

आगामी बैठक में विचार किया जायेगा जो जून 1971 से होनी निश्चित की गयी है। तदोपरांत सिफारिशों पर बोर्ड का विनिश्चय सरकार के विचारार्थ भेज दिया जायेगा। इन परिस्थितियों में, सिफारिशों के मंजूर हो जाने पर, संसद के चालू सत्र में ही संशोधन विधेयक पेश कर दिये जाने की संभावना नहीं हैं।

राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा की गई प्रगति

1074. **श्री के० लकप्पा : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने अपनी स्थापना के समय से अपने कार्य में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जानी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् ने, जिसकी बैठक 20-22 जून 1968 को श्रीनगर में हुई थी, राष्टीय एकता के साम्प्रदायिक क्षेत्रीय शैक्षणिक और जन सम्पर्क माध्यम सम्बन्धी पहलुओं पर विशिष्ट सिफारिशें कीं। परिषद् द्वारा स्थापित की गई समिति इन सिफारिशों पर हुई प्रगति की समीक्षा करती है, साम्प्रदायिक समस्या की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इसने साम्प्रदायिकता पर एक उप समिति भी स्थापित की है।

2. घोषणा के उद्देश्यों को कार्यरूप देने के लिए राज्य स्तर पर 12 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में एकता परिषदों का गठन किया गया है।

3. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता कार्य के सम्बन्ध में शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्रालय को परामर्श देने के लिए लेखकों की समिति तथा शिक्षाविदों और छात्र नेताओं की समिति स्थापित की गई है। इसी प्रकार श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत श्रमिक संघों के नेताओं की एक समिति काम कर रही है। जन सम्पर्क माध्यम सम्बन्धी विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा बनाई गई एक योजना के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जन सम्पर्क माध्यम एकक, स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित प्रचार योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

4. राष्ट्रीय एकता के कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता के लिए गृह मंत्रालय की ऐसे स्वयंसेवी संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता अनुदान देने की एक योजना है। योजना सन् 1969 में आरंभ की गई थी और इस योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लगभग 2,00,000 रुपये का सहायता अनुदान वितरित किया गया। चालू वर्ष के लिए बजट में 3,75,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता के प्राथमिक विषयों की वास्तविक परीक्षा के लिए विशिष्ट छात्रों/संगठनों के लिए अध्ययन के क्षेत्र भी निश्चित किए गये हैं।

5. सन् 1968 से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में एक राष्ट्रीय एकता प्रतिज्ञा अभियान चलाया जाता है और सभी सार्वजनिक संस्थाएं एवं निजी संगठन अभियान में भाग लेते हैं।

6. 1969 में गुजरात में हुए उपद्रवों के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति ने, एक बैठक में साम्प्रदायिक सौहार्द पुनः स्थापित करने के लिए सभी राजनैतिक दलों द्वारा संयुक्त जन अभियान चलाने की मांग की। एक सर्वदलीय सम्मेलन ने, जिसकी बैठक नवम्बर, 1969 में हुई, इस दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा अभियान का आधार निर्धारित किया। यद्यपि वक्तव्य का अधिक से अधिक व्यापक प्रचार करने के लिए सरकार की ओर से पूरी तरह प्रयास किये गये तथापि राजनैतिक दलों का संयुक्त जन अभियान प्रारम्भ करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका। मामला अभी भी विचाराधीन है।

7. सरकार निरन्तर ऐसे तरीके ढूंढने में संलग्न है कि किस प्रकार राष्ट्रीय एकता के आन्दोलन में जन सहयोग को बढ़ावा मिले और इस दिशा में अधिक से अधिक स्वेच्छिक प्रयत्नों को विशेष कर छात्र और युवकों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करते हुए प्रोत्साहित किया जावे। इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार किस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में पहल कर सकती है ताकि भारतीय संस्कृति की एकता के मूल विषय को बतलाया जा सके और इसको भावात्मक एकता के लिए आधार बनाया जा सके।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर को अपने अधिकार में लेना

1075. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्ष्मी रतन काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर को अपने अधिकार में लेने के संबंध में इस बीच कोई अंतिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के कार्यों की जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त की गई है। जांच समिति का प्रतिवेदन मिल जाने पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में सेवाओं का क्षेत्रीयकरण और मुल्क नियमों का लागू करना

1076. **श्री एम० एम० जोजक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये सेवाओं के क्षेत्रीय-करण तथा मुल्की नियमों को लागू करने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव भेजे थे; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने जिन प्रस्तावों को सूचित किया है, वह तेलंगाना क्षेत्र और आंध्र क्षेत्र के लिए अलग-अलग संवर्गों की संरचना से परिकल्पित है। तथापि, उन विभागीय अध्यक्षों के कार्यालयों, जिनका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में है, के पद तथा राज्य सचिवालय के पद भी संयुक्त संवर्ग में रखे रहने के लिए प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गये हैं, जिनकी, उनके प्राप्त होने के पश्चात् ही जांच की जायेगी।

दूर संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोशियेट द्वारा ऋण

1077. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोशियेट के डाक तथा तार विभाग को चौथी योजना के अन्तर्गत देश में दूर संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण और प्रसार के लिये ऋण दिया था; और

(ख) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यक्रम निर्धारित किया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने हाल ही में तारीख 3-5-1971 को एक करार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तिम दो वर्षों अर्थात् 1972-73 और 1973-74 के लिए दूर संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण और विकास और तीन सरकारी कारखानों अर्थात् इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लि०, हिन्दुस्तान केबिल्स लि० और हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लि० के लिए कच्चे माल और कलपुर्जों की उनकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7.8 करोड़ डालर का ऋण दिया है।

एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इस निर्धारण का ब्यौरा विवरण पत्र में दिया गया है।

(ख) इस ऋण के अन्तर्गत जिस विकास कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था की जानी है, वह चौथी पंचवर्षीय योजना का एक भाग है और यह मुख्यतः योजना के अन्तिम दो वर्षों अर्थात् 1972-73 और 1973-74 से सम्बन्धित है। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है:—

योजना का नाम	1972-73 और 1973-74 के वर्षों के लिए विकास कार्यक्रम
1. सीधी एक्सचेंज लाइनें	2,75,000
2. लम्बी दूरी की वाक् सरणियां	13,919
3. टेलेक्स कनेक्शन	2,500
4. ट्रंक आटो एक्सचेंज अन्त्य	8,900
5. सार्वजनिक टेलिफोनघर	800
6. संयुक्त डाक व तार घर	1000

विवरण

दूर संचार व्यवस्था के लिए चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण संख्या 241 आई० एन० का निर्धारण

वर्ग	निर्धारित ऋण की राशि (डालरों के समान राशि में)
i. डाक तार द्वारा आयात की जाने वाली सामग्री और सेवाएं :	
(क) स्थानीय एक्सचेंच स्विचिंग और परिषण प्रणालियां	4,300,000
(ख) केबिल, तार और सहायक सामग्री	13,300,000
(ग) रेडियो प्रणालियां और अनुसंधान प्रशिक्षण तथा परीक्षण उपस्कर, तकनीकी सहायक ।	4,400,000
(घ) डाक-तार कारखानों के लिए सामग्री, उपांग और मशीनें	4,000,000
ii. डाकतार विभाग व्दारा सरकारी दूर संचार कारखानों से खरीदी जाने वाली वस्तुएं :	
(क) (i) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० व्दारा निर्मित ट्रंक आटो एक्सचेंजों के अतिरिक्त टेलिफोन, स्विचिंग और परिषण उपस्कर ।	22,500,000
(ii) इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लि० व्दारा निर्मित ट्रंक आटो एक्सचेंज	3,700,000
(ख) हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लि० व्दारा निर्मित टेलीप्रिंटर	800,000
(ग) हिन्दुस्तान केबिल्स लि० व्दारा निर्मित केबिल्स और तार	25,000,000
कुल :	78,000,000

उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्धों का विकास

1078. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में और उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्धों को और अधिक विकास करने के लिये कोई विशिष्ट उपाय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1079. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय अपने संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा केन्द्र सरकार से अधिक सहायता देने की मांग की है;

(ख) यदि हां तो क्या इसके परिणामस्वरूप राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो 1971-72 में दी जाने वाली सहायता में राज्यवार कितनी वृद्धि की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). कतिपय राज्यों ने अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की थी, किन्तु उनकी प्रार्थना को स्वीकार न किया जा सका । अतएव केन्द्रीय सहायता की कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में मंदिरों से प्रतिमाओं की चोरी

1080. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रतिमाओं का दुर्लभ वस्तुओं के रूप में विदेशों को निर्यात करने के लिये राजस्थान के मन्दिरों से प्रतिमाओं की चोरियां काफी बढ़ गयी हैं;

(ख) क्या दिल्ली और राजस्थान में कार्य करने वाले एजेंटों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों की योजनाये तैयार की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता लगा है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष परीक्षा आयोजित किये जाने की सिफारिश

1081. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष परीक्षा आयोजित करने सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को कब तक भेजा गया था; और

(ख) उक्त मामले को अन्तिम रूप देने में सरकार कितना समय लेगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को 18 अप्रैल 1969 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित गैर–तकनीकी श्रेणी 1 सेवाओं के लिए विशेष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने से सम्बन्धित है।

(ख) उक्त सिफारिश पहले ही विचाराधीन है। सरकार को निर्णय लेने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है, क्यों कि इसका व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना है।

तम्बाकू और समुद्री उत्पादों के लिए सरकारी क्षेत्र में निगम स्थापित करना

1082. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों के लिए सरकारी क्षेत्र में निगम स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निगमों की स्थापना करने का क्या मुख्य उद्देश्य है; और

(ग) इस दिशा में अंतिम निर्णय कब तक किया जायगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण का कार्यक्रम

1083. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं को 1971 से 1980 तक की दशाब्दी की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाने के लिये अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनर्गठित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और यह कार्यक्रम सरकार की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में कहां तक सहायक होगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). प्रशासन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने के योग्य बनाने के अनुक्रम में सरकार अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर दे रही है। नियुक्ति होने के तत्काल बाद और उसके बाद कुछ पुनरध्ययन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, कर्तव्य और जन सेवा की ओर निष्ठा की भावना उत्पन्न करने के अनुक्रम में सिविल सेवाओं के समीचीन मूल्यांकन और अभियोग्यता के निर्माण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आर्थिक प्रशासन, आय-व्यय-करण तथा वित्तीय नियंत्रण, व्यवस्था हेतु आधुनिक सहाय्य, प्रशासनिक व्यवहार, सामाजिक नीति तथा प्रशासन, परियोजना संविन्यास आदि के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रमों को प्रायोजित किया गया है ।

तम्बाकू उद्योग के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये आयोग

1084. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू उद्योग के सभी पहलूओं की जाँच करने के लिये एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो यह आयोग कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मोटर गाड़ियों के कल-पूर्जे का निर्यात

1085. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ियों के कल-पुर्जे का कुछ विदेशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कल-पुर्जों का निर्यात होता है; और

(ग) उक्त निर्यात से गत वर्ष लगभग कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और चालू वर्ष में कितनी अर्जित होने का अनुमान है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) 1970-71 के दौरान मोटर गाड़ियों के कल-पुर्जे का निर्यात मूल्य 5.29 करोड़ रुपये था और 1971-72 के दौरान इस मद के लिए 10.00 करोड रुपये का निर्यात लक्ष्य है।

विवरण

(ख) 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों का निर्यात मूल्य और जिन देशों को उनके निर्यात हुए वे नीचे दिए गए हैं :–

(मूल्य लाख रुपये में)

देश का नाम	1668-69 में निर्यात मूल्य	1969-70 में निर्यात मूल्य
अफगानिस्तान	8.20	9.90
श्रीलंका	30.79	19.20
इरान	23.54	19.23
केन्या	0.16	12.28
नाइजीरिया	6.70	9.78
फिलिपीन	14.16	8.84
सिंगापुर	23.18	29.08
सूडान	24.65	28.32
तंजानिया	9.34	8.55
संयुक्त अरब गणराज्य	52.20	144.42
ब्रिटेन	24.47	37.69
संयुक्त राज्य अमेरिका	6.18	6.61
पश्चिम जर्मनी	14.05	7.63
युगोस्लाविया	5.93	9.24
अन्य	65.05	63.17
मोटर गाड़ियों के सकल कल-पुर्जे	316.60	413.94

विदेशों के लिए विमान द्वारा पार्सल सेवा का विस्तार

1086. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान द्वारा पार्सल सेवा का विस्तार कुछ अन्य देशों को भी किया है; और

(ख) यदि हां, तो देशवार उसका ब्यौरा क्या है तथा और कब से किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1970 के आरम्भ में 108 देशों के लिए डाक हवाई पार्सल सेवा उपलब्ध थी। उसके बाद अब तक 50 और देशों के लिए हवाई पार्सल सेवा का विस्तार किया गया है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

30 मार्च, 1970 को इस सेवा का इन 16 देशों के लिए विस्तार किया गया था:

अल्बानिया
अल्जेरिया
बोलिविया
बुलगारिया
कम्बोडिया
कांगो (जनतंत्रीय गणराज्य)
कांगो (जनवादी गणराज्य)
आइसलैंड
लाओस
लिबिया
लक्सेमबर्ग
मोरक्को
पुर्तगाल
रूमानिया
दक्षिण बियतनाम
स्पेन

17 अगस्त, 1970 को इन 16 और देशों के लिए हवाई पार्सल सेवा का विस्तार किया गया था:

एसैशन
केमरून (गणराज्य)
केप वर्दे द्वीपसमुह
कैरोलिन द्वीपसमूह
कैमेन द्वीपसमूह
कुक द्वीपसमूह
गाबन
गैम्बिया
आइवरी कोस्ट

मकाओ
मालद्वीप द्वीपसमूह
पानामा नहर क्षेत्र
पोर्टोरिको
सेंटहैलेना
इक्वेडोर
फाकलेंड द्वीपसमूह

इस वर्ष 15 अप्रेल को निम्नलिखित 18 और देशों का हवाई पार्सल सेवा का विस्तार किया गया :

अबूधाबी
बुरुडी
केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य
चड
दहोमे
गिनी (गणराज्य)
मडगास्कर
माली (गणराज्य)
मोरिटानिया
मुस्कात और ओमन
नाइजर (गणराज्य)
रवाडा
सेनेगल
कातार राज्य
स्वाजीलैंड
टोगो
ट्यूनिशिया
अपरवाल्टा

आयातित कच्चे काजू के वितरण के लिए मानदंड

1087. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू तैयार करने के लिए राज्य व्यापार निगम आयातित कच्चे काजू का उद्योगपतियों को वितरण किस आधार पर कर रहा है;

(ख) क्या वर्तमान वितरण नीति में परिवर्तन करने और साफ करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए जिससे उद्योग पर कुप्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या क्या सुझाव दिये गये हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) प्रत्येक कारखाने की हकदारी उसके कच्चे काजू के आयात निष्पादन, काजू के गिरी के निर्यात तथा इसे साधित करने की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) केरल सरकार द्वारा दिए गए सुझाव ये हैं: (1) विदेश से आयातित काजू की कच्ची गिरी का वितरण केवल वर्तमान पंजीकृत तथा लाइसेंस धारक काजू के कारखाने को, प्रत्येक कारखाने में वास्तव में नियुक्त काजू श्रमिकों के आधार पर किया जाना चाहिए। कारखाना श्रम के प्रति कानूनी वचन बद्धताओं का पालन करेगा और अपने कोटे को किसी अन्य कारखाने को नहीं देगा।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए कि किसी कारखाने विशेष को दिए गए कच्चे काजू वहां पर ही साधित किये जायें और किसी अन्य कारखाने को नहीं दिये जायें ।

उपर्युक्त सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

भारत के काजू निगम के बोर्ड में केन्द्रीय मजदूर संघ, केरल का प्रतिनिधित्व

1088. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि केरल में काजू उद्योग में कार्य कर रहे मजदूरों के केन्द्रीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को भारत के काजू निगम के बोर्ड में सम्मिलित किया जाये जो इस समय राज्य व्यापार निगम के एक सहायक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देना

1089. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अपने कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के बारे में विभाग अध्यक्षों को कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन निदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कर्मचारियों और उनके विभागों की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् । दो प्रकार के अनुदेश एक तमिल नाडु में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के लिए दूसरा तमिल नाडु के अतिरिक्त अन्य राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए जारी किए गये हैं । ये अनुदेश इस मंत्रालय के पत्र सं० 18।51।70–हि०–1, दिनांक 27 फरवरी, 1971 और कार्यालय ज्ञापन सं० 3।8।71–हिन्दी–1, दिनांक 13 अप्रेल, 1971 में निहित है जिनकी प्रतियां संलग्न हैं तथा ये दिये गये अनुदेशों की मुख्य बातों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं । [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 281/71]

(ग) किसी कर्मचारी अथवा उसकी संस्था से कोई पत्र नहीं मिला है । तथापि कुछ कार्यालयों द्वारा सामान्यतः संकेत दिया गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के कारण हिन्दी कक्षाओं में कर्मचारियों के नामाँकन तथा उपस्थिति पर असर पड़ा है ।

शिलांग के बड़े डाकघर में आग

1090. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग के बड़े डाकघर के भवन में 6 फरवरी को आग लग गई थी ;

(ख) आग लगने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उसमें रिकार्ड के कागजात—डाक-टिकट आदि नष्ट हो गये थे; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि आग तोड़–फोड़ के कारण नहीं लगी थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) रिकार्ड या डाक–टिकट नष्ट होने के कारण कोई हानि नहीं हुई थी ।

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला

1091 : **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला का कार्य सन्तोषजनक है ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों की अवधि में बहुत से वैज्ञानिकों ने त्यागपत्र दिये हैं ; और

(ग) क्या लम्बी अवधि से निर्देशक का पद रिक्त पड़ा है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद् ने प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है ।

(ख) 3 वैज्ञानिकों ने त्यागपत्र दिए हैं ।

(ग) 1 सितम्बर, 1970 को निर्देशक का पद रिक्त हुआ था । इस पद को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

राज्यों को स्वायत्तता दिया जाना

1092. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के एक भूतपूर्व मंत्री ने धमकी दी है कि यदि पंजाब को स्वायत्त राज्य न बनाया गया और केवल चार मामले अर्थात् रक्षा, विदेश कार्य, संचार और मुद्रा, केन्द्रीय सरकार के अधीन न रखे गये तो वहां पर भी बंगला देश जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिख कर अपने राज्य के लिये अधिक शक्तियों की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कथन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी प्रशासनिक सुधार आयोग तथा आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से संबंधित प्रश्नों का गहन अध्ययन किया किया गया है । प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले संविधान के उपबन्ध प्रत्येक स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिए अथवा इस क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक समस्या के हल के लिए पर्याप्त हैं । केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन है ।

Overstay of Pak Nationals visiting India on valid passports

1093. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Wiil the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who come to India on valid passports and have not returned to Pakistan even after the expiry of the periods of their visas during the last three years; and

(b) the action taken by the State Governments and the Central Government to find them out and to deport them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri K. C. Pant**) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Introduction of a Scheme for Eradication of Dacoit Menace

1094. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have sent to the Central Government the draft of a Scheme proposed to be introduced by the Governments of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh for eradication of dacoit menace;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the names of the dacoit infested districts of the said States and the number of dacoit gangs operating there according to the information available with Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri K. C. Pant**) : (a) No, Sir.

(b) Dees not arise.

(c) Bhind, Morena, Gwalior, Shivpuri, Datia, Sagar, Damoh, Chhatarpur, Panna and Tikamgarh districts of Madhya Pradesh, Sawai Madhopur district and portions of Kotah and Bharatpur districts of Rajasthan, Agra, Mainpuri, Jalaun, Etawah and Jhansi districts of Uttar Pradesh are infested with dacoits.

Twenty-nine listed and 20 unlisted gangs are operating in the Madhya Pradesh districts. Information in respect of the gangs operating in the Uttar Pradesh and Rajasthan areas is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, on receipt.

Post and Telegraph Offices in Rented Accommodation in Morena (Madhya Pradesh)

1095. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether many Post and Telegraphs Offices and Sub-Offices are functioning in rented buildings in Morena and Shivpuri Districts of Madhya Pradesh;

(b) if so, the number of such Offices in both the Districts separately; and

(c) the amount of money being paid as rent by Government annually?

The Minister of Communications. (**Shri H. N. Bahuguna**) : (a) Yes.

(b)

Morena Distt.	Shivpuri Distt.
12	7

(c) Morena Distt. Rs. 12,804/- per annum.
Shivpuri Distt. Rs. 5,760/ per annum.

Visit by Pakistani Nationals to Delhi on valid passports

1066. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals who came to Delhi on valid passports during the last three years ;

(b) the number of those out of them who went back to Pakistan before the expiry of the period of their visas ;

(c) the estimated number of Pakistani nationals at present living under ground in Delhi ; and

(d) the steps taken so far and proposed to be taken by Government to deport them or to arrest them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) 17,018

(b) 16,775

(c) None.

(d) Does not arise.

Cases pending in Courts against Central Government employees in Gwalior Division (Madhya Pradesh)

1097. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether in the Gwlior Division of Madhya Pradesh, cases are still pending in the the courts against some of the Central Government employees who participated in the strike of 19th September, 1968; and

(b) if so, the figures thereof, District-wise?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). Information is being collcted from the State Government, and will be placed on the Table of the Sabha as soon it is available.

कपड़ा मिलों को रुई का आवंटन

1098. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों के विगत काल के निर्यात के आधार पर उनके रुई के स्टाक की सीमा को बढ़ाने की अनुमति देने का फैसला किया है ;

(ख) क्या आवंटन में वृद्धि किसी शर्त पर की गई है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस बात की अनुमति दी जायेगी कि वे बढ़े हुए कोटे की खरीद के लिए पैसा दें ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों पर निर्भर है ।

विवरण

(क) अपने कुल उत्पादन का 10% अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाली मिलें।	$2\frac{1}{2}$ महीने
(ख) अपने कुल उत्पादन का 20% अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाली मिलें ।	$3\frac{1}{2}$ महीने
(ग) अपने कुल उत्पादन का 25% अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाली मिलें।	$4\frac{1}{2}$ महीने

लघु उद्योगों के उत्पादों का निर्यात

1099. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से किये कुल निर्यात में लघु उद्योगों द्वारा किये गये निर्यात का प्रतिशत कितना रहा ;

(ख) सरकार द्वारा उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए ; और

(ग) क्या सरकार लघु उद्योगों द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेन्स देने की क्रिया को ऐसी स्थिति में सरल बनाने पर विचार कर रही है जब कि एक लाइसेंस कतिपय सीमा से अधिक न हों।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लघु तथा विशाल क्षेत्र के संबंध में आशा जनक निर्यात आकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले वर्ष 1969-70 में 467 लघु कृषकों ने अपने कुल उत्पादन के 10% अथवा उसके अधिक का निर्यात किया ।

(ख) अपने उत्पादन के 10% से अधिक का निर्यात करने वाले लघु एककों लिए नकद सहायता, पंजीयत निर्यातक नीति के अंतर्गत कि जाने वाली आयात हकदारियाँ जैसे, अन्य सभी प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, विस्तापितों को विशेष रूप में अनुकूल प्रणालियों की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) अब तक कच्चे माल और संघठको हेतु लाइसेन्स, वित्तपोषण की विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत, वास्तविक प्रयोक्ताओं को दिये जा रहे थे और ऐसा करते समय हकदारी के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता था। अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 में वित्तपोषण के प्रणालियों को निम्नलिखित रूप में शिथिल कर दिया गया है:–

(1) ऐसे लघु एककों के मामले में, जिनकी हकदारी 5000 रुपये तक ठहरती हैं. उन्हें समग्र हकदारी के लिए युक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर लायसेंस दिये जायेंगे ।

(2) ऐसे लघु एककों के मामले में, जिनकी हकदारी 5000 रुपये से अनधिक ठहरती है उन्हें वित्तपोषण के सुविधाजनक स्त्रोतों के आधार पर लाइसेन्स दिये जायेंगे और ऐसा करते समय उनके निर्यात निष्पादन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति का हिन्दी के प्रशिक्षण के बारे में आदेश रद्द किया जाना

1100. **डा० सरदीश राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण के बारे में भारत के राष्ट्रपति का 27 अप्रैल, 1960 का आदेश अवैध है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । सरकार मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से अवगत है । न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति का दिनांक 22-4-1960 का आदेश उस सीमा तक अवैध है जहां तक वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा काल में प्रशिक्षण अनिवार्य बनाता है ।

(ख) सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का निर्णय किया है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में स्थित तथा तमिलनाडु के अतिरिक्त अन्य राज्यों में स्थित कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए अलग से उचित आदेश जारी किए हैं ।

केरल में टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन

1101. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में टेलीफोन और टेलीग्राफ पी० एम० आर० कर्मचारियों के संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किये जाने वाले प्रस्तावित आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मांगे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग). डाक-तार बोर्ड को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि केरल टेलीफोन तथा तार पी० एम० आर० कर्मचारी संघ ने तार तथा टेलीफोन शाखा में काम कर रहे मजदूरों तथा आकस्मिक मजदूरों से संबंधित कुछ समस्याओं के समाधान के लिए आन्दोलन चलाया था। यह आन्दोलन पोस्टमास्टर जनरल, त्रिवेन्द्रम के कार्यालय के सामने सांकेतिक सत्याग्रह की शक्ल में था, जो कि 19 से 21 अप्रैल, 71 तक तीन दिनों तक चला था । 19 अप्रैल 1971 को लगभग 25 व्यक्तियों का एक छोटा सा दल मुख्य द्वार के सामने इकट्टा हुआ। उन्होंने मजदूरों की मांगों का निपटारा करने के लिए नारे लगाए। संघ की मुख्य मांग यह थी कि इनके सदस्यों को नियमित सिब्बंदी का सदस्य बनाया जाए और इन्हें नियमित सिब्बंदी के सभी लाभ प्रदान किये जाएं जिनमें नौकरी की सुरक्षा, निर्वाहनिधि के लाभ और बढ़े हुए भत्ते आदि भी शामिल हैं। उपयुक्त मांगे सामान्य प्रकार की थीं। ये भारत सरकार के सभी विभागों से संबंधित थीं।

जहां तक डाक-तार विभाग का संबंध है इनमें से कुछ मजदूरों को समय समय पर नियमित खाली स्थानों पर भर्ती कर लगा लिया गया है ।

क्षेत्रीय असमताएं और असंतुलन

1102. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.38 से 1.40 (पृष्ठ 17-19) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति अप्रेल, 1970 में सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

विवरण

क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलनों को दूर करने के लिये किये गये विभिन्न उपचारात्मक उपाय नीचे दिये गये हैं।

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते समय विशेष समस्याओं वाले राज्य असम, नागालैंड और जम्मू व काश्मीर की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने के बाद केन्द्रीय सहायता के **रूप में वितरण** के लिए उपलब्ध राशि का 10 प्रतिशत बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन छह राज्यों में, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम थी, बितरित किया गया है ;

(2) नौ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) के संसाधनों के गैर योजना अन्तराल की अनुमानित राशि 795.23 करोड़ रुपये थी, इसकी पूर्ति केन्द्र द्वारा की जा रही हैं जिससे ये राज्य चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि

के दौरान अपने द्वारा जुटाए गये सभी अतिरिक्त संसाधनों को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करने में प्रयुक्त कर सकें ;

(3) पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की एक उदारनीति विकसित की गई है। संबंधित प्रत्येक राज्य के विकास कार्यक्रम पर किया जाने वाला पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, पर यह व्यय उस राज्य के लिए निर्धारित कुल केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत होना चाहिए, । मेघालय, असम, नागालैंड, जम्मू और काश्मीर (लद्दाख) तथा हिमाचल प्रदेश (लाहौल, स्पिती और किन्नौर जिलों में) इस मद पर किये गये व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है और 10 प्रतिशत को ऋण माना जाता है । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों, दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल) और नीलगिरी (तमिलनाडु) में केन्द्रीय सहायता का स्वरूप 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण है ।

(4) सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण नेफा सहित सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है । उनके गैर योजना व्यय में आई हुई कमी की पूर्ति भी केन्द्र ब्दारा दी जाती हैं ;

(5) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 45 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जा रही है जिससे 31-3-1974 को समाप्त होने वाली अवधि में वह यह राशि तेलंगाना क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर खर्च कर सकें, यह राशि उस क्षेत्र के लिए किये गये योजना परिव्यय के अतिरिक्त होगी ;

(6) पुनर्वास विभाग के तत्वावधान में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 50 करोड़ रूपये की लागत का एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(7) असमानताओं को दूर करने के लिए प्रमुख उपाय पिछले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति तेज कर रहे हैं। जिन जिलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें पांडे तथा वान्चू समिति की रिपोर्ट के द्वारा निर्धारित किये गये माप दंडों के आधार पर राज्य सरकारों की सहायता से निर्धारित तथा घोषित कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में लगाए जा रहे बड़े पैमाने पर उद्योग परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता दी जा रही है बशर्ते तकनीकी-आर्थिक आधार पर इनके लगाए जाने की सम्भावना पाई जाये । लाईसेन्स देने वाली समिति भी पिछड़े क्षेत्रों के आवेदनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है ;

(8) चौथी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 489 आदिम जाति विकास खण्डों के लिए 32.50 करोड़ रुपये नियत कर दिये गये हैं।

(9) असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैण्ड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेफा के राज्यों के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है । उड़ीसा के पिछड़े जिले अर्थात कालाहांडी, बोलन्दगिरि एवं फूलबानी, पंजाब के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की प्रागैतिहासिक आदिम जातियों का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है । एक अध्ययन टोली ने आदिम जाति क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का सर्वेक्षण किया है । केन्द्रीय टोली ने आन्ध्र प्रदेश में आदिम जाति के लोगों का भी अध्ययन किया है ।

(10) कुछ राज्यों में जिला योजनायें तैयार की जा रही हैं जिनके फलस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता चल जायेगा तथा उन समस्याओं को हल करने के लिए उपाय निकालने में सहायता मिलेगी ।

(11) उत्तर प्रदेश में एक पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन किया जा चुका है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों तथा बुन्देलखण्ड के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना कर दी गयी है ।

(12) तेलगाना में विकास के कार्यक्रमों को तेज करने के लिए एक तेलंगाना विकास समिति तथा योजना क्रियान्विति समिति का गठन किया जा चुका है ।

(13) वित्तीय तथा ऋण संस्थान से नए उद्योगों के लिए रियायती वित्त के लिए सारे देश में 209 औद्योगिक पिछड़े हुए जिले चुन लिए गये हैं । इसके अतिरिक्त उद्योगों में पिछड़े हुए 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक राज्य में दो चुने हुए जिलों तथा शेष राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक चुने हुए जिले में केन्द्रीय सरकार एकदम सीधा अनुदान अथवा आर्थिक सहायता दे रही है जोकि उन नए एककों की स्थिर पूंजी के 1/10 के बराबर है जिसके प्रत्येक के कुल स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं ।

(14) सीमा क्षेत्रों में, सीमा मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत काफी पूंजी लगाई जा रही है ।

(15) ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक रूप से गिरे हुए लोगों के लाभ के लिए तथा सूखे और बंजर क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर विशेष कार्यक्रमों का अनुमोदन तथा क्रियान्विति एक केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्देशन में की जा रही है जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य हैं । अपर सचिव के स्तर के एक अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव हैं । 46 लघु कृषक विकास अभिकर्ता परियोजनायें, उपसीमा तक कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 41 परियोजनायें तथा सूखा क्षेत्र में कृषकों के लिए 24 परियोजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं । 54 निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यों के एकीकृत कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है ।

(16) 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था के साथ ग्रामीण बेरोजगारी के लिए एक तूफानी योजना (क्रेश स्कीम) आरम्भ की गयी है ।

(17) अभी हाल ही में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गयी है जो कि पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता दे रहा है ।

Economic Development of Hilly Areas

1103. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission had chalked out some special programmes in the Plans for the economic development of hilly areas in the country; and

(b) if so, the progress made in implementation thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). Yes, Sir. A statement indicating the programmes in the Fourth Plan of Hilly areas and the progress in implementation thereof is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. L. T. 282/71*]

सेवा निवृत्ति की आयु का 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष किया जाना

1104. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उक्त निर्णय से शिक्षित युवकों के रोजगार पर विपरित प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सेवा निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). 30 नवम्बर 1962 से, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु को सभी संगत तत्वों पर सम्यक रूप से विचार करने के बाद और द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया गया था । परिस्थितियां नहीं बदली हैं कि, इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो ।

विकास योजनाओं के लिये रेडियो द्वारा प्रसारण

1105. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम्य क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिये प्रचार के बढ़ते महत्व को देखते हुए सरकार ने विभिन्न राज्यों में नये केन्द्रों से रेडियो द्वारा प्रसारण करने की कोई योजना बनाई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजना को रेडियो द्वारा समर्थन देने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) देश के उन भागों में, जो मीडियम वेव के सेवा क्षेत्र में नहीं आते, पर्याप्त संख्या में नये केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं । इन क्षेत्रों में स्थापित रिले केन्द्रों (सहायक केन्द्रों) का क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दर्जा बढ़ाकर उन्हें मूलरूप कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्णरूपेण केन्द्रों के रूप में किया जा रहा है ।

(२) रेडियो कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं का प्रचार करना है ।

(3) सभी केन्द्रों में कृषी तथा गृह यूनिटें स्थापित की जा रही हैं । इस प्रकार की 27 यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं तथा चौथी योजना के दौरान 19 और यूनिटें स्थापित की जायेंगी। ये यूनिटें कृषी विकास, स्वास्थ्य, पोषाहार सम्बन्धी शिक्षा तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देती हैं।

त्रिपुरा में मिजो-संकराक छापे

1106. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में त्रिपुरा के सीमा क्षेत्रों में कुल कितने मिजो-संकरात्मक छापे मारे गये ;

(ख) सरकार तथा जनता को अनुमानतः कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ;

(ग) इन छापों के सिलसिले में कितने मिजो गिरफ्तार किये गये ; और

(घ) ऐसे छापों से सीमा क्षेत्रों को बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) से (घ). त्रिपुरा सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में मिजो-संकाराक द्वारा छापे मारे गये स्थान

1107. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में त्रिपुरा सीमा में मिजो-संकराक ने किन किन स्थानों पर छाप मारे और उस से कितने परिवारों को क्षति पहुंची ; और

(ख) क्या उन क्षतिग्रस्तों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : **(क) और (ख)**. त्रिपुरा सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में कताई मिल और पटसन मिल की स्थापना

1108. **श्री दशरथ देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में एक कताई मिल और एक पटसन मिल स्थापित करने कि सिफारिश की है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन मिलों की स्थापना करने के लिए आवयश्यक अनुमति दे दी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा में रूई कताई मिल की स्थापना के लिए कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु त्रिपुरा प्रशासन ने यह सुझाव दिया है कि त्रिपुरा में एक पटसन मिल की स्थापना की जानी चाहिए। पटसन उगाने वाले कुछ क्षेत्रों जिनमें, त्रिपुरा भी शामिल है, नई पटसन मिलों की स्थापना की संभाव्यताओं पर विचार करने के लिए स्थापित की गई समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के पश्चात ही उक्त सुझाव पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

त्रिपुरा में अलाभप्रद चाय बागान

1109. **श्री दशरथ देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में यदि कोई अलाभप्रद चाय बागान हैं तो उनकी संख्या क्या है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ बागान अधिकांश समय बंद रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें चालू रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा में 55 चाय बागानों में से लगभग 50% को अलाभकर कहा जा सकता है। तथापि, इन अलाभप्रद बागानों के अधिकांश समय बंद रहने के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में लागू उड़ीसा निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपुरा में नजरबन्द व्यक्ति

1110. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में लागू किये गये उड़ीसा निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अब त्रिपुरा में कोई व्यक्ति नजरबन्द है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक नजरबन्द व्यक्ति की नजरबन्दी के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) त्रिपुरा प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिपुरा में उड़ीसा निवारक निरोध अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत जो त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू किया गया है, 6 व्यक्ति नजरबन्द हैं। उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नजरबन्द किया गया है।

सुपर एक्सप्रेस टेलीग्राफ सर्विस

1111. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में प्रथम बार दिल्ली और बम्बई के मध्य सुपर एक्सप्रेस टेलीग्राफ सर्विस का उद्घाटन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो केवल दिल्ली—बम्बई सेवा ही आरम्भ करने के क्या कारण है ;

(ग) इस परियोजना पर अतिरिक्त लागत कितनी आयेगी और प्रेषक से कितना शुल्क लिया जायेगा ; और

(घ) टेलीफोन में 'लाइटनिंग' काल शुल्क तथा समय से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां । यह केवल टेलीफोन नम्बरों के पतों पर भेजे जाने वाले तारों तक ही सीमित है ।

(ख) इसे आरम्भ में प्रयोग के तौर पर शुरू करने के लिए केवल दिल्ली बम्बई मार्ग को चुना गया था ।

(ग) कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी । भेजने वालों से केवल सामान्य प्रेस तारों का शुल्क लिया जाता है ।

(घ) लाइटनिंग टेलीफोन कालों पर उतने ही समय के एक साधारण काल का 8 गुना शुल्क लिया जाता है, जबकि सूपर एक्सप्रेस तार सेवा के लिए केवल एक्सप्रेस शुल्क लगाया जाता है ।

इन्टेलीजैन्स ब्यूरो में परिवर्तन

1112. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त इन्टैलिजेंस संगठन में परिवर्तन किये जा रहे हैं कि यह और अधिक प्रभावी ढंग से काम करें तथा इस सम्बन्ध में पहली कार्यवाही यह है कि इन्टैलिजेंस ब्यूरो के सभी उच्च अधिकारियों को स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं ; और

(ख) क्या ब्यूरो के महत्वपूर्ण विभागों को भविष्य में असैनिक अधिकारियों, जिनका पुलिस अथवा सेना से कोई सम्बन्ध नहीं होगा के अधीन रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार सूचना विभाग समेत अपने विभिन्न संगठनों के कार्य का, उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से पुनरीक्षण करती रहती है। यह सच नहीं है कि आसूचना विभाग के वर्तमान उच्च अधिकारियों को स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्

जर्मन जनतांत्रिक गणतंत्र द्वारा भारत से मांगा गया अतिरिक्त ऋण

1113. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनतांत्रिक गणतंत्र ने भारत से 2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किस लिए मांगा गया है ; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय वाणिज्य संबंधों की रूपरेखा के अंतर्गत अन्य सरकारों को तकनीकी ऋणों का प्रदान करना गोपनीय स्वरूप का होता है तथा इन प्रबन्धों के व्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा ।

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना

1114. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक पद त्याग करने से पूर्व प्रयोगशाला से कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहे थे ;

(ख) निदेशक की अनुपस्थिति के दौरान कितने वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों ने पद-त्याग किया ; और

(ग) क्या सरकार प्रयोगशाला द्वारा किए गए कार्य से सन्तुष्ट है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 283/71]**

(ख) आठ ।

(ग) क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद् ने प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय सप्ताह का आरम्भ किया जाना

1115. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय सप्ताह आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का उसी नीति को अपनाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों और सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यापार संगठनों द्वारा पांच दिवसीय सप्ताह नीति अपनाए जाने की सिफारिश करने का है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान्, प्रयोगात्मक आधार पर ।

(ख) तथा (ग). ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आकाशवाणी, कलकत्ता से अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कार्यक्रम

1116. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से अनुसूचित आदिम जातियों के लिए प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम में इसके लागू होने से अब तक सुधार हुआ है;

(ख) क्या विभिन्न अनुसूचित आदिमजातियों के संगठनों तथा व्यक्तियों ने कार्यक्रम की रीति में परिवर्तन करने के लिए आपत्तियां उठाई हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का प्रसारण सप्ताह में दो बार करने तथा इसकी अवधि बढ़ाने के लिये भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से साप्ताहिक सन्थाली कार्यक्रम कई वर्षों से प्रसारित किया जा रहा है तथा इसके स्तर में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां । इस कार्यक्रम की अवधि तथा फ्रीक्वैंसी में वृद्धि करने के लिये सुझाव समय-समय पर मिले हैं ।

(घ) इन सुझावों को मानना उपलब्ध प्रसारण समय में अन्य कार्यक्रमों की मांगों के कारण सम्भव नहीं हो सका है ।

योजना मंत्री की अमरीका की यात्रा

1117. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने योजना मंत्रालय का कार्यभार संभालने के पश्चात् अमरीका की यात्रा की थी;

(ख) क्या यह यात्रा योजना के लिए अमरीकी सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में थी; और

(ग) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयम्बतूर में क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करना

1118 **श्री मरासोली मारन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर में क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां । कोयम्बत्तूर में 1000 लाइनों का एक क्रासबार एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है ।

(ख) ज्योंही मौजूदा एक्सचेंज की क्षमता के बराबर टेलीफोन लगा दिए जाने की संभावना हो जाएगी और टलीफोनों की माँग पूरी करने के लिए दूसरा एक्सचेंज लगाना उपयुक्त होगा, प्रस्तावित एक्सचेंज की स्थापना का कार्य हाथ में ले लिया जायगा ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें

1119. **श्री मरासोली मारन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

राज्य पुलिस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये तमिलनाडु राज्य को वित्तीय सहायता

1120. **श्री मरासोली मारन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य पुलिस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां श्रीमान् । तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ।

(ख) अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को ऋण तथा अनुदान सहायता देने की योजना के अन्तर्गत, जो दो वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी, जहां तक सम्भव हो, राज्य सरकार को सहायता करने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही हैं ।

मद्रास में राजभवन को बदलना

1121. **श्री मरासोली मारन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मद्रास में राजभवन को बदलने की अनुमति माँगी है; और

(ख) यदि हां तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) तथा (ख). तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने तमिल नाडु के राज्यपाल के राजकीय आवास को बदलने का सुझाव देते हुए प्रधान मंत्री को लिखा था। प्रधान मन्त्री ने मुख्य मंत्री को उत्तर दिया है जिसमें कहा गया है कि राजभवन में मितव्ययता बरतने के तरीके निकाले जाने हैं, किन्तु इस विषय से सम्बन्धित कोई नीति अखिल भारतीय नीति होनी चाहिए ताकि जो भी निर्णय लिया जाय सभी राज्यपालों पर लागू हो सके। मुख्य मंत्री को यह भी सूचित कर दिया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रश्न की तथा दूसरे मामलों में मितव्ययता लाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

मदुरै और तिरुचिरापल्ली में टेलिफोन एक्सचेंज का विस्तार

1122. **श्री मरासोली मारन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै और तिरुचिरापल्ली में टेलिफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख). जी नहीं। इन दोनों स्थानों पर एक्सचेंजों का तुरन्त विस्तार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इन एक्सचेंजों की मौजूद क्षमता वर्तमान और आगे कुछ वर्षों की संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 31-3-1971 को स्थिति इस प्रकार थी :

एक्सचेंज	क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
मदुरै	7,200	5,942	133
तिरूचिरापल्ली	4,800	3,843	कोई नहीं

दिल्ली के डाकघरों में प्रयोग किए जाने वाले मनीआर्डर फार्म आदि पर अंग्रेजी भाषा का न होना

1123. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डाकखानों में प्रयोग किये जाने वाले मनीआर्डर फार्म बचत बैंक से धनराशि निकालने के लिये प्रयोग किये जाने वाले फार्म आदि हिन्दी / उर्दू न जानने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिये अंग्रेगी भाषा में उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली के डाकघरों में जनता की सप्लाई के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी छापे गये मनीआर्डर फार्म उपलब्ध हैं। दिल्ली सर्कल में सप्लाई के लिये बचत बैंक से पैसा निकालने के फार्म हिन्दी और अंग्रेजी में अलग अलग छापे जाते हैं। अंग्रेजी में इस फार्म का स्टाक दिल्ली सर्कल के कुछ डाक घरों में अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था।

(ख) दिल्ली सर्कल के सभी डाकघरों में हिन्दी और अंग्रेजी में छापे गये फार्मों का पर्याप्त स्टाक रखने के लिए कदम उठाए गए हैं।

उपग्रह संचार पर आधारित टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना

1024. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच चौथी पंचवर्षीय योजना में पांच टेलीविजन केन्द्रों के अतिरिक्त भारत में बड़ी संख्या में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के लिये कुछ अन्य योजनाएं बनाई हैं और उन पर विचार किया है ;

(ख) क्या इन नई योजनाओं को परमाणु उर्जा आयोग की योजनाओं के साथ जो भारत में उपग्रह संचार पर आधारित टेलीविज़न केन्द्रस्थापित करने के लिये योजना बना रहा है, समन्वित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान लगाए जाने वाले टेलीविजन केन्द्रों के अतिरिक्त, देश में बड़ी संख्या में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) डी० ए० ई० तथा एन० ए० एस० ए० के बीच हुए एक करार के अनुसार, उपग्रह से टेलीविजन ट्रांसमिशन तथा आवर्धित पंचायती सेटों पर सीधे रिसेप्शन पर 1974 में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग के परिणामों को ध्यान में रखते हुए देश में टेलीविजन केन्द्रों के विस्तार की योजना तैयार की जाएगी और इसको परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्तरिक्ष संचार सुविधाएं स्थापित करने की योजना के साथ समन्वित किया जाएगा।

(ग) इस अवस्था पर कुछ कहना असामयिक होगा।

Issuance of special Postal Stamps

1125. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of occasions on which special Postal Stamps were issued during the last three years; and

(b) the extra expenditure incurred by Government thereby?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :

	Year	*Occasions*
(a)	1968	19
	1969	21
	1970	24
(b)	1968	Rs. 2,26,545.19
	1969	Rs. 1,86,262.03
	1970	Rs. 3,07,167.36

स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का वृत्त चित्र

1126. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर एक वृत्तचित्र बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). फिल्म प्रभाग द्वारा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री पर निम्नलिखित वृत्त चित्र बना कर रिलीज किए गए:—

(1) शांति की खोज में,

(2) शांति का दूत,

(3) लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजली ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की स्थापना

1127. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक सम्पूर्ण भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). भारत को तथा भारत से बाहर समाचारों को प्रभावशाली ढंग से भेजने की आवश्यकता अनुभव करते हुए सरकार यह चाहती है कि पूरे साज-सामान तथा पर्याप्त स्टाफ सहित एक भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय

समाचार एजेंसी का गठन हो। जबकि सरकार इस प्रकार की एजेंसी के गठन को प्रोत्साहित करेगी, सरकार का यह इरादा नहीं है कि वह एजेंसी की मालिक हो या उसको चलाए।

आकाशवाणी मंत्रणा बोर्ड की बैठकों की संख्या

1128. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आकाशवाणी मंत्रणा बोर्डों की कितनी बैठकें हुई ;

(ख) बोर्डों ने क्या सिफारिशें की; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 284/71**]

आकाशवाणी को स्वायत्त निकाय के रूप में बदलना

1130. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनीतिक दलों ने आकाशवाणी को एक स्वायत्त निकाय के रूप में बदलने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)　(क) जी, हां।

(ख) 12 नवम्बर, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 681 के उत्तर में लोकसभा को जो यह निश्चय बताया गया था कि सरकार ने फिलहाल आकाशवाणी को स्वायतशासी निगम में न बदलने का निर्णय किया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर परिवर्तन

1131. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 1971 को सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, दिल्ली के वार्षिक दिवस उत्सव पर भाषण देते हुये गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री ने उल्लेख किया था कि प्रशासन के विभिन्न ढांचों में आमूल परिवर्तन किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है तथा ये परिवर्तन किन-किन विभागों में किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख). वक्तव्य में इस आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि प्रशासन के लक्ष्य और आदर्श तेजी से बदलते हुए समाज के अनुरूप होने चहिये। सरकार में ही लगातार परिवर्तन तथा सुधार होता रहता है जिनका उद्देश्य प्रशासनीक गतिविधि को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इसके साथ ही साथ प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा देश के लोक प्रशासन की व्यापक समीक्षा की जाती है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के बारे में अनेक नये विचार प्रकट होते हैं। सरकार ने पहले ही प्रशासनिक सुधार आयोग की अनेक सिफारिशों पर निर्णय कर लिए हैं। इनसे तथा अन्य परिवर्तनों से जिन्हें प्रशासनिक प्रबन्धों की एक निरंतर समीक्षा के फलस्वरूप आरम्भ किया जायेगा प्रशासन के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।

गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था

1132. **श्री के० एस० चावडा**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के लिये वर्ष 1968 में अग्रिम कार्यवाही की गई थी और उपकरण प्राप्त करने के लिये क्या आदेश दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उपर्युक्त सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था को कब तक चालू कर देगी?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां, गांधी नगर और अहमदाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की योजना बनाने के लिए अग्रिम कर्रवाई 1968 में आरंभ कर दी गई थी।

(ख) आशा है कि यह योजना 1973 तक चालू कर दी जायगी।

सोनारी एक्सचेंज, आसाम की खराब टेलीफोन सेवा

1133. **श्री विश्व नारायण शास्त्री**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सोनारी एक्सचेंज, आसाम के टेलिफोन उपभोक्ताओं ने (1) निरंतर खराब टेलीफोन सेवा, (2) गलत और अधिक राशि के बिल, (3) शिकायतों के प्रति कार्यवाही न करने के विरोध में अपने टेलीफोन कनेक्शन कटवा लिये थे; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) प्रश्न के इस भाग में जैसा कहा गया है जांच-पड़ताल करने से वैसा नहीं लगा। हाल ही में बकाया बिलों का भुगतान न करने के कारण सोनारी में कुछ टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Absence of adequate arrangements in Jaora Post Office in Madhya Pradesh

1134. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Post Office in Jaora in Ratlam District of Madhya Pradesh, which comes under L.S.G. grade, neither has adequate number of employees nor other arrangements;

(b) the number of employees sanctioned for the Post Office of the said grade and the reasons for not appointing the employees according to the sanctioned strength;

(c) whether the general public have to face difficulties every day due to mismanagement and delay in work as a result of inadequate strength of employees therein; and

(d) the time by which the adequate arrangements are likely to be made there?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) The staff sanctioned for Jaora L.S.G. Sub Office is as follows :

Lower Selection Grade Sub Post-master	1
Clerks	5
Extra Departmental Stamp Vendor	1
Head Postman	1
Mail Overseer	1
Postmen & Village Postmen	7+1
Extra-departmentat Messengers	1
Messengers	2
Mail Peons	3
Extra Departmental Chowkidar	1
Part-time Waterman	1
Part-time Sweeper	1

All the sanctioned posts stand filled up.

(c) Does not arise. No public complaints about mismanagement or delay have been received.

(d) Does not arise.

Import Licensing Office in Madhya Pradesh

1135. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the States where import licensing offices are functioning independently in the country ;

(b) whether there is no such office in Madhya Pradesh ;

(c) if so, whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Mantralaya to set up an office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports in that State; and

(d) if so, the action taking thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) A statement showing the names and addresses of licensing offices situated in various States and their territorial jurisdiction, is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No L. T. 285/71*]. These licensing offices deal with applications for licences pertaining to the importers situated in their jurisdiction, except in cases where import licensing work has been centralised.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The matter is under consideration.

पश्चिम बंगाल में सैनिक टुकड़ियों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की लगातार तैनाती के सम्बन्ध में पुनर्विचार

1136. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और पश्चिम बंगाल की नई लोकतंत्रात्मक मिली जुली सरकार ने जिसने राज्य में 2 अप्रैल, 1971 को सत्ता सम्भाली थी, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के हेतु पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सैनिक टुकड़ियों की लगातार तैनाती के प्रश्न पर पुर्नविचार किया है ;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना को राज्य से हटा लिया जाये और उन्हें राज्य से बाहर सुगम स्थानों पर रखा जाये जिससे कि आपतकालीन स्थिति में उनकी सेवा प्राप्त हो सके ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सिविल सत्ता की सहायता के लिये संघ के सशस्त्रदलों को तैनात करने के प्रश्न का पुनरीक्षण निरंतर किया जाता है और संघ के सशस्त्र दलों को केवल वहाँ तैनात किया जाता है जहां इस प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिल्चर में रेडियो स्टेशन

1137. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार सिल्चर में रेडियो स्टेशन कब चालू करने का है ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि गौहाटी आकाशवाणी केन्द्र से बंगाली, मणिपुरी आदि भाषा में प्रसारण नहीं होता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यदि कोई उपचारी कार्यवाही की है तो क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1973 में ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गोहाटी केन्द्र अपने सेवा-क्षेत्र के श्रोताओं की आवश्यकताएं पूरी करता है । बंगला भाषा में प्रसारण कलकत्ता, अगरतला, सिलीगुड़ी तथा कुर्सियांग केन्द्रों से तथा मणिपुरी भाषा में इम्फाल केन्द्र से किए जाते हैं ।

Newsprint quota for M. P. weeklies etc.

1138. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the quota of newsprint allocated annually to each of the Dailies, Weeklies and Bi-weeklies published from Madhya Pradesh ; and

(b) the basis of fixing newsprint quota for these papers?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) A statement showing the news print quota given to dailies, weeklies and bi-weeklies published from Madhya Pradesh for the licensing year 1970-71 is at Appendix 'A'. [*Placed in Library. See No. L. T.* 286/71]

(b) The basis of allocation of newsprint to dailies, weeklies nnd other periodicals is given in the Newsprint Allocation Policy announced at the beginning of each licensing year. It is mainly related to the average circulation, average number of pages and page-size of a newspaper and increases allowed under the policy in each licensing period. A copy of the Newsprint Allocation Policy for 1971-72 was laid on the Table of the House on 26th May 1971.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सूती कपड़ा मिलें बन्द किये जाने की कथित धमकी

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमन्, मैं विदेश व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"देश में सूती कपड़ा मिलों को बन्द करने की कथित धमकी और उसके परिणाम स्वरूप हजारों कपड़ा मिल मजदूरों के बेरोजगार हो जाने की संभावना ।"

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): जैसा कि सदन को विदित ही है सूती वस्त्र उद्योग वर्ष 1965 से किसी न किसी कारण से कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वर्ष 1965 में भारत-पाक संघर्ष के फलस्वरूप भारी स्टाक का जमा होना, 1966 का रुई संकट, 1966 तथा 1967 में सूखा तथा उसके फलस्वरूप आई मंदी और 1970–71 में पुनः रुई के बारे में कठिनाई आदि सभी का उद्योग पर बुरा असर पड़ा। हालाँकि जब कभी ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हुई उन पर कार्यवाही करने के लिए कदम उठाये गये, फिर भी समय समय पर इन सभी कारणों से अनेक मिलें बंद हो गईं। पिछले तीन वर्षों से किसी भी महीने में बंद पड़ी मिलों की संख्या 40 से 60 तक रही है। वर्ष 1970 की पहली छमाही में स्थिति कुछ हद तक बेहतर थी और बंद पड़ी मिलों की संख्या औसतन 40 के लगभग रही। मार्च 1971 में यह बढ़कर 56 हो गई जबकि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रेल, 1971 में इनकी संख्या 55 थी। पता चला है कि मई, 1971 में 4 बंद मिलें पुनः खुल गई है परन्तु बंद मिलों के ताजा आंकड़े अभी विभिन्न राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हर महीने कुछ बंद मिलों का खुलना और कुछ कमजोर चालू मिलों का बंद हो जाना एक आम बात रही है।

2. मुझे विदित नहीं है कि माननीय सदस्यों की यह ध्यानाकर्षण सूचना 23 मई, 1971 के बम्बई के एक दैनिक के अंक में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट पर आधारित है। प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित पांच मिलों के संबंध में स्थिति की वस्त्र आयुक्त तथा महाराष्ट्र के श्रम-आयुक्त द्वारा जांच-पड़ताल कर ली गई है। ऐसा पता चला है कि यद्यपि ये मिलें वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, फिर भी उनके तुरन्त बंद होने की कोई आशंका नहीं है और न ही इन मिलों में से किसी के बंद करने की कोई सूचना मिली है। वस्तुतः, समाचार पत्र में पहले ही उसका खंडन कर दिया गया है।

3. इस संदर्भ में अलावा, मुझे हाल ही में मिलों के भारी संख्या में बंद होने की कोई सूचनाएं नहीं मिली हैं। बहरहाल यह सत्य है कि चालू रुई वर्ष के दौरान रुई की कीमतों में तेजी से वृद्धि और ऋण-संबंधी प्रतिबंधों तथा माल इकट्ठा हो जाने के कारण सामान्यतः सूती वस्त्र उद्योग की धन संबंधी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिति का सामना करने के लिए रुई तथा स्टेपल रेशे के भारी मात्रा में आयात प्राधिकृत किये गये हैं और ऋण संबंधी प्रतिबंधों को शिथिल करने के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारियों को सुझाव दिये गये हैं।

4. बंद मिलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सरकार के पास वर्ष 1967 तक एक मात्र साधन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 ही उपलब्ध था। इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक मिलों का प्रबंध ग्रहण किया गया, परन्तु यह देखा गया कि यह अधिनियम प्रभावी सरकारी प्रबंध की अनुमति नहीं देता था। अतः सूती वस्त्र समवाय (उपक्रमों का प्रबंध और परिसमापन अथवा पुनर्निर्माण) अधिनियम, 1967 का अधिनियमन किया गया और 1968 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना की गई। इस अधिनियम में सरकार द्वारा मिलों के प्रभावी प्रबंध, तथा साथ ही चालू संस्थाओं के रूप में उसके परिसमापन अथवा मिल कंपनियों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था है। इसके परिणाम स्वरूप और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्यों, तथा साथ ही राज्य सरकारों अथवा राज्य वस्त्र निगमों के कारण, इस समय सरकार द्वारा 27 मिलों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

5. रुई की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप गंभीर स्थिति रहने के बावजूद भी, जिसने विशेषतया कमजोर मिलों के लिए विशेष कठिनाइयां उत्पन्न कर दी है, सरकार ने ऐसी मिलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके अधिमान्य ऋण सीमाओं तथा विदेशी रुई के आबंटन तथा अन्य उपायों द्वारा विशेष राहत देकर स्थिति का सामना करने का प्रयत्न किया है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों की सलाह लेकर स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है और किसी भी मिल अथवा मिलों के समूहों द्वारा मिलों के बंद किये जाने की आशंका समाप्त करने के लिए तुरन्त उपाय कर रही है। यह विदित होगा कि बड़ी संख्या में मिलों को बंद होने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई है और इस संबंध में कोई आशंका का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा इसके साथ ही राज्य वस्त्र निगमों को, जहां कहीं भी वे प्रस्थापित किये गये हैं, विशषतः इस संबंध में उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस संबंध में माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए सभी अपेक्षित उपाय कर रही है।

प्रो० मधु दंडवते : बम्बई, कानपुर, कलकत्ता जैसे स्थानों की सूती कपड़ा मिलों में संकट कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि मिल मालिकों का सरकार पर दबाव डालने का एक षड़यंत्र है जिससे सरकार रुई का अधिक आयात करे और स्वदेशी रुई के मूल्यों में कमी हो जाय और मिल मालिक सस्ती रुई खरीद कर अधिक लाभ कमा सकें। गत वर्ष भी मिल मालिकों ने नियंत्रित किस्म के कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये मूल्य पुनरीक्षण की मांग की थी परन्तु सरकार इनके दबाव में नहीं आयी और मिल मालिकों की बात नहीं मानी गई। अब फिर ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। सरकार को मिल मालिकों के दबाव में नहीं आना चाहिये और नियंत्रित कपड़े के मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

संकटग्रस्त मिलों के लिये मिलमालिकों ने एक उपाय निकाला है। वे सरकार से कहते हैं कि सस्ती रुई उपलब्ध नहीं है। पुरानी मशीनों को बदलने के लिये उनके पास पर्याप्त धन नहीं हैं तथा उन्हें ऋण सम्बन्धी सुविधायें नहीं मिल रही है। इस प्रकार मिल मालिक अप्रत्यक्ष रूप में सरकार को विवश करना चाहते हैं कि संकटग्रस्त मिलों को सरकार अपने अधिकार में ले ले और उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दे अथवा नई मशीनें लगाकर मिलें मिल मालिको को दे दी जायें। सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि संकटग्रस्त मिलों के सम्बन्ध में मिल मालिक अपनी धारणाओं को बदले।

इसके पश्चात कपास का उत्पादन करने वालों, उपभोक्ताओं तथा सूती कपडा मिलों में कार्य करने वाले मजदूरों की समस्याओं को सुलझाना है। क्या सरकार राष्ट्रीय रुई निगम के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करेगी जिससे उत्पादकों को आवश्यक बीज उपलब्ध कराये जा सकें। धागों के उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों की देखभाल की जा सके तथा कपडा मिलों को समान अनुपात में इनका वितरण किया जा सके।

क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि बम्बई जैसे स्थानों के व्यापार मजदूर संघों ने मजदूरों को इस प्रकार का परामर्श दिया हैं कि यदि मिलें बंद होती हैं तो वे मिलों को न छोड़ें और वहाँ खालि बैठकर हड़ताल करे। क्या सरकार इस देश–व्यापी गम्भीर स्थिति से परिचित है?

सूती कपड़ा मिलों का यह संकट निरन्तर चलने वाला है, इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार अपनी नीति का पुनरीक्षण करने तथा इनका राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिकी-करण करने का है जिसके अन्तर्गत मिलों को सरकारी एजेन्सियों के नियंत्रण में दे दिया जाय ।

1967 में बम्बई की सक्सेरिका सूती कपड़ा मिल को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था । मामला बम्बई उच्च न्यायायालय में गया और वहां उसके पुर्ननिमाण की स्वीकृति दे दी गई इस प्रकार सरकार को मिल से हटना पड़ा । अन्त में मिल बन्द हो गई और मजदूरों को निकाल फेंका गया । सरकार को इन मिलों का राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिकीकरण करने से पूर्व इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये ।

श्री एल० एन० मिश्र : यह ठीक है कि बहुत सी मिलों की स्थिति अच्छी नहीं है । जिन मिलों में आर्थिक संकट है, उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने नियंत्रण में ले रहा है । इस समय उनके पास 27 मिलें हैं और 13 अन्य मिलों का मामला विचाराधीन है । यह संभव है कि हम इन मिलों को भी अपने नियंत्रण मे ले लेंगे । कठिनाई यह है कि राज्य सरकारों को यह भी स्वीकार करना है कि जब राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अपने हाथ में लेती है तो उसे 50 प्रतिशत निवेश देना होगा ।

नियंत्रित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने के लिये कपडा मिल मालिकों के दबाव में आने का प्रश्न ही नहीं उठता । हम मध्यम मोटर और अन्य नियंत्रित प्रकार के कपड़ों के मूल्य में वृद्धि नहीं कर रहे हैं ।

जहां तक मजदूर वर्ग की बेरोजगारी का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि जब मिलें बन्द होंगी कई मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जायेगी । इनके बन्द होने का मुख्य कारण यह है कि हमारे पास जो मिलें हैं, वे पुरानी पड़ गई है और अन्य मिलों के साथ प्रति-योगिता नहीं कर सकती । इन मिलों का या तो आधुनिकीकरण करना है या उन्हें बन्द करना है । यह कार्य राष्ट्रीय कपड़ा निगम कर रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सूती कपड़ा मिलों में एकवर्ग कपास उत्पादकों, मिल मजदूरों तथा उपभोक्ताओं का सरकारी सहयोग से शोषण कर रहा है । मार्च 1971 में बन्द मिलों की संख्या 56 तक पहुंच गई थी । जबकि गत वर्ष यह संख्या 40 थी और राष्ट्रीय कपड़ा निगम एक मूक दर्शक बना रहा । पश्चिम बंगाल की कुल 41 मिलों में से राष्ट्रपतिशासन काल में 18 मिलें बंद हो गयीं । 24,000 कपड़ा मजदूर बरोजगार हो गये । मिल मालिक सभी निधियों को हड़प गये यहां तक कि मजदूरों की भविष्य निधि का भी दुरुपयोग किया गया और सरकार सब कुछ देखती रही । बम्बई तथा अहमदाबाद के मिल मालिक पश्चिम बंगाल के बाजारो पर अपना नियंत्रण बनाये रखना चाहते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुल कपड़े का उत्पादन आवश्यकता का 5 प्रतिशत होता है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने महाराष्ट्र में 7, गुजरात में 5, तमिल-नाडु में 4, उत्तरप्रदेश में 2, मध्यप्रदेश में 4 और पांडिचेरी तथा राजस्थान में से प्रत्येक को एक मिल को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है । इनमें पश्चिम बंगाल की एक भी मिल नहीं है । मंत्री महोदय नें 24 नवम्बर, 1970 को राज्य सभा मे कहा था कि वह शीघ्र ही कोई कार्यवाही

करेंगे, अतः पश्चिम बंगाल की संकटग्रस्त मिलों को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? पश्चिम बंगाल में पूँजी निवेष की बहुत बड़ी कमी है । मुझे बताया गया है कि इस कमी के कारण मिलों की एक तिहाई क्षमता का उपयोग हो पाता है । दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के सूती कपड़ा मिल मालिक को गुजरात और बम्बई के मिल मालिकों की अपेक्षा एक गांठ रुई के लिये 100 रुपये अधिक देना पड़ता है । क्या सरकार समान मूल्य सम्बन्धी कोई नीति बनाने जा रही है जैसा कि इस्पात के मामले में भी किया गया है । बंगाल की कई मिलों से सरकार को राजस्व के रूप में 5 करोड़ रुपया दिया जाता है । कपड़ा मिलोंकी स्थिति में सुधार करने तथा पश्चिम बंगाल में बेरोजगार मजदूरों की समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ने कौन से विशेष कदम उठाये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कई कपड़ा मिलें बन्द हो गयी हैं और मजदूर बेरोजगार हो गये हैं । हमने राज्य के मुख्य सचिव से इस बारे में चर्चा की है और उन्हें यह सुझाव दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रस्ताव को मानना चाहिये ताकि वे कुछ चलाई जा सकने वाली मिलों को अपने हाथ में ले । 5 या 6 मिलें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकते हैं । मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा था कि वे लागत का 50 प्रतिशत दे तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों को अपने हाथ में ले सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कपड़ा मिल मालिक मिलों की मशीनरी से पूरा लाभ उठाते हैं और जब मशीनें बेकार हो जाती हैं तो इन्हें सरकार को देने की बात उठायी जाती है । सरकार इन मिलों का नवीकरण करके फिर उन्हीं मिल मालिकों को दे देती है । ऐसा नहीं करना चाहिये । उत्तर प्रदेश में भी दो मिलें सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली हैं, इन मिलों को अब मिल मालिकों को नहीं दिया जाना चाहिये । क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गई है । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत जाँच में बहुत समय लगता है । क्या इस व्यवस्था के अतिरिक्त इन मिलों को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने के लिये अन्य कोई उपाय निकाला गया हैं ।

यह कहा गया था कि रामरतन गुप्ता की लक्ष्मी रतन मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लिया जायगा । श्री गुप्ता किसी प्रकार का कोई भी कर, विक्रय कर, आयकर और सम्पत्ति कर सरकार को नहीं देते हैं । सरकार ने कपड़ा आयुक्त तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा मंत्रालय के संयुक्त सचिव का एक दल नियुक्त किया था । इस दल ने हाल में कानपुर का दौरा किया और मिल मजदूरों की दयनीय स्थिति देखी ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा कोयम्बतूर की बन्द मिलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिये कौन से ठोस कदम उठा रही है । बहुत सी मिलें जो सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं, अभी तक उन्हें चालू नहीं किया गया है । यह बड़े ही खेद की बात है ।

क्या सूती कपड़ा मिलों के बन्द किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ? क्या कोई ऐसा आदेश है जिसे सरकार क्रियान्वित करेगी कि बिना नोटिस दिये तथा बिना पर्याप्त कारण बताये कोई सूती कपड़ा मिल मालिक मिल को बन्द नहीं कर सकता । क्या लक्ष्मी रतन कपड़ा मिल तथा एथरटन वैस्ट मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया

गया है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ? पिछले चार पांच दिन से लक्ष्मीरतन मिल के मजदूर हड़ताल पर हैं और उन्होंने तब तक हड़ताल पर रहने का निश्चय किया है जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार मिल को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले लेती। केन्द्रीय सरकारने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय सदस्य ने अलग-अलग कई मिलों के बारे में पूछा है। सभी के बारे में एक निश्चित उत्तर देना कठिन है परन्तु सामान्यतया स्थिति इस प्रकार है। मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र मैं लेने से पहले स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक दल नियुक्त किया जाता है और दल की जांच के पश्चात ही मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने का निर्णय किया जाता है। बिना जांच कराये मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेना संभव नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप ध्यान से सुने मेरा तात्पर्य यह है कि मिलों को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने के सम्बन्ध में जो विलम्ब होता है, क्या उसे दूर किया जा सकता है दूसरे, क्या मिलों के बन्द करने पर सरकार प्रतिबन्ध लगायेगी और तीसरा प्रश्न लक्ष्मीरतन मिल के सम्बन्ध में है।

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि मैं बता चुका हूं बिना जाँच कराये किसी भी मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता। यदि मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेना राष्ट्रीय हित में नहीं है, यदि कपड़ा निगम द्वारा मिल का चलाया जाना कठिन कार्य है तो हम इन मिलों को सरकारी अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार ले सकते हैं। लक्ष्मीरतन मिल के बारे में मैंने स्वयं कई बार बातचीत की हैं। हमने दूसरी जाँच के लिये एक दल भी नियुक्त किया था और दल का प्रतिवेदन हमारे सामने है। हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं। जिस समय राज्य सरकार 50 प्रतिशत पूंजी लगाने के लिये सहमत हो जायगी तभी मिल को सरकारी अधिकार क्षेत्र में ले लिया जायगा।

ऐसी व्यवस्था विद्यमान है कि मिल को बन्द करने से पहले मजदूरों को नोटिस दिया जाना चाहिये। जहाँ तक मजदूरों का सम्बन्ध है वह इस मामले को श्रम मंत्रालय के सामने रख सकते हैं। मैंने कपड़ा मिलों को यह परामर्श दिया है कि यदि मिलों को कोई कठिनाई है तो मालिक हमारे मंत्रालय से सम्बन्ध स्थापित करें तो उन्हें ऋण देने की व्यवस्था की जा सकती है, मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिये श्रम की व्यवस्था करायी जा सकती है। परन्तु बहुत सी मिलों ने इसमें भी अपना सहयोग नहीं दिया। बहुत सी मिलें बन्द हो जाने का मुख्य कारण यही रहा है कि मिल मालिक ने सोचा कि मिलों को चलाना लाभकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू): बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में एक बात उत्तर के लिये शेष रह जाती है और वह यह है कि क्या सरकार ने यह देखने के लिये कोई कार्यवाही की है कि मिल मालिक मिलों के आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : हमारी मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है कि यही समस्या योरोप में भी है। मिल मालिक आधुनिकीकरण के लिये तैयार नहीं है। हमने मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिये योजना में व्यवस्था की है। परन्तु इस निधि को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। माननीय सदस्य मिल मालिकों से कहें कि वे इस सुविधा से लाभ उठायें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन और अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1969–70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 268/71]**

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग की सलाह सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने के कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 268A/71]**

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2022 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 2050, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का 19 वां संशोधन, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 48 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) जी० एस० आर० 126, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक राज्य संवर्ग गठित किया गया है।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक (सेवा संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 127 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 128 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 130 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) जी० एस० आर० 131, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा का एक राज्य संवर्ग गठित किया गया है ।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 132 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 133 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 134 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 158 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 166 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का दूसरा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 167 में प्रकाशित हुआ था ।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 413 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का दूसरा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 414 में प्रकाशित हुआ था ।

(सत्तरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 534 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का सातवां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 535 में प्रकाशित हुआ था ।

(उन्नीस) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) पहला संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 536 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का चौथा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 537 में प्रकाशित हुआ था ।

(इक्कीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग मे संख्या का निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 538 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 618 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 662 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) भारतीय वन सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 663 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 664 में प्रकाशित हुए थे ।

(छब्बीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 665 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्ताईस) भारतीय वन सेवा (भर्ती दूसरा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 666 में प्रकाशित हुए थे :

(अट्ठाईस) जी० एस० ग्रार० 667 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 27 मार्च, 1971 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 413 और जी० एस० आर० 414 के शुद्धिपत्र दिये हुए हैं ।

(उनत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 707 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीस) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु और सेवा-निवृत्ति लाभ) पहला संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 708 में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 710 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का आठवां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 711 में प्रकाशित हुआ था ।

(तेंत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का छठा संशोधन, जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1592 में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 269/71]**

(3) उपर्युक्त मद (2) में (एक) से (चौदह) तक उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 270/71]**

अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार (भूमि का आवंटन) पहला संशोधन नियम, 1971

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) पंजाब राज्य फार्मेसी परिषद (पुनर्गठन और पुनर्संगठन) आदेश 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रेल, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1739 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) पंजाब राज्य दंत-चिकित्सक परिषद (पुनर्गठन और पुनर्संगठन) आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1740 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पंजाब नर्स रजिस्ट्रीकरण परिषद (पुनर्गठन और पुनर्संगठन) आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1741 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 271/71]**

(2) मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 169 के अन्तर्गत मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार (भूमि का आवंटन) पहला संशोधन नियम, 1971, जो मणिपुर राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या 7/1/71—आर० में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 272/71]**

चलचित्र (सेंसरशिप) संशोधन नियम, 1971

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती नन्दनी सत्पथी) : चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसरशिप) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा—पटल पर रखती हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 478 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 273/71]**

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा ढला लोहा सोयल पाइप और फिटिंग निरीक्षण नियम, 1971

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा—पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1755 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 274/71]**

(2) निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ढला लोहा सोयल पाइप और फिटिंग (निरीक्षण) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1916 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 275/71]**

सिविल रक्षा (संशोधन) विनियम, 1971

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (एफ० एच० मोहसिन) : मैं सिविल सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अन्तर्गत सिविल, रक्षा (संशोधन) विनियम 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 520 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 276/71**]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पहला प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल : (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट दल को सरकार द्वारा एक सदस्यीय जाँच आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: APPOINTMENT OF ONE-MAN COMMISSION OF ENQUIRY BY THE S. S. P. LED GOVERNMENT IN BIHAR

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिये बिहार राज्य की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्ववाली सरकार द्वारा मामले की जांच करने के लिये एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी किये गये ज्ञापन के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

Shri Ramdev Singh (Maharajganj) : A point of Order, Sir. The case is under trial, therefore he should not give any statement.

अध्यक्ष महोदय : मैंने विवरण देखने के पश्चात ही उन्हें अनुमति दी है ।

श्री एल० एन० मिश्र : अध्यक्ष महोदय, कोसी परियोजना में भारत सेवक समाज के सार्वजनिक सहयोग कार्य के सम्बन्ध में मुझ पर लगाये गये कुछ अभिकथनों की जांच करने के लिए, बिहार सरकार के भूतपूर्व संसोपा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल द्वारा एक सदस्यीय जांच आयोग की स्थापना हेतु एक अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने की अनूमति चाहता हूं ।

जब अधिसूचना जारी की गई तब मैं देश के बाहर था और मैं अपने वापस लौटने पर उक्त जांच के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभा के सम्मुख इस मामले के तथ्यों का सामान्य विवरण रखने के लिए उत्सुक रहा हूं ।

श्रीमान, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कुछ अजीब सी बात है कि जांच आयोग स्थापित करने के पूर्व बिहार की संसोपा के नेतृत्व वाली सरकार ने मेरे से परामर्श करना तो दूर, मेरा स्पष्टीकरण मांगने के मूलभूत न्याय-सिद्धांत का भी अनुसरण नहीं किया।

शायद, यदि उन्होंने मेरे से परामर्श किया होता, अपने कागजात को कुछ अधिक ध्यान से देखा होता, कुछ प्रारम्भिक साक्ष्य एकत्र किये होते तो वे स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते कि इस प्रकार का आयोग अनावश्यक तथा व्यर्थ था। यह तो केवल राजनीतिक प्रतिकार की भावना ही है।

कुछ समय पूर्व मई 1957 में भारत सरकार में संसदीय सचिव के रूप मे मेरी नियुक्ति के पश्चात एक दो दिन के भीतर मैंने भारत सेवक समाज के कोसी अनुभाग की संयोजकता से त्यागपत्र दे दिया था। यह एक ऐसा मामला नहीं जो इस सभा को न मालूम हो। 22 मार्च, 1968 को लोक सभा में श्री मधु लिमये के अभिकथनों पर बहस हुई थी और मेरे द्वारा दिये गये उत्तर इस सभा की कार्यवाही में उपलब्ध हैं।

बिहार की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में मेरे विरूद्ध तीन अभिकथनों का उल्लेख है :—

(1) यह अभिकथन है कि 12 या 13 वर्ष पहले सामुदायिक बचत निधि से निकाली गयी 2,10,000 रु० की राशि के लेखे मेरे द्वारा बिहार सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

मैं यह उल्लेख कर दूं कि भारत सेवक समाज समुदाय बचत निधि, बिहार सरकार या परियोजना प्राधिकारियों की धनराशि से नहीं बनाई गई थी। यह पूर्णतः भारत सेवक समाज के स्थानीय अभिकरणों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के वेतन बिलों से कटौतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी। दूसरे शब्दों में यह निधि परियोजना के लिए कर्मचारियों द्वारा पहले ही किये जा चुके मिट्टी कार्य के लिए उनको दी जाने वाली राशि के, जिसके लिए नियमित बिल बनाये गये थे और सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों द्वारा भुगतान के लिए पास किये गये थे, एक भाग के रूप में एकत्र हुई थी। यह शत प्रतिशत कर्मचारियों की धनराशि थी, सरकार का इस पर कोई अधिकार अथवा दावा न था।

सरकार का इस निधि के उत्पन्न अथवा एकत्र होने से कोई सम्बन्ध न था, अतः सरकार इस निधि के प्रयोग अथवा वितरण के सम्बन्ध में जांच करने के लिये सक्षम नहीं थी।

समुदाय बचत निधि स्थानिक विकासात्मक कार्य के लिए स्थानीय साधन जुटाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये बचतें परियोजना प्राधिकारियों के पास इस स्पष्ट धारणा से जमा की गई थी कि भारत सेवक समाज इस राशि को अपनी इच्छा के अनुसार निकाल सकेगा।

इस निधि के वितरण के लिए कोसी के पश्चिमी तथा पूर्वी पार्श्वों के लिए भारत सेवक समाज द्वारा दो विभिन्न समितियां गठित की गई थीं और ये समितियां समुदाय कार्यों जैसे स्कूलों, अस्पतालों, पंचायत घरों, सामुदायिक हाल के निर्माण, मरम्मत और पीने के पानी के लिए नल-कूपों की व्यवस्था हेतु इस निधि से धनराशि निकालने के लिए प्राधिकृत थीं।

मुझे भी, कोसी के पश्चिमी पार्श्व पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए धनराशि निकालने के लिए प्राधिकृत किया गया था। वर्ष 1959 तथा 1960 में दो किश्तों में 2,10,000 रु० की राशि निकाली गई थी, और न कि 23 लाख रु० की राशि जैसा कि संसोपा के नेताओं द्वारा प्रचार किया गया। यह राशि, इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से गठित समिति की सिफारिश पर इस प्रयोजन के लिए विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी गई थी।

मैं यहां पर स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि इस निधि में से कोई भी राशि अकारण नहीं निकाली गई। आठ वर्ष पूर्व, पश्चिमी तटबंध सामुदायिक बचत समिति के संयोजक को मैंने लेखाओं का पूरा हिसाब दे दिया था और उन्हें यथोचित रूप से स्वीकार कर लिया गया था।

मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गये लेखाओं को स्वीकार करते हुए संबद्ध समिति के संयोजक ने मुझे भेजे गए अपने दिनांक 15 जून, 1963 के पत्र में कहा, आपके निदेशानुसार, लेखा विवरण के साथ आपका पत्र कल हुई सामुदायिक बचत निधि (पश्चिम तटबंध) की बैठक के समक्ष रखा गया था और वह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। समिति ने मुझे निदेश दिए हैं कि मैं आपके द्वारा दी गई सहायता और मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर से आपको आभार प्रकट करूं। समिति यह महसूस करती है कि आपने कोषाध्यक्ष के रूप में सामुदायिक बचत के उद्देश्य को आगे बढाने के लिए ही कार्य नहीं किया अपितु आपने नेतृत्व भी प्रदान किया और आपके योग्य मार्गदर्शन के कारण ही हम अपने कार्य के प्रति न्याय कर सके। अब क्योंकि आपने कोषाध्यक्ष के पद पर न बने रहने का निर्णय कर लिया है, हम यह पुष्टि करते हैं कि आपके पास इस निधि की कोई भी बकाया राशि नहीं है। आप इस क्षेत्र की जनता के नेता हैं, और आपसे मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने का उनका अधिकार बना रहेगा।

मैं अगले विषय पर चर्चा करूं, इससे पूर्व, मैं यहां पर यह दोहराना चाहूंगा कि बिहार सरकार का इस धन पर कोई हक या अधिकार नहीं था। यह राशि न तो अनुदान के रूप में थी, और न ऋण के रूप में ही थी; यह कोई अग्रिम राशि या इमदाद भी नहीं थी। यह धन शत-प्रतिशत भारत सेवक समाज का और जैसा मैंने कहा है उसका पूरा लेखा-जोखा दे दिया गया है।

मेरे लंदन से लौटने पर, तथा इस जांच आयोग के बारे में पता चलने पर, मैंने संबद्ध संगठन से सम्पर्क स्थापित किया और मुझे पुनः विश्वास दिलाया गया कि इस अवधि के लिए लेखों की सनदी लेखापालों द्वारा जांच कर ली गई है और उन्हें प्रमाणित कर दिया गया है।

(2) दूसरा अभिकथन यूनिट नेताओं (ग्राम पंचायतों और श्रम सहकारी समितियों के प्रमुख अधिकारियों) के पास पड़ी बकाया रकम देय राशियों के बारे में है।

अलग अलग व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व तथा दायिताएं निर्धारित करने का एक अनुठा तरीका है। कार्य के आवंटन के लिए एक सुस्पष्ट प्रक्रिया थी और सैकड़ों जनसेवी व्यक्तियों को सम्बद्ध कार्य पालक अभियंताओं के क्षेत्रों में व्यक्तिगत संविदाएं करने पर कार्य के लिये विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किए गए थे।

इन यूनिट नेताओं (ग्राम पंचायतों और श्रम सहकारी समितियों के प्रमुख अधिकारियों) ने संगठन के उपक्रम में रह कर कार्य किया और वे परियोजना प्राधिकारियों के साथ सीधे हो संविदागत संबंधो के अधीन थे। सभी व्यावहारिक और कानूनी प्रयोजनों के लिये, यह सम्बन्ध एक ठेकेदार तथा संविदा देने वाले प्राधिकारी के बीच यूनिट नेताओं (ग्राम पंचायतों और श्रम सहकारी समितियों) के प्रमुख अधिकारियों और प्रायोजना प्राधिकारियों के बीच था ।

विनिर्माण कार्य के लिए यूनिट नेताओं (ग्राम पंचायतों और श्रम सहकारी समितियों के प्रमुख अधिकारियों) द्वारा निकाली गई धन राशियों के लिए मैं न तो गारंटी दाता था न ही मैंने कोई जमानत दी थी। भारत सेवक समाज भी केवल जन सहयोग की भावना को उत्पन्न करने और स्थानीय महत्व के अत्यन्त विशाल कार्य में स्थानिक लाखों लोगों को शामिल करने के लिए एक उत्प्रेरक मात्र था।

यदि यूनिट नेताओं (ग्राम पंचायतों और श्रम सहकारी समितियों के प्रमुख अधिकारियों) से बिना वसूल हुई कोई धनराशि बाकि रह गयी है तो कोसी परियोजना, दोषी पार्टियों के विरूद्ध जैसे कि अन्य प्राइवेट ठेकेदारों के मामले में होता है, कानूनी कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः समर्थ और स्वतंत्र है । यह एक और परियोजना प्राधिकारियों और दूसरी ओर यूनिट नेताओं के बीच एक उभयपक्षी प्रश्न है।

मुझे बताया गया है कि कुछ मामलों में परियोजना प्राधिकारियों ने बकाया धन वसूल करने के लिए, लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत कुछ यूनिट नेताओं के विरुद्ध प्रमाण-पत्र वाली कार्यवाही शुरू कर दी है । जैसा कि आप जानते हैं कि व्यतिक्रमी ठेकेदारों के साथ निपटने का यही सामान्य तरीका है।

इसलिए यह बहुत अनुचित तथा अजीब सा है कि मुझे अन्य व्यक्तियों के व्यतिक्रम के लिये साथ साथ जिम्मेदार ठहराया जाये जबकि यह संविदात्मक दायित्व उनके तथा परियोजना प्राधिकारियों के बीच हैं ।

आप इससे सहमत होंगे कि मुझ यूनिट नेताओं, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से परियोजना प्राधिकारियों के साथ था, की भूलों के लिए, यदि कोई हो, कानूनी अथवा नैतिक रूप में, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।

(3) तीसरा अभिकथन इससे भी अधिक हास्यास्पद है कि जांच आयोग को कोसी परियोजना पर कार्य आरम्भ होने से पूर्व तथा उसके बाद की अवधि के लिए मेरी परिसम्पत्तियों और दायित्वों पर रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है। मुझे पूरी तरह मालूम नहीं कि बिहार सरकार इस प्रकार के मामलों की जांच करने के लिये जांच आयोग स्थापित करने के लिए कहां तक सक्षम है।

श्रीमान, आपको यह मालूम ही है कि अपने मैं दूसरे सरकारी सहयोगियों की तरह अपनी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का वार्षिक विवरण प्रधान मंत्री जी को भेजता रहा हूं ।

मेरे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात् अथवा उससे पहले की मेरी परिसम्पतियों तथा दायित्वों की जांच हो तो मैं उसे कभी भी टालना न चाहूंगा। यह जांच केवल उस समय तक ही सीमित क्यों हो जबकि मैं भारत सेवक समाज कोसी परियोजना कार्य से सम्बन्धित था।

आप इससे सहमत होंगे कि इसे केवल मेरे अथवा मंत्री-परिषद के सदस्य तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, अपितु यह जांच बिहार के भूतपूर्व संसोपा मन्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों की होनी चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में लगे हैं।

अपने लिए मैं इसे कुछ गर्व से कहता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन में एक नवयुवक विद्यार्थी के रूप में 1940 में आया था और आज 31 वर्ष बाद मेरे पास अपने पिता से मिली परिसम्पत्ति का दसवां भाग भी नहीं रहा है जोकि मुझे सार्वजनिक जीवन में आने से पूर्व मिला था।

मैं यह सब व्यक्तिगत बातें बता कर सभा का समय लेना नहीं चाहता, परन्तु मैं, श्रीमान, आपसे यह अनुमति मांगता हूं कि मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सभा के समक्ष उठाऊं जोकि संसोपा के नेतृत्व वाली भूतपूर्व बिहार सरकार के एकपक्षीय कार्य के कारण उत्पन्न हुआ। संघीय तंत्र तथा स्वतन्त्र लोकतंत्र में केन्द्र और राज्यों की सरकार तथा सत्तारूढ़ दलों में प्रायः विभिन्नता हो सकती है। क्या विभिन्न राज्यों को यह स्वतन्त्रता है कि वे केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों के आचरण के विरूद्ध एक पक्षीय जांच आयोग स्थापित करके उनका राजनीतिक भयादोहन करें और वह भी देश के राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री के परामर्श लिए बिना।

Shri Ram Deo Singh : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. How the hon. Minister can give his clarification on a matter which is sub-judice?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। अब इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण मामले उठाये हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिये इस प्रकार की भूमिका देना उचित ही था।

समितियों के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

(क) इलायची बोर्ड

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

(ख) काफी बोर्ड

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक

GENERAL INSURANCE (EMERGENCY PROVISIONS) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि साधारण बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण होने तक लोकहित में उस कारबार का प्रबन्ध ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

वर्तमान विधेयक का वास्तविक उद्देश्य इस सम्बन्ध में अध्यादेश को अधिनियम में परिणत करना है। हमें यह कार्य थोड़े से नियंत्रित समय में ही पूरा करना है। तथ्य तो यह है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साधारण बीमा के राष्ट्रीयकरण की मांग भी जोर पकड़ रही थी। अतः हमने इसका

प्रबन्ध, अन्ततः साधारण बीमा की समूची व्यवस्था के स्वामित्व को अपने हाथ में लेने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

इस के विरूद्ध जो पहला तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है वह यह है कि इसके राष्ट्रीयकरण से अधिक उपलब्धि नहीं हो सकती क्योंकि इसमें स्वविवेक के प्रयोग के लिए अधिक गुंजाइश है और इस मामले में जोखिम भी अधिक है। अतः इसमें अधिक लाभ की संभावना नहीं है और न ही लाभ में साधारण बीमे को हाथ में लेने से कोई विशेष लोकहित ही पूरा हो सकेगा।

मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि राष्ट्रीयकरण के वर्तमान मामले में जो धनराशि उपलब्ध होगी, वह अपेक्षाकृत थोड़ी ही होगी। इस धनराशि के थोड़ा होने का कारण यह है कि साधारण बीमा कारोबार का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। परन्तु यह कार्यक्षेत्र अन्य सामजिक क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में किया गया यह तर्क कि इससे बहुत कम धनराशि उपलब्ध होगी, कोई विशेष सशक्त नहीं है।

मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस संसद और इस देश के लोगों की इच्छा के अनुसार जो राष्ट्रीयकरण हम कर रहे हैं, वह हमारी समक्ष सामाजिक विकास के नये अवसर पर प्रस्तुत करेगा। हमारी धन निवेष की नीतियों का आधार सामाजिक अधिक होगा और हमनें मुख्यतया इसी आधार पर यह निर्णय किया है। जब हम मतदाताओं के समक्ष गये थे तो उस समय हमने जनता को इस बारे में आश्वासन दिया था और हमें इस बात की खुशी है कि हमने मतदाताओं को दिये गये अपने एक प्रमुख आश्वासन को पूरा कर दिया हैं।

इस समय मैं आपसे एक और जानकारी देना चाहता हूं कि इस समय हम साधारण बीमा के स्वामित्व को हाथ में नहीं ले रहे है। अभी तो हम केवल इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में ले रहे हैं। हां, इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिए हमने उन्हें प्रतिमास कुछ मुआवजा देने का निर्णय किया है। इसी से सम्बन्धित एक सूत्र भी विधेयक में शामिल किया गया है क्योंकि हम मुआवजा दिये बिना इसका प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं ले सकते।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मुआवजा तो उस समय दिया जाना चाहिये जब आप इसका स्वामित्व लेंगे, आप अभी मुआवजा क्यों दे रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए भी मुआवजा देना पड़ता है और जो वर्तमान कानूनी स्थिति है हम उसके अनुसार ही कार्यवाही कर रहे हैं।

इसकी सामान्य परिसम्पत्तियां 240 करोड़ रुपये की है और मेरा अनुमान है कि इसके लिए हमें लगभग 28 या 30 लाख रुपये का मुआवजा विभिन्न कम्पनियों को देना पड़ेगा। यह मुआवजा गत तीन वर्षों, अर्थात् 1967, 1968, 1969 में सभी भारतीय बीमा कम्पनियों द्वारा बांटे गये वार्षिक औसत लाभ के आधार पर दिया जायेगा। इस प्रकार यह लगभग 203 अथवा 204 करोड़ रुपये बैठेगा। विदेशी कम्पनियों का लगभग लाभ 100 करोड़ रुपये होगा। 1969 में भारतीय बीमा कम्पनियों को 108 करोड़ रुपया प्रीमियम में मिला और विदेशी कम्पनियों को 23 करोड़ रुपये।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत 64 भारतीय (जिनमें जीवन बीमा निगम की तीन सहायक कम्पनियां भी शामिल है) और 42 विदेशी कम्पनियां हैं। ओरिएन्टल, जुपिटर और इंडियन गारंटी कम्पनी—जीवन बीमा निगम की ये तीन सहायक कम्पनियां है। इस सम्पूर्ण कारोबार में लगभग 25,000 कर्मचारी लगे हुये हैं।

इस कारोबार के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का उद्देश्य, अन्ततः इसका स्वामित्व अपने हाथ में लेना है और यथा संभव इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु हम इस सम्पूर्ण कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा करना चाहते हैं। हां इसे पूरा करने से पूर्व हमें इसके सभी पहलुओं का सूक्ष्म अध्ययन करना होगा।

कुछ सदस्यों का विचार है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाये, परन्तु अभी मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। जब हम स्वामित्व लेने से सम्बन्धित पूर्ण विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो उस समय निश्चय ही इसे प्रवर समिति को भेजना पड़ेगा। अतः मुझे आशा है कि बिना अधिक विवाद से यह विधेयक स्वीकृत कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण होने तक लोकहित में उस कारबार का प्रबन्ध ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इसे प्रवर समिति के भेजने के सम्बन्ध में श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक प्रस्ताव की सूचना दी है। परन्तु वह उपस्थित नहीं हैं। अतः यह प्रस्ताव पेश नहीं किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मौखिक रूप से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सरकार ने यह बताया है कि जनता की लगातार मांग के फलस्वरूप ही वह बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध कार्य अपने हाथ में ले रही है। यद्यपि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं परन्तु फिर भी सरकार के कार्य से हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने दिल से कार्यवाही नहीं की। इस सम्बन्ध में हमारी यह मांग है कि सम्पूर्ण बीमा कार्य का सभी पहलुओं से राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इसके लिए इस सरकार से यह मांग भी करते हैं कि वह इस कार्य के लिए कोई अवधि निर्धारित करे जिसमें कि उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सके।

प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 6 में मुआवजे के भुगतान के बारे में जो कुछ कहा गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं यह किसी प्रकार आवश्यक नहीं समझता कि प्रबन्ध को हाथ में लेने के लिए मुआवजा देने के लिए वर्तमान संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 31ए (1) (ख) में इससे सम्बद्ध उपबन्ध उपलब्ध है और वह अपने आप में पूर्णतया स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म. प. पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम पुकारा गया था, परन्तु आप उपस्थित नहीं थे ।

हर कार्य उचित समय पर किया जाता है । उस समय अगर इसे पेश नहीं किया गया तो अब नहीं किया जा सकता । आप प्रक्रिया से भली-भांति अवगत हैं । मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश कर चुके हैं । अब कुछ भी करना सम्भव नहीं हे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मंत्री महोदय का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) (ख) के उपबधों की ओर आकृष्ट कर रहा था । सरकार जब साधारण बीमे के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना चाहती है या उसने इसके राष्ट्रीयकरण का निर्णय कर लिया और इस सम्बन्ध में ऐसा विधेयक पास किया गया है जिसमें कि मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो ऐसे विधेयक को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती यद्यपि यह कहा गया है कि इस प्रकार का विधेयक अनुच्छेद 19 या 31 के उपबन्धों के विपरीत है परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था संविधान संशोधन (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत की जा चुकी है । अतः जैसा कि मंत्री महोदय ने विधेयक को पेश करते समय कहा है कि साधारण बीमें का राष्ट्रीयकरण लोक हित के लिए किया जा रहा है, तो मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अभी सरकार व्दारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाई है और इसीलिये उसे आम जनता के निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं तथा डबलरोटी आदि पर कर लगाना पड़ा है । परन्तु केवल इन व्यापारिक संस्थाओं का कार्य अपने हाथ में लेने के प्रयोजन से, उन्हें 33 लाख रुपये प्रतिमास देने के लिए कानून बनाया जाना, देश के सर्वसाधारण लोगों को केवल धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या खण्ड 6 का लोप करने और किसी निश्चित

अवधि के लिए बीमा कारोबार का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए सरकार कोई संशोधन पेश करेगी ताकि किसी प्रकार का मुआवजा न देना पड़े।

इस विधेयक में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मुआवजे का यह धन किस उद्देश्य से दिया जायेगा ? उस धन का उपयोग किस प्रकार से किया जायेगा ? हमें इस बात का सही ज्ञान होना चाहिये कि धन का सही उपयोग करने के लिये क्या उपबन्ध किये गये हैं। हमारा विचार है कि विधेयक में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि यदि बाद में बीमा कम्पनी द्वारा धन के सही उपयोग के बारे में अधीनस्थ विधान अथवा नियम बनाने वाली शक्ति के अध्ययन से कोई प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग को चुनौति दी जा सके। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को इस पहलू पर पुनः विचार करना चाहिये।

माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि ऑरिएन्टल गैस कम्पनी को पश्चिम बंगाल सरकार ने 1961 में अपने अधिकार में ले लिया गया था। इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के फलस्वरूप सरकार को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ा था। कलकत्ता में जब ट्रामवेज को सरकार ने अपने हाथ में लिया था तो भी किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया था परन्तु हमें समझ नहीं आती कि सरकार इस मामले में 33 लाख रुपया महीना बड़े-बड़े व्यापारियों को क्यों देना चाहती है। इस प्रकार के मुआवजे का संवैधानिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं केवल दो और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रथम तो यह कि यह प्रबन्ध बाकी कब तक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्धकों के हाथ में आ जायेगा ? जब तक साधारण बीमे की पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर दिया जायेगा। तब तक राष्ट्रीयकरण से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है।

वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि साधारण बीमा से उपलब्ध होने वाले सभी संसाधनों का उपयोग बीमे का कार्यक्षेत्र बढाने के लिए किया जाना चाहिये। हमें बेरोजगारी जैसी सामान्य सामाजिक समस्याओं को भी बीमे के अन्तर्गत स्थान देना होगा ताकि इस से जन साधारण को लाभ दे सके।

अब मैं रोजगार के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सरकार को इन बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा के लिए उचित शर्तें निर्धारित करनी चाहिये। ये बीमा कम्पनियां कदाचारों से ग्रस्त थीं। हमें आशा है कि भविष्य में इन कदाचारों का दमन किया जावेगा।

यदि बीमा कम्पनियों को सीमित अवधि के लिये नहीं लिया जाता तो मुआवजा देना पड़ेगा अन्यथा अदालत इस कानून को असंवैधानिक घोषित करेगी। चूंकि हम बीमा कम्पनियों के प्रबंध को स्थायी रूप से अपने हाथ में ले रहे हैं, इस लिये मुआवजा देना पड़ेगा।

बीमा कम्पनियों को चलाने के लिये आज हमारे पास प्रशिक्षित लोग नहीं है। अतः हमें मौजूदा कर्मचारियों द्वारा ही काम चलाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव हैं। बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को इसके प्रबन्ध में स्थान दिया जावे। पालिसी-होल्डरों को भी बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज

में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस आशय की एक धारा भी जोड़ेंगे कि बीमा कम्पनियां राज्य सरकारों को अपने बजट का घाटा पूरा करने के लिये ऋण नहीं देंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : सामान्य बीमे के प्रबन्ध का राष्ट्रीयकरण करने के लिये मैं सरकार को बधायी देता हूं। लेकिन विधेयक में उल्लेखित मुग्रावजे के शब्द पर मुझे आपत्ति है। किसी भी संस्था के प्रबंध को हाथ में लेने पर मुग्रावजा नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि शायद सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से भय खा रही है। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वह सब विफल करने का प्रयत्न करता है जो कुछ हम करते हैं। यह भय निराधार है। उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिये।

हमने न्यू एशियाटिक रूबी जनरल बीमा कम्पनियों के लेखों की जांच के लिये कई बार ग्रावाज उठाई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। हम वित्त मंत्री से चाहेंगे कि वे इन दो कंपनियों के लेखों की लेखा परिक्षण रिपोर्टों को सभा पटल पर रखें।

हम उन्हीं लोगों को संरक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे। इससे बढ़कर ग्राश्चर्यजनक बात ग्रौर क्या हो सकती है। यदि ऐसे लोगों को संरक्षक नियुक्त किया गया तो लोग राष्ट्रीयकरण से विश्वास खो बैठेंगे जहां तक मुआवजा देने या न देने का प्रश्न है, इस बारे काफी मदभेद हैं। मेरा ग्राग्रह है कि उस प्रश्न को महान्यायवादी के परामर्श के लिये भेजा जाये।

मैं विधि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने प्रति मास 33 लाख रु० मुग्रावजे के बारे किसी से कानूनी राय ली हैं ग्रौर अगर ली है, तो किन विधि-अधिकारियों की राय ली है।

इन राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों में 34,000 कर्मचारी हैं। कई विवाद निपटाने के लिये है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कोई ऐसा हल ढूंढें जिससे इन विवादों को निपटाया जा सके। बीमा कम्पनियों के इन कर्मचारियो के हितों की रक्षा की जाये तथा इनकी नौकरियां कायम रखी जायें जिस प्रकार बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकरण के बाद अपना सहयोग दिया। मुझे आशा है कि बीमा कम्पनियों के कर्मचारी भी राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रपना वैसा ही सहयोग देंगे। अतः वहाँ एक कलकत्ता क्लेम्ज ब्यूरो नामक एक गैर सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट 1923 के ग्रधीन बीमा कम्पनियों की ओर से दावों का निपटारा करना हैं। इस ब्यूरो में 75 कर्मचारियों को बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण पर नौकरियों में खपाये। राष्ट्रीयकरण का शिकार कोई न बने।

श्री विक्रम चन्द महाजन (कांगड़ा) : इन बीमा कम्पनियों की राशि का उपयोग पहले कुछ ही लोगों के लाभ के लिये किया जाता था जिसका उपयोग ग्रब देश के विकास कार्यों के लिये होगा। इन कर्मचारियों का नीति निर्माण संस्था में होना ग्रनिवार्य है और मुझे ग्राशा है कि मंत्री महोदय इस सुझाव की ग्रोर ध्यान देंगे।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा होता हूं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बीमा कम्पनियों के प्रबंधकों को संरक्षक के रूप में पुनः नियुक्त करने का विरोध किया है। मेरे विचार में सरकार का यह निर्णय उचित है क्योंकि बीमा कम्पनियों के प्रबंधक इस कार्य के विशेषज्ञ हैं।

सामान्य बीमा राज्य के एक उद्योग की तरह है। यह एक व्यापार है जिसके प्रबंध के लिये उच्च स्तर की विशेषज्ञता चाहिये। सामान्य बीमा कम्पनियां बीमा करके उद्योगों की सेवा कर रहा है जिसे बीमा कम्पनियों को अपने को भी लाभ पहुंचा है। राष्ट्रीयकरण के बाद यह कार्य जारी रखा जाना चाहिये।

यह बीमा कम्पनियां गारंटी पालिसियाँ भी जारी करती आ रही हैं जिसे राष्ट्रीयकरण के बाद और अधिक बढ़ाया जाना चाहिये। जहां तक मुआवजा दिये जाने का प्रश्न है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंडुका) : मैं विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा होता हूं क्योंकि मेरे विचार में यह कार्य अनावश्यक है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई उद्देश्य पूरा होता है।

सामान्य बीमे का उद्देश्य व्यापार, उद्योग, दुर्घटनाओं के जोखिम के घाटे को पूरा करना है। यह एक प्रकार का व्यापार ही है।

वित्त मंत्री का कहना है कि इससे बहुत ही कम लाभ होता है, फिर भी इसका इतना विरोध क्यों। साधारण बीमें में कर्मचारियों को अपने विवेक से और अपनी कार्यपटुता से कार्य करना पड़ता है और कमीशन आदि देकर बीमा कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार वे जोखिम उठाते हैं। मेरा कहना यह है कि यह अनावश्यक है और इस जोखिम से बचा जा सकता है।

यह कहा गया है कि इसमें एक खण्ड जोड़ कर राज्य सरकारों को ऋण आदि देने की मनाही कर दी जानी चाहिए। इसका राज्य सरकारों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को लेकर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच जो असंतोष है इससे उसमें और वृद्धि होगी। अतः इस प्रकार की एक परिषद बनाई जाये जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि हों।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): For the accumulation of capital, the capitalists want banks and public for putting money in equity and preferencial shares, general insurance and media of advertizement. So if we nationalize the general insurance it is only one step forward towards socialistic setup.

Shri Patel says that this is the duty of the Government to give employment, to see the welfare work but I think to earn profit is the duty of the capitalists only. Nationalization of general insurance prevents these corrupt capitalists from getting the payment of unlawful claims.

You are committed for nationalization. So far general insurance is consentrated only upto urban area. Efforts should be made to expand it in the country side also, so that the farmers may have the insurance of their crops against drought and floods.

Nationalization of general insurance will create the sense of certainty among the public. Public will come to know the importance of general insurance as they have understood the importance of life insurance.

It has been said that the custodian of these companies are the same persons who were looking after them previously. Appointing them as custodians, the idea is to try them.

If they are proved able they will remain there otherwise not. Our various Parliamentary Committees will keep an eye on the working of these companies, and no body will be able to work arbitrarily. Thus these companies will begin to earn profit.

Now there is no question of compensation, some way out should be found with a view to minimise the amount of compensation, so that the main idea behind the nationalization is not lost. They should be paid only 13 or 14 crores. Why compensation, when you are nationalising them for the benefit of the public? But there is provision in the constitution and as such it is to be paid. We should make amendments in the Constitution.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : It is correct that there is very insignificant profit from general insurance and as such it is not profitable to nationalize it. But idea behind nationalizing the general insurance is to expand its limited scope. We want that people from all walks of life may get benefits. If its scope even after nationalization remains limited upto industries and trade, it will be a very disappointing state of affair.

While nationalizing general insurance no compensation should be paid at all. Arrangements for that should be made. The judgement of Supreme Court will have to be changed.

This step of nationalising the general insurance will save a lot of foreign exchange.

I appreciate the formation of four Corporations for general insurance. This will create a spirit of Competition among them.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : चुनाव घोषणा पत्र राष्ट्रीयकरण करना कांग्रेस का एक मुख्य मुद्दा होने के कारण केवल राजनीतिक कारणों से, न कि आर्थिक कारणों से साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया है ।

इस प्रश्न का हल सोचते समय हमें आर्थिक मुद्दे को सामने रखना चाहिए । हमें यह देखना चाहिए कि इससे जन साधारण को क्या लाभ होता है । राष्ट्रीयकरण सभी आर्थिक समस्याओं का हल नहीं है । तथा यह धारणा भी गलत हैं कि हम राष्ट्रीयकरण या सरकारी क्षेत्र के विकास के विरुद्ध हैं ।

साधारण बीमे के राष्ट्रीयकरण की पुष्टि में एक तर्क यह दिया गया कि इससे सरकार को अधिक धन मिलेगा । यह भी कहा गया कि इससे देश में विद्यमान बेरोजगारी समाप्त करने में मदद मिलेगी । हमने पीछले साल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बताइए इस बीच कितनी बेकारी अथवा गरीबी दूर हुई ?

साधारण बीमे से प्रतिवर्ष केवल 2.5 करोड़ रुपये का लाभ होता है । अब राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की क्या गारन्टी है कि इतना लाभ भी होता ही रहेगा, क्योंकि हम अन्य सरकारी उपक्रमों की हालत जानते ही हैं ।

एक तर्क यह दिया गया कि निजी क्षेत्र में साधारण बीमे में बड़ा घोटाला था, पर सरकारी क्षेत्र में यह अब नहीं होगा इस बात की भी क्या गारन्टी है । बल्कि हो सकता है यह और बढ़े ।

तीसरे यह भी कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में कार्य तेजी से होगा । इस संबंध में आप सब लोग जानते ही हैं कि सरकारी क्षेत्र में कार्य कैसा होता है और यह भी जानते है कि बैंको आदि के राष्ट्रीयकरण से सामान्य जनता को कितना लाभ हुआ है ?

सामान्य बीमा एक जटिल उद्योग है । इसमें वैयक्तिक विवेक तथा तत्परता की अत्यंत आवश्यकता है । यदि इससे हमारे अधिकारियों ने बचने का प्रयत्न किया तो यह निश्चित ही घाटे में जाएगा ।

जीवन बीमा निगम के संबंध में आपको जानकारी होगी कि दावों का किस प्रकार भुगतान किया जाता है तथा पालिसी धारियों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सुदृढ़ और व्यवस्थित आर्थिक ढांचे के लिए विकेन्द्रिकरण पर आपसी प्रतियोगिता होना आवश्यक है । यदि साधारण बीमे को आप सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं तो इस बात को आपको ध्यान मे रखना ही पड़ेगा।

मेरा यह सुझाव है कि यदि साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उसके निदेशक मण्डल में कर्मचारियों, बीमा करवाने वालों आदि अर्थशास्त्रीयो के प्रतिनिधि होने चाहिये ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : जब भी राष्ट्रीयकरण जैसे उन्नतिशील कदम उठाए जाते हैं ; उनका विरोध किया जाता है । जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय पर भी यही हुआ था। पर हम देखते हैं कि इस बीच उसके कार्य में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। उसका प्रवेश सभी क्षेत्रों में है फिर वह चाहें गाव हों अथवा छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देना हो ।

यह कहा गया है कि इसमें सरकार को बहुत कम लाभ होगा। पर हम इस लाभ को अपने क्षेत्र कि फसलों, मवेशियों तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ा कर, बढ़ा सकते हैं। अन्य बातों के समान इस सम्बन्ध में भी हमें अन्य देशों का अनुसरण करना चाहिए कि वे लोग इन क्षेत्र में कैसे-कैसे कार्य कर रहे हैं ।

कस्टोडियनों की नियुत्ती का विरोध किया गया है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि साधारण बीमा एक तकनीकी मामला है तथा कोई भी अप्रशिक्षित व्यक्ति उसे भली प्रकार नहीं देख सकता, मुझे इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं साधारण बीमे का एजेन्ट रह चुका हूँ।

अभी तक साधारण बीमा शहरों अथवा बड़े कस्बों तक ही सीमित है । हमें इसके क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए तथा गाँवों मे भी, बिना अधिक किस्त लिए लागू करना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब सम्पूर्ण विधेयक पेश किया जायेगा तब फसल मवेशियों आदि के बीमे की बात उसमें जोड़ दी जानी चाहिये। किसानों को अब तक इस सुविधा से महरूम रखा गया है। आशा है उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की जायेगी । पुराने लोगों के अनुभव का लाभ उठाया जाना चाहिए और उनकी सेवा से लाभ उठाने का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

श्री कादर (बम्बई-मध्य दक्षिण): मुआवजे के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इसके लिये हमें संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिए, जिससे कि मुआवजा बाजार भाव पर न देकर देश के हित को देखते हुए दिया जाय ।

निजी क्षेत्र में साधारण बीमें में कोई भी एजेन्ट अथवा फील्ड आफिसर बना दिया जाता है। कुछ निहित स्वार्थों के कारण लोगों को इन पदों पर लगा दिया जाता है और वे गलत तरीके से दावों का

रुपया दिलवा कर कमीशन कमाते है। अतः इस प्रकार के लोगों को राष्ट्रीयकरण के बाद न रखा जाये। केवल सही और ईमानदार लोगों को ही काम करने की अनुमति दी जाये।

जीवन बीमा और साधारण बीमा में बड़ा अन्तर है। साधारण बीमे में जोखिम अधिक है तथा उसका सही सही अन्दाज लगाने के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो साधारण बीमा पूर्णतः समाप्त हो जायेगा। अतः इसके लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है, जो हानि का सही सही मूल्यांकन कर सकें।

जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण समग्र समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। जीवन बीमा निगम ने न केवल अपनी आय में वृद्धि की है बल्कि प्रीमियम की दरों में भी कमी कर दी है ताकि लोग आसानी से बीमा करा सकें। हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि इस सामान्य बीमा योजना से समाज का हित हो और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधयेक का स्वागत करता हूँ और वित्त मंत्री को यह सफल कदम उठाने के लिए बधाई देता हूँ !

श्री सेझियान (कुम्बकोम) : स्वतंत्र और जनसंघ दल के कुछ सदस्यों ने इस विधेयक की आलोचना की है, फिर भी मूलतः उन्होंने विधेयक का विरोध नहीं किया है।

गैर सरकारी बीमा उपक्रम जनता को धोखे में डाल रहा है। प्रश्न राशि का नहीं बल्कि सिद्धान्त का है और हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इस सिद्धान्त का पालन किया था। बैंकिंग कार्य या बीमा कार्य में जो राशि अन्तर्ग्रत होती है वह वस्तुतः व्यवस्थापक की न होकर आम लोगों की होती है और यह राशि प्रीमियम के माध्यम से एकत्र की जाती है। यदि व्यवस्थापक जनता की राशि का पूरी तरह ध्यान रखें तो कोई चिन्ता नहीं किन्तु यदि उस राशि का दुरूपयोग किया जाता हैं तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस कार्य को अपने हाथ में ले। इसी कारण सरकार ने सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है।

कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण और विलयन करके सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि पुनर्बीमा के रूप में जो राशि विदेशों में चली जाती थी अब नहीं जाएगी। 1968 में बीमें की कुल राशि 17 करोड़ 43 लाख थी जिसमें 8 करोड़ 11 लाख की राशि पुनर्बीमा के रूप में विदेश में चली गई। एक विस्तृत निगम बनाने से यह लाभ होगा एक पुनर्बीमा के रूप में जाने वाली राशि की मात्रा कम हो जाएगी और भारतीय मुद्रा का विदेशों में जाना समाप्त हो जाएगा।

माननीय सदस्यों का सुझाव है कि हमें इस मामले में पूरी सावधानी बरतनी होगी कि केवल वही अभिरक्षक नियुक्त किए जाएं जिन्हे इस कार्य का पूरा पूरा ज्ञान हो। परन्तु मेरे विचार में केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। जीवन बीमा निगम ठीक रूप से कार्य नहीं चला सका। काफी अरसे तक हम उन लोगो पर निर्भर रहे जिनका बीमा राष्ट्रीयकरण अथवा उद्योग राष्ट्रीयकरण में कोई विश्वास नहीं था। जब तक ऐसे अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते जिनकी राष्ट्रीयकरण में आस्था हो तब तक वे अपने पदों पर रह कर सरकार को लाभ नहीं पहुँचा सकते।

कर्मचारियों के मन में यह आशंका बनी हुई है कि अतिरिक्त कर्मचारियों की छटनी कर दी जाएगी । मैं स्वयं यह नहीं चाहता कि सरकारी उपक्रम में अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाएं फिर भी सरकार को यह ग्यारंटी देनी चाहिए कि विशिष्ट अवधि के उपरान्त उनको काम पर वापिस ले लिया जाएगा । इस सम्बन्ध में सरकार उन लोगों को ग्यारंटी दे सकती है जिनका कुल वेतन 1000 रुपये से कम है । इससे उपर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ग्यारंटी नहीं दी जा सकती ।

अनुमान लगाया गया है कि मुआवजे की राशि 33 लाख होगी । मेरे विचार में यदि इस राशि को घटाना संभव हो तो ऐसा शीघ्र अति शीघ्र किया जाएं । ऐसा कहा गया है कि विधेयक को तैयार करने और पेश करने में कुछ समय लगेगा अतः यह आवश्यक है कि सदन पहले से यह आश्वासन दे कि विधेयक को पारित किया जाएगा । परन्तु मेरे विचार में यह उचित नहीं है । गत बीस वर्षों से सरकार और विधि मंत्रालय इस कार्य में संलग्न हैं और यदि उनसे जानकारी माँगी जाए तो वह सामान्य बीमा राष्ट्रीयकरण के अनेकों उपाय बता सकते हैं । अतः मेरे विचार में विधेयक को शीघ्र पेश करके अविलम्ब पारित किया जाए, यदि इन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए साधारण बीमा विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए तो 33 लाख रुपये की मुआवजे की राशि को छोड़ा जा सकता है ।

यदि हम राष्ट्रीयकृत क्षेत्र और सामान्य बीमा पर पूर्ण गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे तो फसल बीमा, पशु बीमा और सामान्य रूप से कार्य क्षेत्र द्वारा कृषि जन्य उत्पादों को लाभ मिलने में विलम्ब होगा ।

यह बहुत उलझा हुआ और नाजुक प्रश्न है । अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का समाधान सावधानीपूर्वक करें । मुझे आशा है कि इस उपक्रम में केवल अनुभव प्राप्त अधिकारी नियुक्त किये जाएं ताकि वे सुचारू रूप से कार्य कर सके ।

विधेयक में मुआवजे की राशि 33 लाख रुपये प्रति माह रखी गई है । मैं इससे सहमत नहीं । यदि सरकार इन कम्पनियों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लेतो ? तो इस राशि पर मुझे आपत्ति न होती किन्तु जब सरकार उन कम्पनियो का स्वामित्त्व अपने हाथ में नहीं ले रही है, तो इस राशि को घटाकर एक चौथाई किया जा सकता है ।

बीमा योजना का राष्ट्रीयकरण देश के लिए अत्यावश्यक है आशा है सरकार शीघ्र ही ऐसी योजना बनाएगी जिससे बीमा योजना संभव हो सके और किसानों को फसल नष्ट होने पर क्षति पूर्ति के रूप में राशि मिल सके ।

इन्ही शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : There is general awareness for nationalisation and social control after the nationalisation of banks two years ago. Life insurance was nationalised 15 years back and today we are proceeding further with the general insurance. Nationalisation of general insurance was one of the itmes in ten point programme of Congress party.

It is good that general insurance has been nationalised. It is a step in the right direction. This measure will benefit the common man as it is his money which is invested in the companies and this money should be used for the good of the general public.

{ श्री सेझियान पीठासीन हुए }
{ **Shri Sezhian** *in the Chair* }

As soon as we came to know that General Insurance was going to be nationalised, those in the business started fabricating accounts to magnify expenditure. In 1967 the actual amount of expenditure was 31.1 crores but it was represented to be Rs. 35.3 crores. Business in general insurance secured by Indian Companies amounts to 108 crores a year while that secured by foreign companies amounts to 23 crores. It was, therefore, considered necessary that this business should go to the common man.

Almost all are agreed that crop insurance is very necessary for agriculturists in our country. Farmers have to depend on rain. Each year crops worth crores of rupees are lost due to damage by fire or floods. It should be stopped and insurance cover should be given to them.

Malpractice are rampant in this business. The Government should seriously probe into this and check the accounts which have been fabricated before nationalisation.

More attention should be paid to the rural areas which need insurance cover for crops and houses. Government should see to it and provide adequate relief.

प्रो एस० एल० सक्सेना (महाराज गंज): सभापति महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार अपने उद्देश्य में सफल होगी। दुर्भाग्यवश प्रायः सभी राष्ट्रीय संस्थाएं घाटे पर चल रही हैं। अभी कल ही बजट चर्चा के उत्तर में रेल मंत्री ने, रेल विभाग में हो रही हानी का उल्लेख किया है। आशा है सामान्य बीमे को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पडेगा। यह बहुत नाजुक मसला है। अतः मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय इस विषय की ओर विशेष ध्यान दे।

मैंने इस सम्बन्ध में सोवियत संघ के योजना आयोग के अध्यक्ष से भी एक बार पूछा था कि हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत संस्थाओं के घाटे पर चलने का कारण क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि संभवतः यह इस कारण है कि आपके यहाँ विशषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। आप सारा काम आई० ए० एस० और आई० सी० एस० अधिकारियों को सौंप देते हैं जिन्हें विषय का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता। मैं आशा करता हूँ मंत्री महोदय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे ताकि कार्य उचित ढंग से हो सके।

विधेयक में मुआवजे की राशि अत्यधिक रखी गई है। मैं इस से सहमत नहीं। 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देना उचित नही जान पड़ता। यह राशि घटाकर एक चौथाई कर देनी चाहिए।

फसल और पशु बीमा देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ सरकार इसके लिए कोई न कोई योजना अवश्य बनाएगी ताकि वर्षा पर निर्भर रहने वाले कृषकों को फसल नष्ट

होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन दिया जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कृषकों को कुछ लाभ नहीं पहुँचा किन्तु सामान्य बीमे से निश्चय ही कृषकों को लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Kale (Jalna): Mr. Chairman, Sir, I am here to support the Bill. Several hon. Members have expressed their opinion about the Bill and I would like to restrict myself only to Section 15 of the Bill.

It would be wrong to exclude crop insurance from the perview of the Bill. The minister should note that it will achieve eighty percent of our population who lives in villages. I therefore, strongly feel that crop insurance must be included in the Bill.

There are general Cooperative insurance societies in Maharashtra. These socities are as good as public sector Companies. I feel that these Companies should be exempted from the perview of the Bill.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : सभापति महोदय, मैं सामान्य बीमा विधेयक का स्वागत करता हूं। कांग्रेस दल के वर्तमान नेतृत्व में चुनावों के दौरान दिये गये आश्वासनों को पूरा करने की दिशा में वर्तमान सरकार का यह पहला कदम है।

मेरे कुछ स्वतन्त्र दल के साथियों तथा कुछ जनसंघी भाईयों ने इस विधेयक की आलोचना की हैं। वैसे उनकी आलोचना ठोस नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय पर भी इन लोगों ने इसी प्रकार की आलोचना की थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की आलोचना की है। निसंदेह सामान्य बीमा कम्पनियों को, जो आजकल जनता का शोषण कर रही हैं. उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिये परन्तु संविधान में निहित कुछ उपबंध ही इसके रास्ते में रूकावट पैदा करते है। अतः फिलहाल वैधानिक जटिलताओं और कठिनाइयों को रोकने के लिए सरकार का किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का विचार उचित ही है।

मुझें आशा है कि समाजवाद की दिशा की ओर बढने वाले प्रगतिशील लम्बे पथ की ओर यह हमारा महत्वपूर्ण कदम होगा और यह विधेयक उचित समय पर विस्तृत रूप से अधिनियमित किया जायेगा।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Mr. Chairman, Sir. I must congratulate Shri Chavan and Shri Ganesh for presenting this Bill. This bill is the first step in the direction in which we want to take our Country.

It is really good that foreign insurance Companies have been brought within the ambit of this Bill. These insurance Companies have earned huge profit by utilizing the public money and there is hardly any need for paying any compensation to them. But as there are certain provisions relating to right to property in the Constitution, that is a provision for Compensation has been made by the Government.

I suggest that the representatives of the trade unions should be included in the management of these companies. In a way, it will help in the proper functioning of these Companies.

Like Ruby Insurance Company, there are several other Companies which have been indulging in bungling. I strongly feel that a Commission of enquiry should be set up to examine into the affairs of such companies. At the same time the disparity between the salary of big and small companies' employees, must be narrowed down.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुवा हूं और मैं इस साहसपूर्ण कार्य के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

मेरे कुछ मित्रों ने विधेयक का विरोध भी किया है परन्तु उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, वे तर्क कही पुराने हैं कि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं की कार्य-कुशलता कम हो जाती है। उनका यह दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक और निराशावादी सा है।

आज चारो तरफ राष्ट्रीयकरण हो रहा है। जीवन बीमा का राष्ट्रीकरण आज से 15 वर्ष पूर्व हो गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। आज सरकारी क्षेत्र में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जा चुकी है और इन पांच वर्षों के दौरान हमारा लक्ष्य इसे 6,400 करोड़ तक बढ़ाने का है। अतः सम्पूर्ण ऋण व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर, उसे हम सरकारी क्षेत्र में लाना चाहते हैं। सामान्य बीमा भी इसी का एक अंग है। आज हमारा उद्देश्य यह है कि सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पति पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का एकाधिकार न हो। वह सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पति है और सम्पूर्ण राष्ट्र को उसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिये। यही राष्ट्रीयकरण का प्रमुख लक्ष्य है।

हमारे समक्ष जो सामान्य बीमा कम्पनियां है, उनका रिकार्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। आज कितना औद्योगिक विस्तार हो गया है। सभी क्षेत्रों में भारी प्रगति हुई है। हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है हमारी राष्ट्रीय गतिविधियों में वृद्धि हुई है, किन्तु क्या सामान्य बीमा कम्पनियां इसी गति से बढ़ी है ? 1950 में इनकी आय 20 करोड़ थी तो 1968 में वह केवल 112 करोड़ की हुई है। यह आय कहीं अधिक होनी चाहिये थी।

आज देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये यह स्पष्ट है कि सामान्य बीमा की परम्परागत और रूढ़िगत प्रणाली आज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण के विभिन्न वर्गों को बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सके। क्या गैर-सरकारी क्षेत्र इस प्रकार के चेतावनीपूर्ण कार्यों को कर सकेगा; इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कहा जा सकता है कि इस विधान की प्रतीक्षा बहुत लम्बे समय से की जा रही थी।

जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मैं श्री शशि भूषण के साथ इस बात पर सहमत हूं कि इन तथ्यों कि उपेक्षा नहीं कर सकते। सदन में इस बात के प्रति भारी असंतोष व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि हमें संविधान के अनुच्छेद में उचित परिवर्तन करना चाहिये

ताकि राष्ट्रीयकरण के समय हमें मुआवजा न देना पड़े। परन्तु जब तक यह सब कुछ नहीं किया जाता तब तक तथ्यों की उपेक्षा करना उचित नहीं है । कई बार उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बताया जा चुका है कि वर्तमान संविधान के होते हुए कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान तो करना ही पड़ेगा । हां, इतना अवश्य कि हमें संविधान में प्रस्तावित संशोधन शीघ्र करना चाहिए । देश राष्ट्रीयकरण चाहता है और इसके लिए पहला कदम प्रबन्ध को हाथ में लेने का है जिसे हम उठा चुके हैं और जैसा कि वित्तमंत्री महोदय ने कहा, हम इस दिशा में दूसरा कदम अर्थात् राष्ट्रीयकरण का भी शीघ्र ही उठाने वाले हैं।

निगमों को स्थापित करने का विचार एक अच्छा विचार है और हमारा विचार है कि इन की स्थापना तुरन्त की जानी चाहिये । इस प्रकार के निगमों से एक पारस्परिक स्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी और प्रत्येक निगम दूसरे से अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करेगा । मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बिल की इतनी देर से प्रतीक्षा की जा रही थी, पेश किया गया है । मैं इस का समर्थन करता हूं।

श्री यशवंत राव चव्हाण : सभापति महोदय, एक सदस्य को छोड़ कर अन्य सभी सदस्यों ने विधेयक का पूरा पूरा समर्थन किया है । माननीय श्री चटर्जी महोदय ने अनुच्छेद ३१ क (1) (ख) का उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद के एक उपबन्ध में कहा गया है कि राज्य लोक हित के लिए या समुचित प्रबन्ध करने के लिए किसी भी समिति के प्रबन्ध को सीमित अवधि के लिए अपने हाथ में लिया जा सकता है और अन्ततोगत्वा उसका स्वामित्व भी लिया जा सकता है । प्रस्तुत उपबन्ध का एक अपना इतिहास है । अनुच्छेद ३१ (क) जोड़ने के बाद ही जीवन बीमा विधेयक पेश किया गया था और अब इसी के अनुरूप ही, यह विधेयक बनाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

यही कारण है कि पहले हमने प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया है और बाद में इस का स्वामित्व हाथ में लेंगे ।

हमें इस समय संविधान के अनुसार कार्य करना होगा । संविधान में जो व्यवस्था की गयी या उसकी जो व्यवस्था की गई है हम उससे अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते । इस विधान को पारित करते समय हम तथ्यों की अवहेलना नहीं कर सकते । हां, यह अलग बात है कि कौन इन तथ्यों को मानता है और कौन नहीं । राजनैतिक तौर से यह कहना कि संविधान के संशोधन के प्रश्न पर विचार करना नितांत आवश्यक है, ठीक ही है । जहां तक सम्पति अधिकार का सम्बन्ध है, हम इसे पूर्ण रूप से विनियमित करना चाहते हैं, ताकि धन सम्पति में कोई विषमता न रहे उसका केन्द्रीयकरण न हो सके । अतः इस समय हमें वर्तमान वैधानिक स्थिति पर, जैसी कि उसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय में की गई है, विचार करना चाहिये ।

माननीय श्री बनर्जी ने उस कानून का उल्लेख किया है जो पश्चिमी बंगाल सरकार ने ट्राम सेवा को लेते समय पारित किया था । परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि उन्होंने ट्राम सेवा को

अपने हाथ में लेते समय कहा था कि वह इसे केवल अनिश्चित अवधि के लिए अपने हाथ में ले रहे हैं। इसके साथ ही जिस विधान को उन्होंने पारित किया है, उसमें इस नियंत्रण को रद्द करने के लिए विधान सभा के अनुमोदन की इच्छा भी व्यक्त की है। परन्तु हमारा ऐसा कुछ करने का विचार नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

श्री यशवंत राव चव्हाण : परन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हां, हमने वह विधेयक पारित करवाने में आप की सहायता की थी, यद्यपि यह एक अलग बात है कि आप के साथ हमारा मत-भेद रहता है। यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रगतिवादी आर्थिक विचारधारा पर केवल आप ही का एकाधिकार नहीं है। आर्थिक--समस्याओं के लिए हमारी अपनी एक नीति है और हमें विश्वास है कि वह ठीक भी है और इसी से देश की समस्यायें सुलझाई जा सकती हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने क्लेमस ब्यूरो आदि के कर्मचारियों के प्रश्न को उठाया है। मैं इस सम्बन्ध में इस समय केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमें इस प्रश्न पर बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता हुई, तो हम इस सम्बन्ध में विरोधी दलों के सदस्यों से भी विचार विमर्श करेंगे। इस समय मैं इसके सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकता।

कुछ सदस्यों ने इस प्रश्न को भी उठाया है कि जिन लोगों की राष्ट्रीयकरण में कभी निष्ठा नहीं रही, उन लोगों को प्रबन्ध का काफी भार सौंपना कहां तक उचित है ? वस्तुतः हमें उन लोगों को इन संस्थाओं में नही रखना चाहिये क्योंकि वे राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध रहे हैं और इससे हमारे सारे कार्यों के बिगड़ने की संभावना है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अनुभव है और वह बीमे में पूर्ण विश्वास रखते हैं।

अतः अगर हम इन विशेषज्ञों का लाभ उठा सकें, तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। हां यदि इनमें कुछ लोग ऐसे हुये, जिनका पूर्व इतिहास ऐसा हुआ कि वह राष्ट्रीयकृत बीमें के विरूद्ध हुये और उनसे राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा के कार्यपालन में हानि होने की कोई संभावना हुई, तो हम निश्चय ही ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे। अब जो भी नियुक्तियां की जा रही हैं, वह केवल अस्थायी है। इसके सम्बन्ध में हमें सभी वर्गों के लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।

मैं श्री पटेल के तर्क का कोई उत्तर नहीं देना चाहता। उन्होंने ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में केवल अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। जब हम किसी का राष्ट्रीयकरण करते हैं, तो उसे समुचित रूप से नियन्त्रित करना ही व्यावहारिकता है। इसके बीच की अवधि में हमें बहुत साव-धान रहने की आवश्यकता है। आलोचना और आशंका के वातावरण में, जो कि हमारे देश में शक्तिशाली तत्वों द्वारा पैदा किया जा रहा है, अब जब कि हम राष्ट्रीयकरण का उत्तरदायित्व ले रहे हैं, तो इसे सफल बनाना भी हमारा कर्त्तव्य है। इस के सम्बन्ध में हमें जो भी सुझाव दिये गये हैं, हम उन सभी का स्वागत करेंगे परन्तु इसके साथ ही हम सभी लोगों सभी कर्मचारियों

और यहां तक कि उन लोगों का, जिन्होंने इसका विरोध किया है, उनके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सदन ने प्रस्तुत विधेयक का जो जोरदार समर्थन किया है, मैं उसके लिए सदन का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण होने तक लोकहित में उस कारबार का प्रबन्ध ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 17 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

"खंड 2 से 17 विधेयक में जोड दिये गये।

Clauses 2 to 17 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये।

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सामान्य बजट 1971–72–सामान्य चर्चा –जारी

GENERAL BUDGET 1971-72—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा की जाएगी ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए बजट के बारे में उनका दावा है कि यह बजट मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा सतारुढ़ कांग्रेस को दिए गए आदेश की पूर्ति करता है और यह आदेश समाजवाद और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक प्रगति के पक्ष में है । यह भी कहा गया है कि यह बजट समाजवाद की ओर नया कदम है ।

बजट को देखने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा लगाए गए करों से जनता पर बोझ पड़ा है और सरकार ने जनता से प्राप्त आदेश 'गरीबी हटाओ' की ऊपेक्षा की है । हमारा उद्देश्य आय विषमताओं को दूर करना है परन्तु इस वजह से आज विषमता में और अधिक वृद्धि हुई है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह बजट समाजवाद की ओर नया कदम है । इस बजट से जनता के हितों को आघात पहुँचेगा और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा । माननीय रेल मंत्री ने यात्री किराये और भाड़े में वृद्धि करके जनता पर और अधिक बोझ डाल दिया हैं । कुल 220 करोड़ रुपये के कर लगाए गए हैं । जिसमें से सम्पत्ति और आय पर लगने वाला कर केवल 27 करोड़ है और शेष राशि जनता से अप्रत्यक्ष कर के रूप में वसूल की जाएगी । कांग्रेस सरकार की नीति जनता पर बोझ डालना है और इसी कारण सरकार प्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता घटाकर अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता में वृद्धि कर रही है । मैं नीचे कुछ आंकड़े देता हूं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष करों को घटाकर अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई है :

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
1951	49. 9 प्रतिशत	50. 1 प्रतिशत
1955–56	39 ˙8 प्रतिशत	60. 2 प्रतिशत
1960–61	33. 5 प्रतिशत	66. 5 प्रतिशत
1965–66	27. 6 प्रतिशत	72. 4 प्रतिशत
1968–69	24. 6 प्रतिशत	75. 4 प्रतिशत
1970–71	19. 1 प्रतिशत	80. 9 प्रतिशत

प्रत्यक्ष करों में कमी का अर्थ एकाधिकार को प्रोत्साहन देना और जनता पर अधिक बोझ डालना है । यही कारण है कि गत 24 वर्षों में सम्पत्ति कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के पास इकट्ठी हो गई है और आय में विषमता और अधिक बढ गई है ।

करो के अधिक बोझ के कारण सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर नीचे गिर गया है।

मूल्यों में वृद्धि से भी जनता पर भारी बोझ पड़ा है । 1949 में मूल्य सूचकांक 100 था और सितम्बर, 1970 में यह बढ़कर 220 हो गया । मुद्रा-स्फीति के कारण 1970 में रुपये की क्रय शक्ति में 44 प्रतिशत की कमी हुई है । इस प्रकार गरीब जनता की जेब से पैसा निकालकर पूंजीपतियों की जेब में भरा जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है। यह सब सरकारी नीति का दोष है ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि बजट में सुझाये गए उपायों से मूल्यों में स्थिरता आएगी । लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अधिक कर लगाने से मूल्यों में वृद्धि होती है । जब भी मुद्रा-स्फीति होती हैं, मूल्यों में स्वयमेव वृद्धि हो जाती है । जब तक घाटे का बजट पेश किया जाता रहेगा और काले धन का बाजार गर्म रहेगा तब तक मूल्यों में वृद्धि को किसी भी रूप में रोका नहीं जा सकता।

220 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया गया है परन्तु मुझे आशंका है कि बंगला देश की ताजा स्थिति और शरणार्थियों के आगमन के कारण घाटे के बजट की राशि में और अधिक वृद्धि होगी । अतः माननीय मंत्री द्वारा बजट में सुझाए गए उपायों से मूल्यों में स्थिरता नहीं आ सकती ।

जिस प्रकार कर लगाए गए हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि निगमित क्षेत्र पर बहुत कम कर लगाया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि सरकार पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रखती है और यही पूंजीपति मूल्यों में वृद्धि कर जनता का शोषण करते हैं ।

सरकार ने नई लाइसैंस नीति का अनुसरण किया है जिससे बड़े-बड़े व्यापारियों को अधिक लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। 'दि इकनामिक टाइम्स' के गवेषणा ब्यूरो द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 422 कम्पनियों का विशुद्ध लाभ 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 162 करोड़ हो गया है जबकि उनकी बिक्री 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 311 करोड़ हो गई है । इससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण बड़े व्यापारी अधिक लाभ कमा रहे हैं । अतः यह कहना कि यह बजट समाजवाद की ओर नया कदम है, जनता को धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं । पूंजीवाद को बढ़ावा देकर समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती।

सरकार ने आशा व्यक्त की है कि नई लाइसेंस नीति से विषमता कम होगी । लेकिन यह नीति इतनी दोषपूर्ण है कि इससे बड़े व्यापारियों को अधिक लाभ कमाने का अवसर मिला है । सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई उपाय नहीं किए । जैसा कि 'इकानामिक सर्वे' में पृष्ठ 20, पैरा 65 में कहा गया हैं—"यद्यपि नई औद्योगिक लाइसेंसिग नीति के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी उद्योगों पर कुछ नियंत्रण रखा जा सकता है फिर भी यदि आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक हो तो इन नियंत्रणों को ढीला किया जा सकता है ।" अतः यह स्पष्ट है कि उद्योग-गृहों पर नियंत्रण नहीं लगाया गया है ।

हरित क्रांति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और कहा गया है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह अच्छी बात है । परन्तु देखना यह है कि खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए किये जा रहे

उपायों से किसको लाभ हो रहा है। 'इकानामिक रिव्यु सर्वे' में कहा गया है कि लाभ उन लोगों को हो रहा है जो पहले से ही धनाढ्य है और जिनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है। अतः स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों से विषमता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई भूमिहीन किसान है और उनका आर्थिक स्तर गिरा हुआ है।

यह बात बार बार दुहराई जाती है कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। परन्तु श्रमिकों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार 1952-64 के दौरान प्रति श्रमिक उत्पादन में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु इस अवधि में मजदूरों की वास्तविक आय प्रायः स्थिर ही रही है। अब भी यदि हम देखें तो पता चलेगा कि मूल्यों में वृद्धि होने के कारण वास्तविक आय में कमी हो गई है। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है और आज सरकार इसके दबाव में आकर निष्क्रिय हो गई है। सरकार ने वस्तुतः भारतीय अर्थ व्यवस्था को विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के पास गिरवी रख छोड़ा है। विदेशी ऋण इतनी अधिक मात्रा में ले लिया गया है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकती। 1950-51 में 32 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता ली गई और आज यह राशि बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये हो गई है। भारती मुद्रा के बहिर्गमन के कारण ही लोगों पर कमर-तोड़ कर लगाया जाता है। लाभ, ब्याज, लाभांश, रायल्टी आदि के रूप में अपार धन विदेशों में जा रहा है। अतः यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था समाजवाद के पथ पर अग्रसर हो रही है। अतः समाजवाद का नारा मात्र प्रवंचना है।

कर अपवंचन आगे से अधिक हो रहा है। 1970-71 में औद्योगिक गृहों द्वारा देय आय-कर की बकाया राशि 731 करोड़ रुपये थी। काले धन को समाप्त करने के लिए कारगर उपाय नहीं किये जा रहे। श्री वांचु की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रति वर्ष काले धन की कुल राशि 2 हजार करोड़ रूपये होती है। वांचु समिति ने इसको समानान्तर अर्थ व्यवस्था का नाम दिया था। लेकिन सरकार काले धन को समाप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही। जब तक काले धन का बाजार गर्म है तब तक मूल्यों में स्थिरता नहीं आ सकती और न ही आय की विषमताओं में कमी ही हो सकती है।

सारा धन कुछ धनी लोगों के हाथ में है और आम जनता गरीब होती जा रही है। हमारा आन्तरिक व्यापार सीमित होता जा रहा है और उद्योगों का विस्तार भी सीमित होता जा रहा है। इसलिए सरकार निर्यात पर बल दे रही है। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि कच्चा माल निर्यात किया जाए। परन्तु उसकी कमी के कारण संकट पैदा हो गया है। निर्यात मंडी में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए यह नारा लगाया जाता है कि उत्पादन लागत में कमी की जाए।

कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था विकासोन्मुखी है। यह सच है कि मंदी के बाद कुछ पुनरुत्थान हुआ है लेकिन सभी को पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह पुनरुत्थान कुछ ही समय के लिये होता है। मंदी के बाद पुनरुत्थान होना स्वाभाविक है परन्तु यदि अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन न किया जाए तो यह विकास घातक सिद्ध हो सकता है।

विश्व निर्यात करने वाले राष्ट्रों के बीच हमारा नाम सबसे नीचे है। 1960-61 में हमारा स्थान इन राष्ट्रों के बीच 15 वां था जबकि 1969 में गिरकर 23 पर आ गया। विकास तथा औद्योगिक उत्पादन के मामले में हमारी स्थिति विश्व भर में सबसे नीचे है। यह सचमुच लज्जाजनक बात है। हम बेरोजगारी तथा गरीबी से उक्त समय तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को परिवर्तित न कर दें। यह समाजवाद नहीं हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी समाजवाद नहीं है। यह पूंजीवादी नीतियों पर चलने वाला राज्य पूंजीवादी है। इसे समाजवाद कहना लोगों को धोखा देना है। वास्तविक समाजवाद पूंजीवाद को समाप्त करना है। उत्पादन के सभी साधनों को राज्य द्वारा अपने हाथ में लेना है तथा वितरण के साधनों को राज्य द्वारा अपने हाथ में लेना है। इस सरकार की नीतियों द्वारा औद्योगिक तथा ग्राम्य क्षेत्रों में अन्तर्विरोधों का पैदा होना स्वाभाविक ही है। चूंकि लोगों को रोजगार से हटाया जा रहा है, इस लिये समाज में संघर्ष जरुर बढ़ेंगे। आज ही 81 कपड़ा मिलों के बंद होने पर बहस हुई, जिससे 81 हजार लोग रोजगार से हाथ धो वैठे हैं।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बजट से अधिक बेरोजगारी बढ़ेगी, अधिक गरीबी बढ़ेगी। तथा अधिक कीमतें बढ़ेंगी। सामाजिक विषमता दूर करने, लोगों को रोजगार देने तथा गरीबी हटाने के लिये नीति में मूलभूत परिवर्तन लाना आवश्यक है।

भूमि सुधार के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इसमें कितनी रुकावटें डाली गयीं। विभिन्न विधान सभाओं द्वारा पास किये गये विधेयकों को कार्यान्वित नहीं किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की नीति पूंजीवादी वर्ग की नीति है तथा पूंजीवाद की रक्षा करने की नीति है। जब तक इसमें परिवर्तन न लाया जायेगा, उस समय तक बेरोजगारी तथा गरीबी का समाधान नहीं किया जा सकता। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सुझाव दूंगा कि सारी विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। सारे आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जावे। सभी औद्योगिक तथा वाणीज्यिक उपकमों के लाभ तथा सम्पत्ति की सीमा निश्चित की जाये। घाटे के बजट तैयार नहीं किये जायें। कर लगाने सम्बन्धी-कानून सख्त बनाये जायें।

लोगों के बीच विषमता तथा असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनकी बुनियादी जरुरतों को पूरा करने की जरुरत भी बढ़ती जा रही है। सत्तारूढ़ दल जन आन्दोलनों को कुचलने की ही जरुरत महसूस करता है और इसी लिये प्रतिवर्ष पुलिस तथा सी. आर. पी. का व्यय बढ़ता जा रहा है।

मैं इस बजट का पूर्णतः विरोध करता हूं।

श्री० ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : वर्ष 1971-72 के बजट में 397 करोड़ रुपये का घाटा है। 177 करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये और फिर भी 220 करोड़ रुपये का घाटा रहता है।

यह बात खेदजनक है कि करों के इन प्रस्तावों का अधिकांश बोझ गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस वर्ष कर उन वस्तुओं पर लगाये गये हैं, जिनका उपयोग सर्व साधारण लोग करते हैं। हाल के चुनावों में करोड़ों देशवासियों ने

मजबूत केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता अनुभव करते हुए अपना सामूहिक समर्थन सत्तारूढ़ दल को दिया। यह बात खेदजनक है कि इस सरकार ने समाजवाद लाने तथा गरीबी दूर करने के लिए वचनबद्ध होने के बावजूद भी अपने बजट द्वारा गरीबों तथा मध्य वर्ग के लोगों के ऊपर करों का बोझा डाला है। मैदे पर 10 पैसे प्रति किलोग्राम टैक्स लगाया गया है। देश के सर्व साधारण लोगों द्वारा मैदे से बनी डबल रोटी उपयोग की जाती है। वित्तमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि डबल रोटी केवल अमीर लोग ही खाते हैं। ऐसा कहते हुए इन्होंने देश को करोड़ों लोगों के कष्टों के साथ मजाक किया है। मैं इनसे अपील करता हूं कि मैदे से कर उठा लें।

तैयार शुदा कपड़ों पर भी 10 प्रतिशत कर लगाया गया है। सस्ते होने के कारण गरीब लोग अधिकतर इन तैयार शुदा कपड़ों को खरीदते हैं। नहाने के साबुन पर भी कर लगाया गया है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि नहाने के साबुन से कर उठा लें क्योंकि यह सर्व साधारण के उपयोग की वस्तु है। इसी तरह सर्वसाधारण के उपयोग के सस्ते तथा मोटे कपड़ों से भी कर उठाया जाना चाहिये। पिछले 20 वर्षों में पेट्रोल पर भी इतना अधिक कर नहीं लगाया गया। पेट्रोल पर लगे कर का भी बोझ भी ले दे कर सर्वसाधारण पर पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा और टैक्सियों पर वही बैठते हैं। मैं निवेदन भी करूंगा कि सस्ती सिगारेटों के ऊपर जो कर लगाये गये है, उसे भी हटाया जाये क्योंकि इनकी खपत अधिकांश सर्वसाधारण के बीच ही है। ट्रैक्टरों पर भी 10 प्रतिशत कर लगाया गया है। पिछले चार वर्षों के दौरान द्रमुक शासन ने अन्न उत्पादन को 40 लाख टन से 72 लाख टन तक पहुंचाया। मुझे इस बात का भय है कि ट्रैक्टरों पर लगने वाले कर से हमारे अन्न उत्पादन के प्रयत्नों में बाधा पड़ेगी। मैं वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें।

मेरी यह निश्चित धारणा है कि सारे आयात और निर्यात व्यापार को यदि केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले तो इससे काफी आय होगी। यदि सरकार सारे आय-कर को वसूल करने के लिये कदम उठाये तो अधिक कर लगाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। आयकर छूट की सिमा 6000 से बढ़ाकर 10000 की जानी चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की औसत प्रति व्यक्ति 185.5 रु. हैं जबकि तमिलनाडु की यही प्रति व्यक्ति औसत 142.5 रु. पड़ती है। क्या यह उचित है? केन्द्रीय सरकार को हर राज्य से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। तमिलनाडु की चौथी पंचवर्षीय योजना 250 करोड़ रु. की थी जबकि केन्द्रीय सरकार ने इसे काटकर 202 करोड़ रुपये कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह कटौती क्यों की गई?

इस बजट में देश भर की बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस समस्या को हल करने के लिये कोई योजना बनाये। कुछ वर्षों से गंगा नदी को कावेरी नदी से मिलाने सम्बन्धी योजना की बात चल रही है। यदि इस योजना को कार्यान्वित किया जाये तो इससे हजारों इंजिनियरिंग स्नातकों तथा मजदूरों को रोजगार मिलेगा। सात राज्यों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा।

द्रमुक दल तथा उन लाखों लोगों, जिनका मैं प्रतिनिधि हूं, की ओर से मैं वित्त मंत्री महोदय में मैंदे तथा मोटे कपड़े के ऊपर लगाये गये कर को वापिस लेने का आग्रह करता हूं।

मैं लाखों गरीबों की ओर से उनसे सर्वसाधारण के उपयोग की वस्तुओं पर लगाये गये करों को वापिस लेने की अपील करता हूं।

भारत विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं तथा परम्पराओं का राष्ट्र है। उन्हें न केवल साथ-साथ रहना है बल्कि साथ साथ विकसित भी होना है। यह तभी सम्भव है, यदि राज्यों को अधिक अधिकार तथा शक्तियां प्रदान की जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से अपील करता हूं कि वे राज्यों की अधिक शक्तियां मिलने सम्बन्धी मांग को पूरा करें। मैं वित्त मंत्री महोदय से सर्वसाधारण पर बोझ डालने वाले करों को वापिस लेने की अपील करता हूं।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मैं वित्त मंत्री महोदय को ऐसा बजट पेश करने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं जिसमें चुनाव के दौरान किये गये वायदों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के भाषणों को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि उन्होंने बजट भाषण को ध्यान से नहीं पढ़ा। यदि ध्यान से पढ़ें, तो वे पेश किये गये बजट की प्रशंसा करेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के पुनर्निर्धारण की प्रशंसा करेंगे।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये शहर तथा गांव में बेरोजगारी को दूर करने सम्बंधी उपायों पर भी बजट में प्रकाश डाला गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोकसभा गुरूवार, 3 जून, 1971/13 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on thursday, June 3, 1971/Jyaishtha 13, 1893 (Saka).